द्वितीय माला, खंड ५४—अंक ४३

गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१
२३ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)   चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न* संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९—५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३ और १४९५ से १५१९ . ५१०२—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . . ५११४—४६

दिनांक ८-३-१९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२२ में शुद्धि . ५१४६

निधन संबंधी उल्लेख . . . . . . ५१४६—४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बन्द हो जाने की संभावना . ५१४७—४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ५१४८—४९

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बतीसवां प्रतिवदन . . ५१४९—५०

समिति के लिए निर्वाचन—

विश्वभारती ५१५०

अनुदानों की मांगें . . . . ५१५०—६४

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५१५०—६४

श्री रामकृष्ण गुप्त . ५१५०—५३

श्री रामी रेड्डी . . . ५१५३—५४

स्वामी रामानन्द तीर्थ . . . ५१५४—५५

श्री रा० स० तिवारी . . . . ५१५५—५८

श्रीमती उमा नेहरू . . . . ५१५८—६१

श्री अ० चं० गुह . . . ५१६१—६२

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा . . ५१६२—६३

श्री कमल सिंह . . . ५१६३

श्रीमती मंजुला देवी . . . . . ५१६३—६४

*किसी नाम पर अंकित + यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

द्वितीय माला खण्ड ५४--अंक ४१ से ५०--११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१--मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- . .

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५-६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२-६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८-८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में ४८८३-८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ पचीसवां प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५-४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५-९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५-४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३-२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७-३०

अंक ४२--बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१-५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५-५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति—

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३—गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१/२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

	पृष्ठ
समिति के लिए निर्वाचन--	
विश्व-भारती . .	५०१०
अनुदानों की मांगें	५१५०-६४
सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	५१५०-६४
कार्य मंत्रणा समिति .	५१६५
त्रेसठवां प्रतिवेदन .	५१६६-५२०२
दैनिक संक्षेपिका	

अंक ४४--गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७	५२०३-२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२	५२२९-३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ .	५२३७-५८
स्थगन प्रस्ताव--	
१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना ।	५२५८-५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२५९-६०
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन	५२६०
कार्य मंत्रणा समिति--	
त्रैसठवां प्रतिवेदन	५२६१
अनुदानों की मांगें	५२६१-७७
इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---	
ब्यासीवां प्रतिवेदन . . .	५२७८
कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प---अस्वीकृत .	५२७८-८६
धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प .	५२८६-९४
दैनिक संक्षेपिका .	५२९९-५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १९५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५६०, १५६२, १५६६ से १५६८ और १६०३ से १६१० . . . ५६१५–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४६१, ३४६३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१–७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२–५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२–८५

वित्त मंत्रालय ५५८५–५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८–३३

अंक ४८—बुधवार, १६ अप्रैल, १६६१ / २६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२६ . ५६३५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१६, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५६–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४–६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६६२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६६२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६६२

अनुदानों की मांगें ५६६३–५७३०

वित्त मंत्रालय ५६६३–५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८–३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०–३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४–३८

अंक ४६—गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१/३० चैत्र, १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४ . ५७३९—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . ५७६३—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . ५७६६—९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७९३—९४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . ५७९४—९५

स्थगन प्रस्ताव—

ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७९५—९६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७९६—९७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५७९७—९८

खण्ड २, ३ और १ . ५७९८

पारित करने का प्रस्ताव ५७९८

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ५७९९—५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३—३७

अंक ५०—शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१/१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५—क . ५८३९—६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योत्तक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१
२३ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जलियांवाला के शहीदों का उल्लेख

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को पता होगा कि १३ अप्रैल जलियांवाला बाग दिवस है। माननीय राष्ट्रपति वहां आज शहीदों के स्मारक का उद्घाटन करने गये हैं।

उन शहीदों की याद के प्रति, जिन्हों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये अपने रक्त का बलिदान किया और जिन के संघर्ष पर हमारी स्वतंत्रता की नींवें दृढ़ता से रखी गई हैं, आदर प्रदर्शित करने के लिये हम एक मिनट तक मौन खड़े रहेंगे।

सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण[1]

\+

†*१४८३ { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री द० चं० शर्मा :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ दिसम्बर, १९६० से लेकर अब तक पुर्तगाली और पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय आकाश सीमा का क्रमशः कितनी बार अतिक्रमण किया गया ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Violation af Indian air space.

(ख) इसकी रोक थाम करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये थे ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). पाकिस्तानी विमानों द्वारा ८ बार अतिक्रमण किया गया, पुर्तगालियों द्वारा एक बार भी नहीं । चार बार के अतिक्रमणों के बारे में पाकिस्तान सरकार से विरोध किया गया है । दूसरे अतिक्रमणों के बारे में, मामला अभी नहीं उठाया गया है क्योंकि इस काम के लिये विमान का पहचाना जाना पर्याप्त नहीं समझा जाता ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : विमान हमारे राज्य क्षेत्र में अधिक से अधिक कितनी दूर तक घुस आये और क्या उनको रोकने के लिये कोई प्रयत्न किया गया था ?

†श्री कृष्ण मेनन : यहां ब्योरा कुछ विस्तृत है और यदि आप मुझे अनुमति दें . . . . .

†श्री विद्याचरण शुक्ल : वह हमें कोई उदाहरण देकर यह बतायें कि आकाश सीमा के अतिक्रमण में वे अधिक से अधिक कितनी दूर तक हमारी सीमा में घुस आये ।

†श्री कृष्ण मेनन : ६ जनवरी से ४ से ६ तक पाकिस्तानी विमानों ने मजोववाला (जैसलमेर राज्य) के समीप भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया । ८ जनवरी को एक पाकिस्तानी विमान ने चक (राय सिंह नगर के दक्षिण पूर्व) के समीप हमारी आकाश सीमा का अतिक्रमण किया ।

मैं कहने वाला था कि मैं इन बातों की पड़ताल करने के पश्चात् , सभा की जानकारी के लिये एक विवरण पटल पर रखूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या वह बता सकते हैं कि वे कितनी दूर तक घुस आये थे ?

†श्री कृष्ण मेनन : मेरे पास यहां उन के आने की मीलों का हिसाब नहीं है । मुझे यह भी पता करना है कि क्या वह स्थान किसी ऐसे स्थान के पास है जिसका नाम नहीं बताया जाना चाहिये । यदि आप मुझे एक या दो दिनों का अवकाश दें, तो मैं सूचना दे दूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : वह अपना समय ले सकते हैं , एक सप्ताह या दस दिन

†श्री कृष्ण मेनन : हां, श्रीमान ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : इन विरोधों के बेकार जाने की दृष्टि से , क्या सरकार इन अतिक्रमणों को रोकने के कोई दूसरे तरीके पर विचार कर रही है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं नहीं जानता कि ये विरोध बेकार हैं । दूसरे देश से निपटने का यह एक तरीका है । यदि आप दूसरे राष्ट्र के साथ शक्ति और प्रतिष्ठा के स्तर से बात करें , और यदि आप चाहते हैं, तो आप को यह धारणा रखनी चाहिये कि हमारे देश का इस प्रकार बात करने का कुछ परिणाम होता है । यदि आप हिंसात्मक कार्रवाई भी करें, तो इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि यह सफल ही होगी । यह सफल भी हो सकती है ।

†श्री राम नाथन चेट्टियार : अच्छी तरह जानते हुए कि केवल दो देशों ने हमारी आकाश सीमा का अतिक्रमण किया था, केवल अकेले पाकिस्तान से ही विरोध प्रकट क्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

किया गया है और पुर्तगाल से क्यों नहीं किया गया ? पुर्तगाल से विरोध न किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया है कि पुर्तगाली विमान ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : सरकार ने इन आकाश सीमा के अतिक्रमणों के विरुद्ध क्या पूर्वोपाय किये हैं और क्या यह पाया गया है कि ये विमान गुप्तचर उड़ान या सैनिक दृष्टि से परीक्षा उड़ान या किसी और किस्म की उड़ान पर थे ?

†श्री कृष्ण मेनन : वर्तमान जानकारी और तथ्य की वर्तमान जानकारी के अनुसार, वे ऐसे विमान प्रतीत नहीं होते जो अधिक सूचना इकट्ठी कर सकते हों । परन्तु उन्होंने सूचना इकट्ठी की या नहीं, यह हमारा स्वायत्त शासी राज्य क्षेत्र है । यदि वे हमारी आकाश सीमा के ऊपर उड़ना चाहते थे और यदि उन्होंने हम से साधारण तरीके से पूछा होता तो हम उन्हें अनुमति दे देते। उन्हें यह मान कर चलने का हक नहीं है । दूसरे शब्दों में, मेरे पास यहां एसी सामग्री नहीं है जिस के आधार पर मैं यह सोचूं कि ये विमान इस प्रकार के थे जो कोई फ़ोटो ले सकते थे। इसीलिये मैं ने इस का पता करने के लिये एक या दो दिन मांगे हैं।

†श्री अ० मु० तारिक : जम्मू और कश्मीर सीमा पर कितने अतिक्रमण किये गये हैं और क्या संयुक्त राष्ट्र के कोई विरोध किया गया है ? यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने क्या कार्रवाई की है ?

†अध्यक्ष महोदय : वह इसे विवरण में शामिल करेंगे।

†श्री कृष्ण मेनन : जी, नहीं । यह पृथक प्रश्न है। यदि वह पृथक प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

†श्री अ० मु० तारिक : मैं पाकिस्तानियों द्वारा सीमा की युद्धविराम रेखा के अतिक्रमणों का उल्लेख कर रहा था कि इसका कितनी बार अतिक्रमण किया गया है और क्या कार्रवाई की गई है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं युद्ध विराम रेखा को अपनी सीमा नहीं मानता। माननीय सदस्य मानते होंगे ।

†श्री रघुनाथ सिंह : जब पाकिस्तान ने आकाश सीमा अतिक्रमण के लिये हमारे एक विमान को निशाना मार कर नीचे गिरा दिया, तो हमें उन के विमान को क्यों नीचे नहीं गिरा देना चाहिये था जब उन्होंने चार महीनों में आठ बार हमारी आकाश सीमा का अतिक्रमण किया ?

†एक माननीय सदस्य : कम से कम एक बार भी क्यों नीचे नहीं गिराया गया ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं यह नहीं कहता कि हमें उन को नीचे गिरा देना चाहिये या नहीं गिराना चाहिये । यह मान्य अन्तर्राष्ट्रीय तरीका नहीं है कि उन विमानों को गोली मार कर नीचे गिरा दिया जाए जो किसी दूसरे देश के आकाश का अतिक्रमण करें जब तक कि अन्य सब उपाय समाप्त न हो जायें। यह कार्य युद्ध आरम्भ करने का होता है । इसलिये

†मूल अंग्रेजी में

हम इस के बारे में ऐसी बात नहीं बोल सकते। विरोध किये गये हैं। मुझे इस में संदेह नहीं कि पाकिस्तान सरकार उनका ध्यान रखेगी।

†श्री नौशीर भरूचा: क्या प्रतिरक्षा मंत्री स्पष्टतः सभा को आश्वासन देंगे कि हम किसी विरोधी विमान को रोक सकने में समर्थ हैं?

†श्री कृष्ण मेनन: मैं न तो आश्वासन दूंगा और नहीं गैर आश्वासन दूंगा।

†डा० राम० सुभग सिंह: श्री रघुनाथ सिंह के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि यह कार्य युद्ध से पूर्व का है। क्या भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा नहीं की जब उन्होंने हमारा विमान गोली मार कर नीचे गिरा दिया था? ये आकाश सीमा के अतिक्रमण हमारे देश के किस क्षेत्र में हुए हैं और क्या उनकी बारम्बारता हाल ही में बढ़ गई है?

†श्री कृष्ण मेनन: प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है कि भारत ने युद्ध घोषित नहीं किया क्योंकि हमारा उत्तरदायी राष्ट्र है। दूसरे भाग का उत्तर है कि यह दूसरा प्रश्न है और यदि पृथक प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं उत्तर दूंगा।

†कुछ माननीय सदस्य उठे––

†अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने सब आकाश सीमा अतिक्रमणों का हमें विवरण देने की प्रतिज्ञा की है। इस से हम यह सूचना एकत्र कर सकते हैं कि वे कितनी दूरी तक घुस आए थे।

†श्री कृष्ण मेनन: एक आकाश सीमा के अतिक्रमण का नहीं, बल्कि यहां उल्लिखित चार अतिक्रमणों का।

†अध्यक्ष महोदय: उन के बारे में अन्तर भी बताया जाए।

†श्री कृष्ण मेनन: जी, हां।

†कुछ माननीय सदस्य उठे––

†अध्यक्ष महोदय: यह लगातार चलने वाला मामला है। मैं दूसरे अवसर पर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

†श्री म० ब० द्विवेदी: मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता था।

†अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न:

विदेशों में बैंक-खाते

†*१४८३. { श्री राम कृष्ण गुप्त:
पंडित द्वा० ना० तिवारी:
श्री पांगरकर:

क्या वित्त मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में वहां के बैंकों में श्री एस० पी० जैन के कथित खातों के बारे में जो जांच की जा रही है थी, क्या वह पूरी हो चुकी है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस विषाय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत : (क) जी, नहीं । अमरीका में श्री एस० पी० जैन के कथित डालर लेखाओं संबंधी जांच अभी चल रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : विदेशी बैंकों का क्या रुख है ? क्या हमें उन से पूरा सहयोग मिल रहा है अथवा क्या वे इस मामले में कोई कठिनाई पैदा कर रहे हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : कौन कठिनाई पैदा कर रहे हैं ?

†श्री रामकृष्ण गुप्त : विदेशी बैंक ।

†श्री ब० रा० भगत : वे सहयोग देने या सहयोग न देने के लिये बाध्य नहीं हैं ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : यदि हमें उन बैंकों से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है तो उन से श्री एस० पी० जैन के लेखाओं का पता लगाने के लिये क्या उपाय अपनाये जा रहे हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : ऐसा प्रतीत होता है कि मा० सदस्य को इस देश के या विदेशों के बकों के कार्य संचालन के बारे में जानकारी कम है और विदेशी बैंकों के बारे में खास कर कम जानकारी है । हमें उन को बाध्य करने की कोई शक्ति नहीं हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी: फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन्स के वायोलेशन के सिलसिले में इस सदन के माननीय सदस्य श्री डांगे के बारे में भी कुछ शिकायत थी । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की ।

†श्री ब० रा० भगत : यह सवाल बिल्कुल अलग हैं । अगर माननीय सदस्य इस की सूचना दें तो इस का उत्तर दिया जायगा ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका में गैर-सरकारी बैंक हैं जिन के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि श्री जैन ने लिजार्ड ब्रदर्स और लाजारस ब्रदर्स में कुछ धन जमा कर रखा है, क्या उन बैंकों से भी पूछा गया था ? यदि हां, तो क्या कोई महत्व की बात मालूम हुई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : बैंकों को कोई बात न बताने की पाबंदी होती है । बैंकों का संविधान ऐसा ही होता है । इसलिये उन से कोई सूचना की अपेक्षा रखना बेकार है । वे सूचना नहीं बता सकते । हमें सूचना प्राप्त करने के लिये अन्य उपायों का आश्रय लेना होता है और हम प्रयत्न कर रहे हैं । यह बताना गलत होगा कि हम किन उपायों का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि उस हालत में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वह बेकार हो जाएंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार ने श्री डांगे के बैंक लेखाओं की राशि की जांच की है और यदि हां, तो वे इसके लिये क्या उपाय कर रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । जो प्रश्न मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होते वे पूछे पूछ जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में तेल का सर्वेक्षण

*१४८४ { †श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी के क्षेत्र में तेल की खोज का जो कार्य आरम्भ किया गया था उसमें इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : क्षेत्र का विस्तृत भूगर्भीय मान चित्रण करने के पश्चात, दो दिलचस्प संरचनाओं अर्थात मोहनद संरचना और कालगढ़-पोवल गढ़ संरचना का नक्शा खींचा गया है ; जिनकी और छानबीन की जरूरत है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आकर्षण तथा चुम्बकीय निरीक्षण द्वारा १२,००० वर्ग मील पर कार्य किया है और ८५० लाईन मीलों के भूकम्पीय पार्श्व चित्रण का काम भी किया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार जिन दो स्थानों के बारे में अच्छी रिपोर्टें मिली हैं, उन के बारे में अन्तिम निर्णय करने में अब और कितना समय लगेगा ?

श्री के० दे० मालवीय : यह तो शुरूआत है । किसी क्षेत्र में तेल है या नहीं इस की जांच खत्म कर लेने में कभी कभी पांच पांच वर्ष लग जाते हैं और अभी शुरुआत की गई है । कुछ नक्शे ले लिये गये हैं, उस के बाद अपनी शक्ति के अनुसार काम में तेजी करने का प्रयत्न किया जायगा और अगर कोई दिलचस्प रिपोर्ट मिलेगी तो उस को मैं माननीय सदस्य को बतला दूंगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मा० मंत्री ने कहा है कि इस सर्वेक्षण के पश्चात हमें कुछ दिलचस्पी वाली बातों का पता चला है । वे बातें क्या हैं और तेल सर्वेक्षण की दृष्टि से उन का वैज्ञानिक मूल्य क्या है ?

†श्री के० दे० मालवीय : दिलचस्प बातों का भूतत्वीय फल है । अर्थात सतह से नीचे कुछ चीजें कुछ दिलचस्पी वाली पाई गई हैं जिनसे तेल अनुसंधान में प्रोत्साहन मिला है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कालिकासिंह : ये कितनी गहराई पर मिली हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

†श्री विश्वनाथ राय : क्या उस क्षेत्र में तेल की खोज जारी है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हमने वहां अभी काम आरंभ किया है । जब तक हमें वहां से निराशाजनक या आशाजनक परिणाम नहीं मिलते, हम यह काम जारी रखने का इरादा रखते हैं ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कंपनी और किसी दूसरे वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश में तेल निक्षेपों को संयुक्त रूप से निकालने के लिये बातचीत कर रही थी । उसमें क्या प्रगति हुई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : उत्तर प्रदेश तेल अनुसंधान के लिये बहुत कठिन और असंभाव्य क्षेत्र है । इसलिये विदेशी तेल समवाय , यद्यपि वे बहुत जोखिम लेने का दावा करते हैं, परंतु वहां खोज करना नहीं चाहते । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तदनुसार इस मामले में स्वयं जोखिम उठाने को तैयार हुआ है और वह कुछ अधिक दिलचस्प पता लगाने का विचार रखता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जिस प्रकार ज्वालामुखी में ड्रिलिंग की जा रही है, क्या कोई ऐसी सम्भावना है या कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि इन दो स्थानों में भी ड्रिलिंग की जाय ?

श्री के० दे० मालवीय : उत्तर प्रदेश की हद के अन्दर हम ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है।

श्री विभूति मिश्र : हिमालय रेंज में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और नेपाल के रक्सौल में जांच हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच का अभी तक क्या फल निकला है ।

अध्यक्ष महोदय : काश्मीर से लेकर आसाम तक पूरा हिमालय है ।

श्री विभूति मिश्र : उत्तर प्रदेश के हिमालय रेंज में, नेपाल राज्य के रक्सौल हिस्से की तरफ, बिहार में मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और चम्पारन की तरफ तथा देवरिया में जांच हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन हिस्सों में जांच का क्या फल निकला है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बिहार के सम्बन्ध में नहीं है ।

श्री के० दे० मालवीय : हिमालय के दक्षिणी हिस्से में मोतिहारी और चम्पारन का जो आप ने जिक्र किया है, वहां उत्तर प्रदेश में ज्यादा तलाश की जा रही है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : भारत जर्मन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत तेल के लिये उत्तर प्रदेश में कुछ सर्वेक्षण किये गये हैं और कुछ जर्मन लोग भी काम कर रहे थे । क्या वे अभी काम कर रहे हैं या अभी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि आयोग के व्यक्ति स्वयं यह काम कर रहे हैं ?

---

†[मूल अंग्रेजी में]

†श्री के० दे० मालवीय : उत्तर प्रदेश में दो वर्ग तेल की तालाश कर रहे हैं । एक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पूर्णतया । कुछ वर्ग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं । दूसरे प्रदेश भी हैं जहां भारत जर्मन योजना चल रही है —जहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा जर्मन सरकार द्वारा भेजे गये जर्मन विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, दक्षिण क्षेत्रों में और बिहार में भी । योजना अभी चल रही है और हमें आशा है कि वे यह काम दूसरे वर्ग के लिये भी जारी रखेंग ।

†श्री प्र० चं० बरूआ: क्या उत्तर प्रदेश में बदायूं में कुआं संख्या १ में खुदाई पूरी हो चुकी है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हम ने बुदायूं के पास उजियानी में तेल छिद्रण के लिये नहीं, बल्कि कुछ ढांचा संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिये एक कुआं खोदा था । और इस ढांचे संबंधी सूचना से हमें छिद्रण के लिये दूसरा स्थान ढूंढने में प्रोत्साहन मिला है, जहां हम ने काम आरंभ कर दिया है ।

†श्री हेम राज : होशियारपुर जिले में ढोल बाहा जानौरी में क्या प्रगति हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह पंजाब में है ।

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् जिस प्रकार बदायूं में उझानी के पास में ड्रिलिंग की जा रही है, मैं ने प्रश्न पूछा था कि जिन दो स्थानों का हिमालय के फुटहिल्स में पता लगा है क्या उन में भी ड्रिलिंग होने की कोई सम्भावना है या कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

†श्री के० दे० मालवीय : ये बड़े मुश्किल स्ट्रक्चर हैं और इस काम में बड़ा पैसा लगेगा । इसलिए और भी तरीके से छानबीन करके जब पूरा विश्वास हो जाएगा कि यहां ड्रिल करने में पैसा खर्च करना उचित है तभी करेंगे । यह जजमेंट की बात है, इसमें कुछ समय जरूर लगेगा ।

†श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान क्षेत्र के उस भाग की ओर आकर्षित किया गया है जहां जल में तेल जैसी कोई वस्तु पाई गई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हम एक क्षेत्र को चुनते समय सब बातों की ओर ध्यान देते हैं ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

+

†*१४८५. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में राष्ट्रीय सेवा छात्र दल सम्बन्धी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है और कुछ राज्यों में लक्ष्य-पूर्ति हो जाने के कारण प्रशिक्षण देने से इन्कार किया जाता है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समाप्त करने और प्रशिक्षण के लिए इच्छुक सभी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देने की किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) स्थिति यह है कि राष्ट्री सेना छात्र दल के सीनियर और जूनियर डिवीजनों तथा सहायक सेनाछात्र दल के मामले में आवंटन केन्द्र तथा राज्यों के बीच परस्पर स्वीकृत लक्ष्यों के आधार पर किये जाते हैं लक्ष्य तथा साधारणतया पूरे किये जाते हैं। एन. सी.सी. राइफल्स के मामले में यह फैसला किया गया था कि इस की शक्ति ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ाकर २५०,००० कर दी जाए। और अस्थायी आधार पर राज्यों के लिये कुछ आवंटन किये गये थे। बाद में प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के अनुसार इस में कुछ परिवर्तन किया गया। राज्यों के मामले में यह आवश्यक हो गया है कि प्रारंभ में उन के लिये जो आवंटन किये गये थे उनको दुगुना किया जाए।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या अगले वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में एन.सी.सी. के जूनियर सैक्शन में कुछ वृद्धि करने का विचार या इरादा है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†श्री कृष्ण मेनन : हां, श्रीमान् । राज्य सरकारों और हमारे बीच इस के बारे में परस्पर समझौता हुआ है । हम इन आंकड़ों के जोड़ के बारे में नहीं कह सकते। मोटे तौर पर कोई राज्य जो इसकी शक्ति बढ़ाना चाहता है उसे केन्द्रीय सरकार इनकार नहीं करती।

†श्री दी० चं० शर्मा एन सी.सी. के कई कक्ष हैं विमान कक्ष और नौ सेना कक्ष । क्या इन दोनों कक्षों के लक्ष्य पूरे कर दिये गये हैं और क्या कुछ राज्यों ने विमान कक्ष के विस्तार के लिये कहा है ?

†श्री कृष्ण मेनन, : हां श्रीमान। कुछ राज्यों ने कहा है, परन्तु दोनों पर संगठन संबंधी तथा प्राविधिक प्रबन्धों पर विमान कक्ष पर बहुत खर्च होता है और हम हमेशा इन सैक्शनों की मांगों को पूरा नहीं कर सकते। विमान बल की वर्तमान स्थिति को और इस के अन्यत्र के कामों को देखते हुए अपेक्षित संख्या में सिखाने वाले लोग मिलने में भी कठिनाई होती है , परन्तु हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धि कितनी है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या वह केवल संघ राज्य क्षेत्रों में संतुष्ट हैं? मंत्री जी ने अखिल भारतीय आधार पर आंकड़े बताये हैं।

†श्री म० ला० द्विवेदी : संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के पीछे नियंत्रणाधीन है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रश्न से अग्रेतर जांच संभव है तो मैं अनुमति दूंगा। परन्तु जब आप केवल संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं तो इसका क्या महत्व है ?

†श्री कृष्ण मेनन : हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। मेरा विश्वास है कि यह प्रश्न एन० सी० सी० राइफल्स के बारे में है और इस के लिये किये गये आवंटन के बारे में है । ६८०० में से उन्होंने केवल ३६०० का लक्ष्य पूरा किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शिवानन्जप्पा : किन दो राज्यों में लक्ष्य पूर्ति दुगुनी हुई है ?

†श्री कृष्ण मेनन : पंजाब और उत्तर प्रदेश ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार एन० सी० सी० लड़कों के सीनियर सैक्शन को युद्ध के अस्त्रों और हल्के शस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण--विशेषकर आसाम जैसे सीमान्त राज्यों में देने का विचार रखती है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या आसाम के सीमान्त राज्य में लड़कों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री कृष्ण मेनन : प्रशिक्षण सब स्थानों पर एक ही है ।

†अध्यक्ष महोदय : सीमांत क्षेत्रों की विशिष्ट प्रकार की स्थिति होने के कारण वह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह एन० सी० सी० में नहीं आता । यह राज्य क्षेत्रों के लिये है लोक-सहायक सेना आदि । एन० सी० सी० लड़ने वाली इकाई नहीं । वे अनुशासन वाली इकाइयां हैं; एन० सी० सी० राइफल्स में राइफल्स का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

मैं अपने पिछले उतर के साथ यह भी जोड़ना चाहता हूं कि यह सच है कि इन दो राज्यों के बारे में, बाद में उन के आवंटन बढ़ा दिये गये । परन्तु जिन राज्यों ने उन को दिये गये लक्ष्यों से अधिक लक्ष्य प्राप्ति की है उन में बिहार और केरल भी शामिल हैं।

अभ्रक का उत्पादन

†*१४८६. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० के दौरान अभ्रक का उत्पादन कुछ कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) अभ्रक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री पांगरकर : दूसरी पंचवर्षीय योजना --पिछली योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और अब तक कितनी लक्ष्य प्राप्ति हुई है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : संभवत: माननीय सदस्य तीसरी योजना के लक्ष्य के बारे में पूछ रहे हैं ?

†श्री पांगरकर : दूसरी योजना के बारे में ।

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : चाहे यह दूसरी योजना है या तीसरी योजना, लक्ष्य विदेशी बाजार में इसकी मांग पर निर्भर होता है । इस लिये कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है । अभ्रक का उत्पादन विदेशी बाजार पर निर्भर है क्योंकि अधिकांश अभ्रक का बाहर निर्यात किया जाता है ।

†श्री पांगरकर : क्या सरकार ने अभ्रक के खान मालिकों को प्रोत्साहन दे कर अभ्रक का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले बता चुका हूं कि अभ्रक का उत्पादन विदेशी बाजार पर निर्भर करता है । यदि विदेशी बाजार में उसकी मांग अधिक है तो सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

†श्री नारायणस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि मद्रास राज्य के डिंडिगुल और पेरियाकुलम के तालुकों में अभ्रक के निक्षेप हैं ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : बहुत से राज्यों में अभ्रक के निक्षेप हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : समूचे देश भर में ! अगला प्रश्न ।

कच्चे पदार्थों पदार्थों सम्बन्धी समिति

+

†*१४८३. { श्री नथवानी :
श्री मुरारका :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के लिये कच्चे पदार्थों सम्बन्धी स्थायी समिति ने अब तक सरकार को कोई सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति एक स्थायी समिति है और यह इस्पात उद्योग के लिये कोयले लोहा अयस्क तथा अन्य कच्चे माल के लाने ले जाने, एवं संभरण और उत्पादन संबंधी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्याओं के बारे में लगातार अध्ययन करके सरकार को सलाह देती रहती है । मैं मा० सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि जिन चंद महीनों से यह काम कर रही है उन में भी इस ने बड़ा लाभप्रद काम किया है ।

†श्री मुरारका : क्या समिति ने कच्चे माल की अतिरिक्त लागत के प्रश्न का परीक्षण कर लिया है जो इस्पात संयंत्रों को देनी पड़ेगी क्योंकि इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चे माल के उन के अपने साधनों का समय पर विकास नहीं हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं श्रीमान्। समिति द्वारा इस मामले का परीक्षण किये जाने की आदत नहीं थी।

†श्री मुरारका : क्या इस समिति ने कच्चे माल के मुख्य प्रकार के बारे में परीक्षण कर लिया है जिन के बारे में इस्पात संयंत्रों ने शिकायत की थी ? उन्होंने कहा है कि संभरण किये गये अयस्क और कोयले की घटिया किस्म होने के कारण उत्पादन को हानि हो रही है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैंने इस आशा के प्रेस प्रतिवेदन देखे हैं कि इस्पात उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें जो कच्चा माल दिया जाता है वह उस किस्म का नहीं जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। परन्तु इस सिलसिले में यह याद रखना होगा कि यह कच्चा माल हमेशा देश में विभिन्न किस्मों का मिलता है। यह सच है कि जब कुल अपेक्षित माल कम था, तो चुन कर ही माल भेजा जा सकता है। आवश्यकता बढ़ने के साथ हम देश में उपलब्ध माल को ही खोद सकते हैं।

†श्री वालप्पा : क्या इस्पात संयंत्रों को इन कच्चे मालों के सम्भरण के मामले में कोई कमी रही है और क्या कमी के कारण इस्पात संयंत्रों में किसी मात्रा तक प्रभाव पड़ा है।

†श्री मुरारका : नहीं श्रीमान् स्थिति का बड़ा ध्यान रखा जाता है और इन समिति की स्थापना का एक कारण यह भी था कि वह इस पर निगरानी रखे और आने वाली कठिनाई को हल करे।

†श्री मुरारका : मैं किसी प्रेस समाचार का उल्लेख नहीं कर रहा था। हिन्दुस्तान स्टील के निदेशकों ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में जो माननीय मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया था। कच्चे माल की किस्म के बारे में शिकायत की थी इसलिये मैं पूछ रहा था कि क्या इस समिति ने किस्म के प्रश्न की जांच की है और क्या इसने कच्चे माल की किस्म को सुधारने का कोई उपाय किया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह: यह निश्चय करना इस समिति का काम है कि भौतिक सीमाओं के अन्दर सम्भरण किये गये कच्चे माल की किस्म यथासम्भव सर्वोत्तम हो। इस प्रकार की समिति का यह निस्सन्देह कर्तव्य होता है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल: क्या सरकार को हिन्दुस्तान स्टील द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त लागत का कोई अनुमान है क्योंकि समय पर कच्चे माल के सोचे गये स्रोत का विकास नहीं हो सका ?

†अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है जो श्री मुरारका पूछ चुके हैं ?

†श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मात्रा कम थी।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या उनको कोई अनुमान इस बात का है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। प्रारम्भ में जिन स्रोतों का विचार किया गया है उनके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से कच्चा माल लेने में जो अतिरिक्त व्यय हुआ है उसका प्रश्न बिल्कुल अलग है और यह बहुत सामान्य प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य चूने का पत्थर, लोहा अयस्क या कोयले के बारे में पूछते हैं तो मैं कुछ उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

†श्री च० द० पांडे : कच्चे माल में सब से बड़ी बाधा धातु कार्मिक कोयले के सम्भरण की है क्योंकि पर्याप्त कोयले धोने के कारखाने नहीं हैं और वाशरीज में उत्पादन कम हो रहा है। क्या सरकार वाशरीज के विकास की ओर जोर देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : कोयला निस्सन्देह बड़ा महत्वपूर्ण कच्चा माल है परन्तु अन्य कच्चे माल भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि एक अवसर पर एक कच्चे माल का महत्व अधिक हो। परन्तु एकीकृत इस्पात संयंत्र में हर प्रकार के कच्चे माल का समान महत्व होता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार करता हूं कि कोयला धोने का काम बड़ा महत्वपूर्ण है और हम कोयला धोने के नये कारखाने को पूर्ण करने की गति बढ़ाने की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं।

पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा निवेली लिग्नाइट का परीक्षण

+

†*१४८८. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों को परीक्षण के लिये निवेली के १००० टन लिग्नाइट के सम्भरण के बारे में २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षण के लिये लिग्नाइट की सामान्यतः इतनी भारी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) निवेली लिग्नाइट के बारे में क्या परीक्षण किये जायेंगे ; और

(ग) इस १००० टन लिग्नाइट की कीमत कितनी है

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). किसी प्रयोग के लिये लिग्नाइट की अपेक्षित मात्रा इस बात पर निर्भर होती है कि किस प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हैं। पूर्व जर्मन विशेषज्ञों ने एक अग्रिम संयंत्र में उपवाणिज्यिक प्रयोगों के लिये सुखाने, ब्रिकिटग, उच्च तापमान कारबन बनाने और अनुमानतः १०० टन सलेम लोहा अयस्क के स्मैल्टिंग में उच्च तापमान कारबन किये गये ब्रिकटों के उपयोग के लिये १००० टन लिग्नाइट की मांग की है।

(ग) जब खान उत्पादन आरम्भ कर देगी। १००० टन कच्चे लिग्नाइट की लागत लगभग १२००० रुपये होगी। इस लागत में पैक करने, आगे भेजने और किराया भाड़ा शुल्क शामिल नहीं हैं।

†श्री मुरारका : ये प्रयोग करने में कुल कितनी लागत आएगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि अभी तक पूर्व जर्मन फर्म के साथ वास्तविक लागत के बारे में बातचीत की गई है।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरमन : क्या इसके बारे में पूर्व जर्मन विशेषज्ञों से सीधा प्रबन्ध कर लिया गया है या सरकार की मार्फत यह किया गया है ?

†सरदार स्वर्णसिंह : मद्रास सरकार पूर्व जर्मन प्रविधिकों के साथ सम्पर्क बनाये हुए थी। यह मद्रास सरकार और पूर्व जर्मन प्रविधिकों के बीच की व्यवस्था है।

†श्री नथवानी : इन प्रयोगों के परिणाम कब मालूम होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : निस्सन्देह जब हम लिग्नाइट दे सकेंगे उसके बाद। यदि लिग्नाइट भी दे दिया गया तो भी अग्रिम संयंत्र में लगभग तीन चार सप्ताह के लिये इसका अनुमान लगाना होगा।

†श्री वालप्पा : हम कब तक इसे प्रयोग के लिये भेज सकते हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैंने एक पहले अवसर पर सभा पटल पर संगत सूचना रखने का प्रयत्न किया था। निवेली में लिग्नाइट खोदने के हालत विचित्र हैं क्योंकि जल का ऊपर की ओर जोर है और वैसे क्षेत्र में चुनकर खानें नहीं बनाई जा सकतीं। इसलिये हम इतना लिग्नाइट तभी भेज सकते हैं जब हम वास्तव में लिग्नाइट की खानों से लिग्नाइट निकालने लग जाएं। इस का फिर लिग्नाइट के उपयोग से सम्बन्ध है। इसमें कुछ महीने और लग सकते हैं।

†श्री मुरारका जिन उद्देश्यों के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं उनमें एक ब्रिकिटग का एक उद्देश्य है। हमने पहले ही ब्रिकिटग संयंत्र का आर्डर दे दिया है। क्या इस प्रयोग का खरीदे जाने वाले संयंत्र के रूप और आकार पर कोई प्रभाव होगा या नहीं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि प्रयोग मूलतः ब्रिक्टों की स्मैलटिंग किस्म तक ही सीमित होगा।

विश्वविद्यालयों में भीड़ भाड़

+

*†१४८९. { श्री हेम राज :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पहाड़िया:
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये उपयुक्त परीक्षा लेने की पद्धति लागू करने की प्रस्थापना के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मामला अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

†श्री हेमराज : इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत समय से जांच की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि उस के सम्बन्ध में निर्णय करने में कितना समय लगगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न पर १९५९ के मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ सलाह कर के कुछ प्रस्ताव सम्मेलन के समक्ष रखे थे। मंत्रियों ने यह विचार व्यक्त किया कि इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करने के पूर्व कुछ समय विचार करने के लिये चाहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भा० कृ० गायकवाड़: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यदि ऐसी परीक्षा प्रारम्भ कर दी जायगी तो उच्च शिक्षा प्रगतिशील वर्गों का एकाधिकार बन जायगी और पिछड़े वर्ग स्थायी रूप से पिछड़े रह जायेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले में निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की धारणायें सर्वथा गलत हैं ;

†श्री ब्रजराज सिंह : यह उन का एकाधिकार नहीं है; सभा से परामर्श किया जाना चाहिये ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी, हां । सरकार को भी इस मामले में अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है । यह सोचना गलत है कि प्रवरण के लिये निर्धारित की जाने वाली परीक्षा कुछ वर्गों को एकाधिकार दे देगी । यह सर्वथा गलत धारणा है ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि इस प्रकार का कोई परीक्षण शुरू करने से पहले जिस में किन्हीं विद्यार्थियों को कालिजों और विश्वविद्यालयों में जाने से रोक दिया जायेगा, ऐसे सब विद्यार्थियों के लिये किसी टेकनिकल प्रशिक्षण का इंतजाम किया जायगा और कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो कि पढ़ना चाहता हो, उस की पढ़ाई बन्द नहीं की जायेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार को इस की जानकारी है और विद्यार्थियों के लिये उच्च माध्यमिक शिक्षा खत्म करने के पश्चात् अवसरों की व्यवस्था करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि अच्छे विद्यार्थियों को कालेज से रोक देना उस समय तक व्यर्थ होगा जब तक कि उन के लिये वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था न की जाये। इस मामले पर निश्चय ही विचार किया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी ।

†श्री थानू पिल्ले : क्या यह प्रतिबन्ध आवास की व्यवस्था और नये कालेजों का निर्माण करने में असमर्थता के कारण लगाया जा रहा है अथवा कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों का स्तर ऊंचा उठाने के लिये ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : कारण स्पष्ट है । उच्चतर शिक्षा की प्रत्येक संस्था में स्थान सीमित है । यदि हम अधिकाधिक विद्यार्थी भेजते जायेंगे तो उन में समा नहीं सकेंगे और विस्फोट की संभावना रहेगी । ऐसी स्थिति के निराकरण के लिये ही कुछ प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । देश के संसाधन सीमित हैं और बहुत से विश्वविद्यालय खोलना सम्भव नहीं है । इसलिये कुछ न कुछ करना ही होगा ताकि भरती किये गये विद्यार्थी विश्वविद्यालयों द्वारा व्यवस्था की जा सकने वाली सुविधाओं के अनुपात में हों ।

†श्री थानू पिल्ले : इस प्रसंग में विश्वविद्यालय शिक्षा का तात्पर्य कला और विज्ञान कालेजों से है अथवा प्रविधिक संस्थाओं से भी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालयों में सामान्यतः सभी विभाग होते हैं --कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि ।

श्री विभूति मिश्र : अभी श्री गायकवाड़ के प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बतलाया कि युनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमिशन इस को तय करेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने यूनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमिशन को अपनी नीति निर्धारित कर के बतलाया है कि उस की क्या पालिसी है और कैसे लड़कों को लिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : इस बारे में अभी कोई नीति नहीं बनाई है। इस मामले में जांच हो रही है। युनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमिशन के सामने सारा मामला विचाराधीन है और अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है।

†श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय...

†अध्यक्ष महोदय : श्री कालिका सिंह।

†श्री विभूति मिश्र : मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : जवाब नहीं देना चाहिये।

†श्री कालिका सिंह : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि समस्त देश में विश्वविद्यालय जन संख्या लगभग १० लाख है तथा उस के लिये २०० विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होगी। उस ने यथासभव नये विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया है। क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन की जांच की जा चुकी है और तीसरी योजना में आवश्यक उपबन्ध किया जा रहा है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई समिति ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक पेश किया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य किस समिति का निर्देश कर रहे हैं ?

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पहले के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि एक समिति नियुक्त की गई है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे पढ़ कर सुना सकता हूं।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने किसी भी समिति का निर्देश नहीं किया था।

†श्री बासप्पा : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहले के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि एक समिति नियुक्त की जायेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३० के उत्तर का निर्देश कर रहे हैं।

†डा० का० ला० श्रीमाली : उस में यह कहा गया था कि "मामला अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।"

उस में किसी समिति का कोई निर्देश नहीं है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : जो उत्तर दिया गया था वह इस प्रकार था :—

"अब ऐसा ही किया जा रहा है। एक समिति निर्मित की गई है जो निश्चित प्रस्ताव तैयार कर रही है।"

यह २९ नवम्बर, १९६० के लोक-सभा वाद-विवाद के पृष्ठ २७३१ पर दिया हुआ है।

†डा० का०ला० श्रीमाली : यदि माननीय सदस्य प्रश्न संख्या ५३० का निर्देश कर रहे हैं जिस का उत्तर मैं ने २९ नवम्बर, १९६० को दिया था तो मैंने केवल इतना ही कहा था कि :

†मूल अंग्रेजी में

"मामला अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।"

यदि मैंने किसी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कुछ कहा था तो मेरे लिये पहले किसी दिन कही गई सब बातों को याद रखना बहुत कठिन है। मैं इस अवस्था में इतना ही कह सकता हूं कि अब समस्त मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । जब किसी पिछले तारांकित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में इस प्रकार की जानकारी चाहने वाला कोई प्रश्न पूछा जाये तो माननीय मंत्री को वह पूरा प्रश्न और उसके अनुपूरक प्रश्न पढ़ लेने चाहियें। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये ।

†डा० का० ला० श्रीमाली: जहां तक मैं जानता हूं, पिछले प्रश्न के उत्तर में मैं ने यह कहा था कि मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है। माननीय सदस्य किसी समिति का निर्देश कर रहे हैं। उन्हें उस समिति का हवाला देना चाहिये। जब तक वह ऐसा नहीं करते मैं उस का स्पष्टीकरण कैसे कर सकता हूं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं . . .

†श्री रामकृष्ण गुप्त : मैं वह प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ कर सुनाये देता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति । अब हवाला दे दिया गया है कि यह प्रश्न एक पहले तारांकित प्रश्न के उत्तरों से उत्पन्न होता है। "उत्तरों" का तात्पर्य केवल पढ़ कर सुनाये गये लिखित उत्तर से नहीं है वरन् अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों से भी है। इसलिये जब पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा जाये तो प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया था उस सब का विचार किया जाना चाहिये। यदि माननीय मंत्री ने सब बातों की जांच कर ली है तो किसी को कोई शिकायत नहीं है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मेरा निवेदन है कि मैंने वह समस्त प्रश्न देख लिया है। बात केवल इतनी ही है कि मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य कौन सी समिति का निर्देश कर रहे हैं। उन्होंने "किसी अन्य प्रश्न", "किसी तारांकित प्रश्न" आदि का उल्लेख किया।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे पढ़ कर सुना सकता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : मामला स्पष्ट है । गलती प्रत्येक व्यक्ति से हो सकती है । इसलिये यदि माननीय मंत्री यह स्वीकार कर लें कि वह बात उनकी निगाह से चूक गई तो कोई नुक्सान नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस मामले में विचार कर रहा है। माननीय सदस्य सम्भवतः यह जानना चाहते थे कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस पर विचार करने के लिये कोई समिति अथवा उपसमिति नियुक्त की है। माननीय मंत्री ने उत्तर में "हां" कहा। इसलिये इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक ही समिति का संकेत है। माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि वह सूचना देने में असमर्थ हैं। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हम सब गलती कर सकते हैं अतः उसे स्वीकार करने में नुक्सान ही क्या है ?

†श्री राम कृष्ण गुप्त : यदि आप अनुमति दें तो मैं पूरी चीज पढ़ कर सुना दूं। वह इस प्रकार है :

> "श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस विषय के महत्व को देखते हुए कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि इसे एक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया जाये जो अपने प्रस्ताव पेश करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : अब ऐसा ही किया जा रहा है। एक समिति निर्मित की गई है जो निश्चित प्रस्ताव तैयार कर रही है।"

एक माननीय सदस्य : डा० केसकर ?

†श्री रामकृष्ण गुप्त : जी, हां ; डा० श्रीमाली उस दिन अनुपस्थित थे। अतः शिक्षा मंत्री की ओर से डा० केसकर ने उसका उत्तर दिया था।

†अध्यक्ष महोदय : यदि उस प्रश्न का उत्तर डा० केसकर ने दिया था तो डा० श्रीमाली उस के लिये जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं ? (अन्तर्बाधायें)

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†श्री अ० मु० तारिक : डा० श्रीमाली उस दिन अनुपस्थित थे।

†श्री म० ला० द्विवेदी : डा० केसकर ने शिक्षा मंत्री की ओर से उत्तर दिया था।

†श्री ब्रजराज सिंह : नियमों के अन्तर्गत आप मंत्रियों को अपने पिछले अवसरों पर दिये गये उत्तरों में शुद्धि करने की अनुमति देते हैं--उस स्थिति में भी जब कि उत्तर उन की ओर से किसी अन्य मंत्री द्वारा दिया गया हो। इस मामले में भी डा० श्रीमाली द्वारा डा० केसकर द्वारा दिये गये उत्तरों में शुद्धि की गई थी। यदि यह उत्तर सही नहीं था तो डा० श्रीमाली ने उस की शुद्धि क्यों नहीं की थी ?

†श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय सदस्य को नियमानुसार "डाक्टर" शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय: उस में कोई नुक्सान नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने श्री गायकवाड़ के प्रश्न के उत्तर में कहा कि यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन इसको देखेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन को कोई निर्देश दिये गये हैं या जो सवाल उनकी तरफ से किया गया है, यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन ही उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सवाल यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन ने उठाया था। बात यह है कि यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन को यह काम सौंपा गया है कि यूनिवरसिटीज़ के स्टैंडर्ड्ज़ के बारे में वह विचार करे। इस दृष्टि से उन्होंने इस प्रश्न पर कुछ प्रोपोजल्ज़ रखे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया है मिनिस्टर्ज़ कान्फ्रेंस में उन पर विचार किया गया था और मिनिस्टर्ज़ ने साधारणतः कहा कि उनको थोड़ा वक्त चाहिये क्योंकि इस मामले पर ज़रा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अभी तक स्टेट गवर्नमैंट्स ने कोई अन्तिम निर्णय इस मामले में नहीं किया है। ज्यों ही कोई अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा मैं आपको उसकी इत्तिला दे दूंगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, डा० केसकर ने शायद मेरी गैर-मौजूदगी में एक प्रश्न का उत्तर दिया होगा। अगर माननीय सदस्य मुझे उसके बारे में बता दें तो मैं जो भी इत्तिला वह चाहते हैं, उनको जरूर दे दूंगा। मुझे उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या भारत सरकार ने शिक्षा संस्थाओं में संविधान के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों से सम्बन्धित वचनों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संकेत किया है अथवा करने का विचार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक मैं जानता हूं अधिकांश विश्वविद्यालय पहले ही माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट सुविधायें विद्यार्थियों को दे रहे हैं।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वे उनको जारी रखेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, वे जारी रखी जायेंगी ।

कुछ माननीय सदस्य उठे---

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए अनेक बार खड़ा हो चुका हूं ।

†श्री सोनावने : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं अनेक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं ।

भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका का विनियोजन

†*१४६०. श्री बी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय संयुक्त राज्य अमरीका की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) (१) हमारे देश में विनियोजित विदेशी पूंजी, और (२) हमारे देश में लगी हुई कुल पूंजी से इसका क्या अनुपात है;

(ग) १५ अगस्त, १९४७ को हमारे देश में कुल कितनी अमरीकी पूंजी लगी हुई थी और उस तिथि को (१) कुल विदेशी विनियोजन और (२) कुल विनियोजन की तुलना में यह कितनी थी; और

(घ) किन उद्योगों में अतिरिक्त अमरीकी पूंजी लगायी गयी है ?

†वित्त उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) १९५८ के अन्त में ५९.८५ करोड़ रुपय।

(ख) (१) १०.५ प्रतिशत ।

(२) संगठित निगमित क्षेत्र में नियोजित अनुमानित पूंजी का ३.३ प्रतिशत ।

(ग) १५ अगस्त, १९४७ की जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु ३० जून, १९४८ को वह ११.१७ करोड़ रुपये थी ।

(१) ३० जून, १९४८ को ४.४ प्रतिशत ।

(२) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) भाग (क) में दिये गये आंकड़ों में से ४१ करोड़ रुपये पेट्रोलियम उद्योग में विनियोजित हैं। शेष अन्य उद्योगों में विभाजित है जिसके विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्षमहोदय : श्री दी० चं० शर्मा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं वरन् कुछ निवेदन कर रहा हूं । सभा में अनेक बार यह कहा जा चुका है कि जब मंत्रियों द्वारा अपने उत्तरों में आंकड़े दिये जाने हों तो उनके लिए सभा-पटल पर विवरण रखना उचित होगा ताकि माननीय सदस्य स्थिति समझ सकें । मैं समझता हूं कि यदि मैं कोई आंकड़े पेश करूं तो मंत्री जी स्वयं भी उन्हें याद नहीं रख सकेंगे । जब तक मेरे पास आंकड़े न हों मैं अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रियों को जब ब्यौरा और आंकड़े देने हों तो उन्हें उनकी अग्रिम प्रति माननीय सदस्यों की सूचना के लिए नोटिस आफिस में भेज देनी चाहिए ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत में अमरीकी पूंजी के विनियोजन की कोई समान शर्तें हैं अथवा वे प्रत्येक उद्योग के लिए भिन्न भिन्न हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : हम कुछ सामान्य सिद्धान्तों के अन्तर्गत विनियोजनों की अनुमति देते हैं और वे उन शर्तों के अधीन ही आते हैं । परन्तु यदि वे किसी विशेष उद्योग के लिए आते हैं तो ब्यौरे में कुछ भिन्नतायें हो सकती हैं ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : अमरीका के गैर-सरकारी विनियोजकों में उत्साह की कमी को देखते हुए सरकार उनको आकृष्ट करने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†श्री ब० रा० भगत : मैंने यह नहीं कहा कि उनमें उत्साह कम रहा है । वास्तव में उनका विनियोजन प्रति वर्ष बढ़ रहा है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हमारे वित्त मंत्री अपनी अमरीका यात्रा के दौरान वहां के कुछ उद्योगपतियों से मिले थे और उन्होंने उनको यह समझाया था कि भारत में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है ? यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं बैंकरों से मिला था जिनमें उद्योगपति भी सम्मिलित थे । मैंने यह नहीं कहा कि भारत में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्ज्वल है ।

†श्री हेम बरुआ: मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था क्योंकि उनकी यात्रा का उद्देश्य अमरीकी उद्योगपतियों को भारत में विनियोजन करने के लिए आकृष्ट करना था । क्या उन्होंने अपने विनियोजनों के भविष्य के सम्बन्ध में शिकायत की थी ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं । जो सूचना उन्होंने चाही थी वह दी जा चुकी है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : अन्य देशों में उद्योगों के दो भेद किये जाते हैं—सामरिक महत्व के और गैर-सामरिक महत्व के । क्या हमारी सरकार भी इस प्रकार का भेद रखती है और, यदि हां, तो अमरीका अथवा किसी अन्य देश ने पेट्रोलियम उद्योग में इतना अधिक विनियोजन कैसे किया जो कि एक सामरिक महत्व का उद्योग है ?

†श्री ब० रा० भगत : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का सामरिक महत्व के उद्योग से क्या तात्पर्य है । यदि उनका तात्पर्य सुरक्षा अथवा सैनिक नीति से है तो हम उसकी अनुमति नहीं देते हैं । और भी अनेक प्रकार के भेद हैं । उन्हें पेट्रोलियम उद्योग में विनियोजन करने की

†मूल अंग्रेजी में

अनुमति बहुत विशेष परिस्थितियों में दी गई है और सरकार का यह पक्का विश्वास था कि उन समवायों को इन रियायतों की अनुमति दिये बिना इस उद्योग का विकास करना सम्भव नहीं था ।

†श्री दी० चं० शर्मा : वित्त मंत्री अमरीका से और किन उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : मैं किसी से भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि वह बैंकरों, उद्योगपतियों और अन्य व्यक्तियों से भेंट करने के लिए अमरीका गये थे । क्या उनका तात्पर्य यह है कि वह बिना किसी कार्य के गये थे ?

†श्री मोरारजी देसाई : मैं विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने गया था न कि किसी व्यक्ति से मिलने । परन्तु चूंकि मैं वहां गया ही था तो मैंने कुछ लोगों से भेंट अवश्य की और उनसे बातचीतें कीं । शुरूआत उन्होंने की तब मैंने उनसे बात की । परन्तु वह किसी उद्योग विशेष के लिए सहयोग प्राप्त करने का प्रश्न नहीं था । गैर-सरकारी उद्योगपति ही उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और यदि शर्तें उपयुक्त होती हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं । मैं किसी व्यक्ति से सहयोग देने के लिए नहीं कहता हूं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : जब गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र अमरीकी विनियोजन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो क्या सरकार को सामने रख कर वैसा किया जाता है ? क्या ऐसे विनियोजनों की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई नियम है ?

†श्री मोरारजी देसाई : सरकार की बिना अनुमति के कुछ भी नहीं किया जाता है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : यदि अमरीकी विनियोजक समस्त विनियोजन किन्हीं विशेष उद्योगों में करना चाहें तो क्या उस पर आपका कोई नियंत्रण है ? क्या इस विषय पर आपके कोई नियम हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : जैसा कि मैं कह चुका हूं सरकार की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं किया जाता है ।

पश्चिमी बंगाल में तेल अन्वेषण

+

†*१४९२. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी और अन्य विशेषज्ञों के विचार में पश्चिम बंगाल में तेल मिलने की काफी सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रदेश में तेल मिलने की सम्भाव्यताओं की खोज करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत-स्टैनवैक पेट्रोलियम परियोजना द्वारा खोज और छिद्रण कार्य किए गए थे परन्तु चूंकि कोई तेल अथवा गैस नहीं मिली वह परियोजना छोड़ दी गई है। अग्रेतर खोज के संबंध में अभी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है ?

†श्री के० दे० मालवीय : नहीं, श्रीमान् । पश्चिम बंगाल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है और न तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से ही किसी पक्ष से सहयोग लेने का कोई प्रस्ताव आया है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का कार्य प्रारंभ करने के लिए क्षेत्र का निर्णय कर लिया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, स्टेंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी द्वारा वहां एक लगभग १०,००० वर्ग मील का क्षेत्र चुना गया था। अभी हमने उस क्षेत्र में अग्रेतर खोज करने के बारे में निर्णय नहीं किया है। परन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भाग में खोज करने का विचार कर रहा है जो उसे दिए गए थे ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सर्वेक्षण के लिए निर्धारित समस्त क्षेत्रों का कार्य समाप्त हो गया है?

†श्री के० दे० मालवीय : नहीं, श्रीमान् । हम उपलब्ध भूतत्वीय जानकारी से यह जानते हैं कि अब हमें पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में खोज करनी चाहिए। इसीलिये मैंने यह कहा था कि हमने खोज के लिए अभी तक क्षेत्रों का चुनाव नहीं किया है। परन्तु हम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में अपना सर्वेक्षण बढ़ाने का विचार कर रहे हैं जहां स्टैनवैक कम्पनी को रियायत दी गई है और कूच-बिहार की ओर भी ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने स्टैनवैक कम्पनी से यह मालूम किया है कि उसने पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज के लिये किस प्रकार के प्रयत्न किए हैं और क्या सरकारी उन प्रयत्नों से संतुष्ट है?

†श्री के० दे० मालवीय : हमने उनसे बहुत सी सूचना प्राप्त की है। हम उस समस्त सूचना का कोई नया दृष्टिकोण निकालने के विचार से अध्ययन कर रहे हैं।

लड़कियों के लिये पालीटेकनीक संस्थायें

†*१४९४. श्री नंजप्प : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी प्रदेश में लड़कियों के लिये १० पालीटैकनीक संस्थाएं शुरू करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) इनमें किन विषयों की शिक्षा दी जायेगी ;

(ग) इनमें प्रत्येक पर कितना पूंजी-व्यय होगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इनमें से प्रत्येक संस्था में कितनी लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) दक्षिणी प्रदेश के राज्यों की तीसरी पंच वर्षीय योजनाओं में योजनावधि में लड़कियों के लिए दस प्रविधिक संस्थाओं की स्थापना का उपबन्ध है।

(ख) से (घ). इन संस्थाओं के लिए विस्तृत योजना और लागत के प्राक्कलन अभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाने हैं।

†श्री नंजप्प : प्रवेश के लिए प्रविधिक योग्यता और आयु-सीमा क्या निर्धारित की गई है ?

†डा० म० मो० दास : जैसा कि मैं कह चुका हूं, विस्तृत योजना राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जानी हैं। इसलिए मेरे लिए उस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, हमने एक आदर्श योजना बाई है जिसमें तीन विभिन्न कोर्सों का सुझाव दिया गया है– एक ११ से १४ वर्ष के आयु वर्ग के लिए, दूसरा १४ से १७ के लिए और तीसरा १७ से २० वर्ष के आयु वर्ग के लिये। उनके लिए भिन्न भिन्न शिक्षा संबंधी योग्यतायें निर्धारित हैं।

†श्री नंजप्प : क्या किसी पॉलीटेक्नीक के लिए व्यवसायों के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†डा० म० मो० दास : वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। लड़कियों को प्रविधिक शिक्षा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा एक आदर्श योजना तैयार की गई है। यह योजना राज्य-सरकारों को परिचालित की गई है। हमने उनसे कहा है कि वे या तो इसे स्वीकार करके क्रियान्वित करें या अपने सुझाव हमारे पास भेजें। हमें उनसे कोई भी सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं।

†श्री राधेलाल व्यास : यह आदर्श योजना देश के समस्त राज्यों को परिचालित की गई है अथवा केवल दक्षिण के राज्यों को ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तीसरी योजना में समस्त देश के लिए कितनी प्रविधिक संस्थाओं का उपबन्ध किया गया है ?

†डा० म० मो० दास : मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आदर्श योजना समस्त राज्यों को परिचालित की गई है। तीसरी योजना में लड़कियों के लिए अस्थायी तौर से स्थापित किए जाने वाले पालीटेकनीकों और प्रविधिक संस्थाओं की कुल संख्या २७ है। इन से दस दक्षिण के चार राज्यों अर्थात् आन्ध्र, मैसूर, मद्रास और केरल में होंगी।

†श्री थानू पिल्ले : क्या इन पालीटेकनीकों में वही विषय पढाए जायेंगे जो कि लड़कों के पालीटेक्नीकों में होते हैं अथवा उनसे भिन्न होंगे ? यदि हां, तो कौन कौन से विषय पढ़ाए जायेंगे ?

†डा० म० मो० दास : वे सामान्य पालीटेक्नीकों से भिन्न होंगे। हमारे मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की गई है जो १५ साइकिलोस्टाइल्ड पृष्ठों में है। यदि सभा चाहे तो मैं उसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : उसे पुस्तकालय में रख दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : इन संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए जायेंगे ?

†डा० म० मो० दास : योजना के संबंध में अभी अंतिम निर्णय किया जाना है। हमने आदर्श योजना परिचालित की है और उसको राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया जायेगा अथवा उसे बदला जायेगा ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : प्रश्न का भाग (घ) प्रत्येक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या से संबंधित है। मैं योजना का निर्देश नहीं कर रहा हूं चाहे वह कुछ भी हो । मैं केवल यह जानना चाहता हुं कि क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की लड़कियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए गए हैं ?

†डा० म० मो० दास : भारत सरकार द्वारा तैयार की गई आदर्श योजना में इस चीज को स्थान नहीं मिला है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : ऐसा क्यों ?

†अध्यक्ष महोदय : संभवत: वह योजना का अंग होगा । प्रश्नों का घंटा समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विनिषिद्ध अफीम

†*१४९१. श्री वासनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६०–६१ में विनिषिद्ध अफीम की बहुत सी मात्रा पकड़ी गयी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में चलाये गये मुकदमों का ब्यौरा क्या है ?

(क) वर्ष १९६०–६१ में १४७ मन ९ सेर और २८ तोला (लगभग ५४९५ किलोग्राम) अफीम पकड़ी गई जब कि वर्ष १९५९ में १७४ मन २० सेर और २६ तोला (लगभग ६५१३ किलो ग्राम) अफीम पकड़ी गई थी ।

(ख) समस्त मामलों में संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा मुकदमे चलाए गए हैं ।

कासीपुर आयुद्ध कारखाने में ट्रैक्टरों का निर्माण

†*१४९३. श्री अरविन्द घोषाल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कासीपुर के आयुध कारखाने में भारी ट्रेक्टरों का निर्माण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रेक्टर बनाये गये हैं और एक ट्रैक्टर के निर्माण पर कितनी लागत आई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मार्च, १९६१ के अन्त तक कासीपुर की गन एण्ड शैल फैक्टरी में २४१ ट्रैक्टर (१२२ डी०-१२०, ६४ डी०-८० और ५५ डी०-४०) बनाए गए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य निम्न प्रकार हैं :

डी०-१२० .	१,२१,००० रुपए
डी०-८०	७८,४८० रुपए
डी०-४०	३९,००० रुपए

ये मूल्य अभी तक प्रयोग में लाये गए आयातित ट्रैक्टरों के मूल्यों से २५ से ३० प्रतिशत कम हैं। उत्पादन लागत इन विक्रय-मूल्यों से कम है।

राजभाषा के लिये दूसरा आयोग

†*१४९५. श्री कालिका सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री आचार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा के बारे में दूसरे आयोग की नियुक्ति नहीं की जा रही ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में संविधान के आदेशात्मक उपबन्धों का परिपालन न करने के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). दूसरे आयोग के विचारार्थ कोई ताजे आंकड़े अथवा नयी बातें नहीं हैं। अतः सरकार ने निश्चय किया है कि इस समय दूसरा आयोग नियुक्त न किया जाये।

(ग) सरकार को बताया गया है कि यह व्यवस्था अधिदेशित नहीं है।

चाय बागान

†*१४९६. श्री न० रं० घोष :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टर्लिंग कम्पनीज ने अपने कितने चाय बागान १९५५–६० की अवधि में बेचे हैं ; और

(ख) किस कीमत पर ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

विकिरण उपचार संस्था[1]

†*१४९७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकिरण उपचार की एक संस्था खोलने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Institure of Radiation Medicine.

(ग) इस पर कितना खर्च आयेगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां । एक योजना पर विचार किया रहा जा ।

(ख) और (ग). जब योजना का ब्यौरा तैयार किया गया था तो अपेक्षित परियोजना इस स्थिति पर नहीं पहुंची थी ।

विद्युतचालित करघों पर उत्पादन कर

†*१४९८. श्री अ० मु० तारिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत चालित करघों पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के परिणाम-स्वरूप हथकरघों और विद्युत चालित-करघों से बने 'रफल' कपड़ों की उत्पादन लागतों में काफी अन्तर रहेगा;

(ख) क्या यह सच है कि इससे विद्युत चालित करघों का अस्तित्व ही खतरे मे पड़ जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व बना रहे ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हथकरघे के एककों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगता इसलिये विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । हमारे पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि २ से ४ करघो वाले ऊनी विद्युत चालित एककों पर उत्पादन-शुल्क लगाने से विद्युत चालित करघों और हथकरघा एककों में उत्पादन-लागत में कोई बड़ा अन्तर नहीं होगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सी० ओ० डी०, दिल्ली

†*१४९९. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० ओ० डी०, दिल्ली छावनी के कीमती चीजों के स्टाल में काफी कमी पायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) १९६०-६१ में कितनी हानि को बट्टे-खाते डाला गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) कीमती चीजों के स्टाक मे कोई बड़ी कमी नहीं हुई है। तथापि, सामान्य तौर पर हिसाब लगाते समय कुछ कमी का पता चला और कमी के कारणों का पता लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग). उन सभी मामलों में, जहां कमी का पता चला है, उत्तरदायित्व डालने के लिये जांच-न्यायालय स्थापित किये गये हैं अथवा किये जा रहे है। दो मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। तीन अन्य मामलों में, जांच न्यायालय में जारी है।

(घ) वर्ष १९६०-६१ की सामान्य माल की देखभाल (स्टाक-टेकिंग) के दौरान पता लगी कमी के कारण अब तक कुल १४००३.७२ रुपये की हानि को बट्टे खाते में डाला गया। इन आंकड़ों में उपरोक्त मामले और कुछ वे मामले शामिल नहीं हैं जिन पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की मंजूरी अभी नहीं मिली है।

पलाई बैंक के खातेदारों को अदायगी

†*१५००. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री कुन्हन : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई बैंक के खातेदारों को प्रारम्भिक अदायगी के मामले में और विलम्ब होने की सम्भावना ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) खातेदारों को प्राथमिक भुगतान करने के लिये परिसमापक ने न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिये हैं और कुछ मामलों में देय रकम का भुगतान भी किया गया है। कुछ कठिनाइयों के कारण भुगतान की प्रगति रुक गयी है परन्तु परिसमापक यथा संभव शीघ्र भुगतान को पूरा करने के लिये प्रयत्न कर रहा है।

रूरकेला में मोटरगाड़ियों के चालक

†*१५०१. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ मार्च, १९६१ को रूरकेला इस्पात परियोजना के मोटरगाड़ियों के लगभग २०० चालक गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें हिरासत में लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चालकों की शिकायतों को दूर कर दिया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). २५ मार्च, १९६१ को रूरकेला इस्पात संयंत्र के १६० चालक हिरासत में लिये गये थे। चालक प्रबन्धकों पर अपनी मांगें मनवाने के लिये जोर डालने के लिये रूरकेला की प्रमुख प्रशासकीय इमारत के सामने धरना दिये बैठे थे जिससे मोटर गाड़ियों का आना जाना रुक गया था। बातचीत के परिणामस्वरूप २७ मार्च को एक फैसला हो गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी

†*१५०२. श्री ब्रजराज सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले लगभग एक महीने से उत्तर प्रदेश में ईंटें पकाने के काम के लिये कोयले का सम्भरण बिल्कुल बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इसका ईंटें पकाने पर क्या असर पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के ईंटों के भट्टों के मालिकों से यह कहा है कि कोयले की उपरोक्त कमी के कारण वे जनता को ईंटें न बेचें ;

(घ) क्या जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार उत्तरप्रदेश में ईंटें पकाने के कार्य के लिये कोयले का तुरन्त सम्भरण करने का है ; और

(ङ) ईंटें पकाने के उद्योग को उनका पूरा कोटा कब तक दिये जाने की सम्भावना है ताकि वे अपना काम जारी रख सकें ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने हमें बताया है कि उन्होंने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं ।

(घ) और (ङ) तत्काल सहायता के तौर पर उत्तर प्रदेश को तदर्थ आधार पर कोयले के कुछ रेक भेजने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । दीर्घ-कालीन उपाय के तौर पर राज्य सरकार से एक योजना पर बातचीत की गयी है और इस योजना को १ जून, १९६१ से लागू करने की प्रस्थापना है । इस योजना की मुख्य बातें ये हैं :

(१) राज्य में कई डम्प बनाना ।

(२) प्रति मास बी० आर० के० की २१ खंड रेकें भेजना ।

जब मुगलसराय की ओर जुलाई, १९६१ से १९०० की बजाय २१०० वैगन चलने लगेंगे और दक्षिण और पश्चिम में तटीय राज्यों में कुछ उपभोक्ताओं को समुद्र के जरिये कोयला भेजा जाने लगेगा तो परिवहन स्थिति में कुछ सुधार की आशा होगी । तब उत्तर प्रदेश को कोयले का अधिक परिवहन संभव हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हंगरी से ऋण का प्रस्ताव

†*१५०३. { श्री सम्पत :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अरविंद घोषाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिए कुछ ऋण देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का उपयोग किन परियोजनाओं में किया जायेगा ; और

(ग) हंगरी के मंत्री के साथ, जो आजकल भारत में हैं, बातचीत मे अन्य किन विषयो पर चर्चा की गयी ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). हंगरी के प्रथम उप-प्रधान मंत्री ने, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है, बताया कि हंगरी तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये ८ करोड़ रुपये का ऋण देने को तैयार है । ऋण की शर्तों और परियोजनाओं के बारे में, जिन पर यह खर्च किया जायेगा, अभी बातचीत की जानी है ।

विदेशों को जाने वाले विद्यार्थियों की जांच-पड़ताल

†*१५०४. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री हेमराज :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में अध्ययन के लिये जाने के इच्छुक विद्यार्थियों की जांच पड़ताल करने के लिये शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : यह मामला अभी विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी

†*१५०५. {श्री भक्त दर्शन :
{श्री नवल प्रभाकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों और सशस्त्र सेना के मख्यालय के असैनिक कर्मचारियों को एक ही वर्ग में मिला देने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): यह मामला अन्तिम मरहलों पर है और शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचने की आशा है ।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

†*१५०६. {श्री विद्याचरण शुक्ल :
{श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक कर्मचारी समिति ने देश में एक अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा का गठन करने के बारे मे अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†*१५०७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रादेशिक भाषाओं के विकास में सहायता देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों के लिये बोनस

†*१५०८. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों को, जो ऐसे कोयले का सम्भरण करती हैं जिसमे राख की मात्रा कम होती है, कोयले के नियंत्रित मूल्य के अतिरिक्त कुछ रकम अदा करने की योजना लागू करने से लेकर अब तक प्रत्येक इस्पात कारखाने द्वारा कुल कितनी रकम अदा की गयी है ;

(ख) किस कोयला खान को सब से अधिक रकम प्राप्त हुई ; और

(ग) यह योजना कब तक जारी रहेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) मेसर्ज इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड . . . ७५७० रुपये

मेसर्ज मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स
मेसर्ज टाटा आइरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड } शून्य
मेसर्ज हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

(ख) मेसर्ज लोडना कोलियरीज (१९२०) लिमिटेढ

(ग) जब तक आवश्यक समझा जायेगा, योजना जारी रखी जायेगी ।

भारत में चीनी और पाकिस्तानी

†*१५०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में भारत में ऐसे कितने चीनी और पाकिस्तानी राष्ट्रजन गिरफ्तार किये गये, जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे अथवा जिनके पास जाली पासपोर्ट थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

संश्लिष्ट तेल

†*१५१०. { ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संश्लिष्ट तेल के निर्माण के प्रश्न की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसी संश्लिष्ट तेल संयत्रं स्थापित किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रविधिक दल की पोलैंड यात्रा

†*१५११. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री १० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रविधिक दल ने, जिसने पोलैण्ड की यात्रा की थी, उस देश में खानों में अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों का भी अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में दल ने क्या सिफारिशें की हैं अथवा विचार प्रकट किये हैं; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हों, तो वे क्या हैं?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पोलैण्ड को इस दल का दौरा केवल खानों सम्बन्ध तरीकों के अध्ययन के लिये ही नहीं था और इसलिये पोलैण्ड में खानों में अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विकास ऋण निधि द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान

†*१५१२. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास ऋण निधि द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को कोई ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और किन शर्तों पर ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). इस बारे में दिनांक १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

आगामी भर्ती के लिये भूतपूर्व सैनिक

†*१५१३. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा सभी प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों को ये हिदायतें भेजी गयी हैं कि भविष्य में सभी रिक्त स्थानों पर केवल भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या ये हिदायतें पहले आदेशों के साथ मेल नहीं खातीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं के भूतपूर्व असैनिक कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने ऐसे कोई आदेश नहीं जारी नहीं किये हैं कि भविष्य में प्रतिरक्षा संस्थानों में सभी रिक्त स्थानों पर भूतपूर्व सैनिक ही भर्ती किये जायें। वर्तमान आदेशों के अधीन भूतपूर्व सैनिकों और छंटनी किये गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये वही प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिरक्षा संस्थानों में रिक्त स्थान प्रथमतः प्रतिरक्षा संगठन में फालतू व्यक्तियों को लगा कर भरे जाते हैं। जो पद भरे नहीं जा सकते, उनको वर्तमान आदेशों के अनुसार काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये, भर्ती के लिये छोड़ दिया जाता है। तथापि, उन श्रेणियों के पदों को भरने में, जिनके लिये सशस्त्र सेना में पूर्व सेवा को अर्हता माना जाय, भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

तथापि, फरवरी और अप्रैल, १९६१ में सेना सदर मुकाम (आर्मी हेड क्वार्टर्स) ने गलती से कुछ आदेश जारी कर दिये थे जिनमें यह कहा गया था कि जो पद काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा भरे जाने के लिये रखे गये थे, उन पर केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही रखा जाय। तथापि, ये आदेश वापस ले लिये गये हैं।

नये विश्वविद्यालय

†*१५१४. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० चं० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने नये विश्वविद्यालय खोलने से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह लेने की प्रस्थापना के बारे में अपने विचार भेज दिय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के अतिरिक्त।

(ख) जिन राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनमें से किसी ने भी प्रस्थापना पर आपत्ति नहीं की है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले की कमी

†*१५१५. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर की कोक-भट्टियों के कार्यकरण पर कोयले की कमी का क्या प्रभाव पड़ा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कोयले के इस अनियमित सम्भरण से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को प्रत्यक इस्पात कारखाने में अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) क्योंकि आपात काल के लिये संयंत्र में कुछ भण्डार रखा जाता है, उत्पादन का सम्भरण से सम्बन्ध नहीं है। जिसका सम्बन्ध है वह कच्चे लोहे और इस्पात का उत्पादन है।

अप्रैल से अक्तूबर, १९६० के महीनों के उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

	रूरकेला		भिलाई		दुर्गापुर	
	कच्चा लोहा	इस्पात	कच्चा लोहा	इस्पात	कच्चा लोहा	इस्पात
	(मात्रा टनों में)					
अप्रैल, १९६० .	३२७८७	१५६२५	५५५३९	२३७६१	२६७९७	८४४
मई, १९६० .	२६००५	१३३६६	५६१८०	२१५३८	२४७६०	४६६४
जून, १९६० .	२६१९१	१४३६०	५६५०७	२२०३४	२१९०७	५६१४
जुलाई, १९६० .	३०५९६	१५३६०	४६०९५	२६६२७	२०८७०	७१०८
अगस्त, १९६० .	३४५५८	१७७२५	५०७१२	२३९१४	३०३९०	१०१०३
सितम्बर, १९६० .	२८४३६	११३३६	५४२४०	३०७३७	३११३९	१२७९६
अक्तूबर, १९६० .	३७५५२	१९५७०	५९८८३	३१७७९	३३९२२	१४४९७

जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं रूरकेला में उत्पादन में कठिनाई केवल कोयले की कम प्राप्ति के कारण नहीं है परन्तु इस्पात गलाने वाली दुकानों द्वारा उत्पादित सारी गर्म धातु लेने में असमर्थता के कारण और अन्य विभिन्न कारणों से धमन भट्टियों के संचालन में बाधा के कारण है। भिलाई में कोयले की कम प्राप्ति और लौह अयस्क के थोड़े भण्डार--दोनों के कारण उत्पादन पर असर पड़ा। दुर्गापुर में दूसरी धमन भट्टी के संचालन में कोयले के संभरण की कमी के कारण विलम्ब हुआ है। सरकार द्वारा की गयी विभिन्न कार्यवाही के फलस्वरूप २१ नवम्बर, १९६० को मैंने स्थिति में सुधार के बारे में बताया था। तब से दुर्गापुर में दूसरी धमन भट्टी और भिलाई में तीसरी धमन भट्टी चालू हो गयी है और वे ठीक प्रकार चल रहीं हैं। इन दो इस्पात कारखानों में मचण्ट मिलें भी चालू कर दी गयी हैं। रूरकेला में, प्रमुख फिनिशिंग मिल में उत्पादन आरम्भ हो गया है। बाकी धमन भट्टियां -- एक रूरकेला में और एक दुर्गापुर में--कुछ महीनों में, जब यह आशा हो जायेगी कि वेल्लन कार्य-क्रम में अतिरिक्त लोहे के इस्तेमाल की क्षमता है, चालू कर दी जायेंगी।

यद्यपि इसको हानि नहीं माना गया, यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त कठिनाइयां न होतीं तो उत्पादन कम से कम अप्रैल, १९६० के स्तर पर होता। कम उत्पादन से मतलब है कम बिक्री। औसतन कच्चे लोहे का मूल्य लगभग २२५ रुपये प्रति टन हैं और स्पात, स्लैब और बिलेट--का मूल्य लगभग ४०० रुपये प्रति टन है।

†मूल अंग्रेजी में

तेल अन्वेषण के लिए प्रविधिक प्रशिक्षण का स्कूल

†*१५१६. { ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल अन्वेषण के लिए प्रविधिक प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल की स्थापना करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): देहरादून में नये नियुक्त किये गये सहायक छिद्रक (असिस्टेंट ड्रिलस) और छिद्रण सहायक (ड्रिलिंग असिस्टेंट्स) के प्रशिक्षण की व्यवस्था मौजूद है ।

देहरादून में एक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान शाखा भी स्थापित की जा रही है जिसके लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष परियोजना निधि से कुछ सहायता मिलेगी ।

छिद्रण-कार्य में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये शीघ्र ही कैम्बे में एक स्कूल खोला जायेगा ।

जलौनी में गैस टर्बाइन विद्युत् केन्द्र

†*१५१७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने जलौनी में एक गैस टर्बाइन विद्युत् केन्द्र की स्थापना की है जो नाहरकटिया और मोरन तेल क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली गैस का उपयोग करने की प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विद्युत् केन्द्र चालू हो गया है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). आयल इण्डिया लिमिटेड जलोनी में एक विद्युत् केन्द्र बना रहा है जो नहरकटिया से प्राप्त प्राकृतिक गैस से चलेगा और जिसमें प्रत्येक १७६० किलोवाट के तीन गैस टर्बाइन परिवर्तन सेट होंगे । एक सेट लगाया गया है और वह इस महीने चालू किया जायेगा । दूसरा सेट मई, १९६१ के अन्त तक और तीसरा सेट अगले वर्ष के आरम्भ में चालू किया जायेगा ।

तेल की खोज का कार्यक्रम

†*१५१८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की खोज के कार्यक्रम को, जिस पर अभी हाल में देहरादून में विचार किये जाने की खबर है, अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाल ही में मुख्य बातों पर देश में तेल की खोज के लिये जिस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया है उसकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार है :

विभिन्न क्षेत्रों में भूतत्वीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण को गहन रूप दिया जायेगा। अहमदाबाद, सूरत (ओलपाद), गुजरात में अकालजुनी और लकवा में और आसाम में टियोक में नये परीक्षण कुओं का छिद्रण किया जायेगा। कैम्बे, अंकलेश्वर और रुद्रसागर में गहरे छिद्रण-कार्य को गहन रूप दिया जायेगा और जानौरी में यह कार्य जारी रखा जायेगा। भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने के लिये पंजाब में फिल्लौर के निकट एक गहरे कुंए का छिद्रण किया जायेगा और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में उझानी के निकट एक गहरे कुएं का छिद्रण किया जायेगा। भूभौतिकीय सर्वेक्षण के परिणामों के अधार पर, स्तरचित्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिये कावेरी बेसिन में एक उपयुक्त स्थान पर छिद्रण-कार्य किया जायेगा। गुजरात में गोधा में और कूच बिहार में संरचना छिद्रण-कार्य किया जायेगा। इस योजना की कुल अनुमानित लागत, जिसमें अन्य सम्बद्ध खर्चे भी शामिल हैं, वर्ष १९६१-६२ में २१.५ करोड़ होने की संभावना है।

पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

†३२१८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के पिछले छः महीनों में पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े ;

(ख) वर्ष १९५९ के इसी अवधि के आंकड़ों से इन आंकड़ों की क्या तुलना है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी और किस प्रकार की सजा दी गयी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). वर्ष १९५९ की अन्तिम छमाही में पकड़े गये १२५ मामलों की तुलना में भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने वर्ष १९६० के अन्तिम छः महीनों में पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार के १११ मामले पकड़े।

(ग) उपरोक्त अवधि में (अर्थात् जुलाई—दिसम्बर, १९६०) ३८ व्यक्तियों को १५ रुपये से लेकर दो महीने की कड़ी सजा तक का दण्ड दिया गया।

गाजा में भारतीय सैनिक

†३२१९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गजा में कितने भारतीय सैनिक हैं ;

(ख) वहां पर उनके कार्याबल की अवधि क्या है ;

(ग) क्या इन्हें हां किन्हीं विशेष शर्तों पर भेजा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) १२५५।

(ख) एक वर्ष।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२]

दिल्ली में शराब की दूकानें

†३२२०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शराब की कितनी दुकानें हैं ;

(ख) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में कितनी शराब की खपत हुई ; और

(ग) क्या वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ की अपेक्षा इस मात्रा में वृद्धि हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३]

(ग) हल्की शराब जैसे 'बीयर आदि के मामलों के अतिरिक्त विदेशी शराब की खपत में कुछ कमी हुई है । देशी शराब के मामले में भी इसके मद्यसारिक तत्वों के बारे में कमी हुई है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य बैंक की शाखाओं का खोला जाना

†३२२१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंजाब में उतनी शाखायें खोल ली हैं जितनी खोलनी चहिये थीं ;

(ख) इस समय जिलावार पंजाब में क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहिले सभी सब-डिवीजनल सदर-मुकामों पर ये शाखायें खोली जायेंगी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च, १९६१ के अन्त तक भारत के राज्य बैंक ने पंजाब में भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ की धारा १६ (५) के अधीन अनुमोदित २५ स्थानों में से २४ स्थानों पर शाखायें खोली हैं ।

(ख) एक सूची संलग्न है जिसमें पंजाब में ज़िलावार उन स्थानों के नाम दिये गये हैं जहां भारत के राज्य बैंक की शाखायें हैं । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३४]

(ग) केवल कुल्लू एक ऐसा मंजूरशुदा केन्द्र बाकी बचा है जहां शाखा खोली जानी बाकी है । अभी बाकी सब-डिवीज़नल केन्द्रों में से कोई भी मंजूर नहीं किया गया है परन्तु भारत का राज्य बैंक एक शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गैर-भारतीय तम्बाकू समवाय

†३२२२. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी समवायों ने वर्ष १९५९–६० में कितना लाभ कमाया ; और

(ख) उसी अवधि में इन समवायों ने भारत से कितना लाभ और लाभांश बाहर भेजा ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : रक्षित बैंक के अनुसार ये आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

(२) १९६ लाख रुपये ।

(ख) ८९ लाख रुपये ।

जीवन बीमा निगम के पालिसी-होल्डरों को बोनस

†३२२३. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९ के लिये जीवन बीमा निगम के पालिसी-होल्डरों को बोनस की घोषणा कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पालिसी होल्डरों को बोनस दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बोनस न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५९ को निगम की आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन और बोनस देशनांक निर्धारण करने का काम बहुत भारी और पेचीदा किस्म का है । निगम को इस समस्या का पता है और बोनस के वर्ष १९६१ के मध्य तक घोषित किये जाने की आशा है । उसके बाद शीघ्र ही बोनस कार्ड तैयार किये जाने का कार्य आरम्भ किया जायगा ।

महाराष्ट्र में भारत के राज्य बैंक की शाखायें

†३२२४. श्री पांगरकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में महाराष्ट्र में भारत के राज्य बैंक की कोई शाखा खोली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे कहां पर खोली गयी हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) और(ख). वर्ष १९६०–६१ में भारत के राज्य बैंक ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्थानों पर आठ शाखायें खोली हैं :

१. वारूद

२. धरनगांव

†मूल अंग्रेजी में

३. सावन्तवाडी

४. उमरेर

५. काम्पटी

६. वेन्गुरला

७. माहद

८. सतना (बगलान)

कच्चे लोहे के बिलट

† ३२२५. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कच्चे लोहे और इस्पात के कितने बिलट्स (टुकड़े) का भंडार था; और

(ख) इसके इकट्ठा होने के क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क)

कच्चा लोहा	२७,१३६ मीटरिक टन
बिलट	८,३५५ मीटरिक टन

(ख) रेलवे प्रतिबन्धों और उपभोक्ताओं की प्रार्थना पर संभरण को अस्थायी रूप से रोकना। तब से यह स्टाक समाप्त कर दिया गया है।

गुजरात में बौक्साइट के निक्षेप

†३२२६. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय विभाग ने गुजरात के मेहसाना जिले में बौक्साइट के निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके खनन की क्या संभावना है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विमान-पोत 'विक्रान्त'

†३२२७. श्री कालिका सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हारलैण्ड एंड वोल्फ से खरीदे गये और ब्रिटेन के बैलफास्ट शिपयार्ड में उतारे गये प्रथम विमान पोत 'विक्रान्त' का टन-भार कितना है और उसमें कितना स्थान है ;

(ख) 'विक्रान्त' को, जिसका पूर्व नाम 'हरकुलिस' था, शिपयार्ड में कब रखा गया और यह कब जलावतीर्ण किया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) 'विक्रान्त' कितने विमान ले जायेगा और विमान ले जाने की इसकी पूरी क्षमता कितनी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग). विमान-पोत 'आई० एन० एस० विक्रान्त' का स्टैण्डर्ड भार १६,००० टन है। यह ब्रिटेन की सरकार से खरीदा गया था न कि मेसर्ज हारलैण्ड एंड वोल्फ़ से। विमान वाहक १४ अक्तूबर, १९४३ को रखा गया था और इसे प्रथम बार २२ सितम्बर, १९४५ को जलावतीर्ण किया गया।

विमान-पोत के कुल स्थान, यह कितने जहाज ले जायेगा, और इसकी पूरी क्षमता—ये बातें बताना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं हैं।

दिल्ली के उच्च माध्यमिक स्कूलों के ड्राइंग के शिक्षक

†३२२८. श्री इन्द्रजी गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि सरकार द्वारा दिल्ली के उच्च माध्यमिक स्कूलों में ज्यो-मेट्रिकल तथा मेकेनिकल ड्राइंग के शिक्षकों के रूप में भर्ती करने के लिय कौन कौन सी डिग्रियां/डिप्लोमे स्वीकार किये गये हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : उच्च माध्यमिक स्कूलों में (ज्योमेट्रिकल तथा मेकेनिकल) ड्राइंग पढ़ाने के लिये शिक्षकों के लिय निम्नलिखित मल शिक्षात्मक अर्हतायें निम्न-लिखित हैं :—

मैट्रिक और कम से कम तीन वर्ष की अवधि के पूर्वकालिक कोर्स का आर्ट तथा ड्राइंग में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र (या पांच वर्ष की अवधि का अंशकालिक कोर्स) जैसा कि नीचे दिया गया है :—

(क) दिल्ली पोलिटेक्निक या इसी स्तर की किसी और संस्था में तीन वर्ष का पूर्व-कालिक डिप्लोमा कोर्स (अथवा पांच वर्ष का अंशकालिक प्रमाण पत्र कोर्स)

अथवा

(ख) इन्टरमिडियेट नेशनल डिप्लोमा कोर्स—फाइन आर्ट, दिल्ली पोलिटेक्निक (१९५५ से आगे)

अथवा

(ग) गवर्नमेंट स्कूल आफ़ आर्ट शिमला से चार वर्ष का आर्ट मास्टर का कोर्स।

भारतीय पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी

†३२२९. श्री वें० प० नायर : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पेड़-पौधों तथा पशु-पक्षियों के बारे में विस्तृत ब्योरे तैयार करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस ब्योरे को तैयार करने में लगभग कितना समय लग जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

† वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५]

(ख) जैसा कि विवरण से ज्ञात होगा, पर्याप्त कार्य किया जा चुका है । परन्तु पर्याप्त कार्य करना शष भी रह गया है । देश के अधिकांश भागों के पेड़ पौधों की अभी खोज करनी है । इसी प्रकार से पशु पक्षियों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त खोज का कार्य करना रहता है । यह एक दीर्घ-कालीन कार्य है, इसलिये कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ।

उड़ीसा के न्यायालयों में विचाराधीन मामले

† ३२३०. श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में एक लम्बी अवधि से विभिन्न राजस्व विभागीय कमिश्नरों के न्यायालयों में कई मामले विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के प्रति वर्ष में प्रत्येक न्यायालय में कितने मामले दायर कराये गये थे;

(ग) अभी तक कितने मामले निबटाये जा चुके हैं;

(घ) कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

† गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३६]

(ङ) अत्यधिक वर्षा होने के कारण राजस्व विभागीय कमिश्नरों को अधिक समय सुरक्षा तथा सहायता सम्बन्धी कार्यवाहियों की कार्यान्विति की ओर देना पड़ा था । राजस्व बोर्ड के सदस्य ने हाल ही में राजस्व विभागीय कमिश्नर के न्यायालय का निरीक्षण किया है और मामलों के शीघ्र निबटाने के लिये हिदायतें जारी कर दी हैं ।

रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने

† ३२३१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में रूरकेला तथा दुर्गापुर की धमन भट्टियां कितनी बार बन्द हो गयी थीं ?

† इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

रूरकेला—धमन भट्ठी संख्या १ को ३ फरवरी, १९६१ को भट्ठी को चोटी पर रिसीविंग हॉपर की मरम्मत करने के लिये बन्द कर दिया गया था । इसी भट्ठी को ३ मार्च, १९६१ को भी भट्ठी खराब हो जाने की वजह से बन्द कर दिया गया था । ३३ घण्टों में आवश्यक मरम्मत कार्य पूरे किये गये थे । भट्ठी को पूरी मरम्मत के लिये ८ से १५ मार्च तक फिर से बन्द रखा गया ।

दुर्गापुर :—इस अवधि में दुर्गापुर में काम बिल्कुल बन्द नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पौलिटेक्निक संस्थायें

†३२३२. श्री दो० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में दो पोलिटैक्निक सस्थायें खोलने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : आशा है कि ओखला में पोलिटैक्निक संस्था में, जुलाई १९६१ से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। उसकी इमारतों के निर्माण के लिये ३५ एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया गया है। जब तक नयी इमारतें नहीं बनती तब तक के लिये ओखला की औद्योगिक बस्ती में कुछ इमारतों में इस संस्था को अस्थायी रूप से प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

इसकी इमारतों के निर्माण, उपकरणों की खरीद और संस्था के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के लिये १९६१–६२ के आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी है।

पूसा में पोलिटैक्निक संस्था के लिये इमारतें बनाने के लिये दिल्ली प्रशासन के पास भूमि उपलब्ध है। आशा है कि वह संस्था १९६२ में चालू हो जायेगी। कोटेवार योजनायें और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

उत्तर सिक्किम रोड

†३२३३. श्री दो० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सिक्किम रोड के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). इस समय यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक

†३२३४. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को किस तिथि से बढ़ा हुआ भत्ता अर्थात् २७.५० नये पैसे प्रतिमास मिलेगा ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जानकारी उड़ीसा सरकार से मांगी गयी है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में पिछड़े हुए ईसाइयों के लिये शिक्षा सम्बन्धी रियायतें

†३२३५. { श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि उस राज्य की अनुसूचित जातियों को दी जा रही शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य रियायतों को पिछड़े हुए ईसाइयों को भी देने के लिये कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में खनन लाइसेंस

†३२३६. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० तथा १९६०–६१ में पंजाब में खानों की खोज तथा खनन सम्बन्धी लाइसेन्सों के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई लाइसेन्स दे दिये गये हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७]

मैसूर में भूमिगत पानी के संसाधन

†३२३७. श्री पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में भूमिगत पानी के संसाधनों के सम्बन्ध में कोई ब्यौरेवार सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) क्या सभा-पटल पर इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा रखा जायेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं । मैसूर राज्य के अधिकांश भागों में सख्त पत्थर की चट्टानें हैं जिनमें भूमिगत पानी नहीं है । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने अभी तक उन नरम चट्टानों के क्षेत्रों में भूमिगत जांच की है जहां पानी की सम्भावना हो सकती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात के पिंडों का निर्यात

†३२३८. { श्री नथवानी :
श्री मुरारका :

क्या इस्पात , खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के पिंडों का किस दर से पश्चिमी जर्मनी को निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) किस दर से पाइपों का आयात किया जा रहा है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पश्चिमी जर्मनी को इस्पात पिंडों का निर्यात नहीं किया जा रहा है । हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी ने पश्चिमी जर्मनी को ७४.७८ डालर की दर पर कुछ स्लैब बेचे गये थे ।

(ख) उत्तर समुद्री पत्तन पर १६५.०० डालर प्रति मीट्रिक नौका पर्यन्त निशुल्क ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात कारखानों में उत्पादन का नुक्सान

†३२३६. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण प्रत्येक इस्पात कारखाने में उत्पादन में कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) उसकी कितनी कीमत होगी; और

(ग) इस समय क्या स्थिति है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : (क) से (ग). क्योंकि आपात काल का मुकाबिला करने के लिये कारखानों के स्थानों पर कुछ स्टाक जमा कर दिया जाता है, इसलिये उत्पादन का सम्भरण से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। कच्चे लोहे तथा इस्पात का उत्पादन ही वास्तव में संगत है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है उत्पादन में कठिनाइयां केवल कोयले के असन्तोष-जनक ढंग से सम्भरण के कारण ही नहीं हैं। जून, जुलाई और अगस्त, १९६० के महीनों में कच्चे लोहे और इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित रहा है :

		जून टन	जुलाई टन	अगस्त टन
रूरकेला .	कच्चा लोहा	२६,१९१	३०,५९६	३४,५५८
	इस्पात	१४,३६०	१५,३६०	१७,७२५
भिलाई .	कच्चा लोहा	४६,५०७	४९,०९५	५०,७१२
	इस्पात	२२,०३४	२६,६२७	२३,९१४
दुर्गापुर .	कच्चा लोहा	२१,९०७	२०,८७०	३०,३९०
	इस्पात	५,६१४	७,१०८	१०,१०३
जमशेदपुर .	कच्चा लोहा	१२०,३१५	१०५,७१८	१२६,६४५
	इस्पात	१२३,८४५	१२०,२१	१२६,८२१
बर्नपुर .	कच्चा लोहा	७८,८६५	७१,३६०	९८,५८५
	इस्पात	६८,०५१	६१,९६५	७८,०२०
भद्रावती .	कच्चा लोहा	४,६०१	४,६१३	६,५२५
	इस्पात	४,६२७	४,३२४	४,१४६

†मूल अंग्रेजी में

मई, १९६० में उत्पादन निम्नलिखित था :—

		टन
रूरकेला .	कच्चा लोहा	२६,००५
	इस्पात	१३,३६९
भिलाई .	कच्चा लोहा	५६,१८०
	इस्पात	२१,५३८
दुर्गापुर .	कच्चा लोहा	२४,७६०
	इस्पात	४,६९४
जमशेदपुर .	कच्चा लोहा	१२१,९६८
	इस्पात	१२०,७२९
बर्नपुर .	कच्चा लोहा	८२,५८२
	इस्पात	७०,४५३
भद्रावती .	कच्चा लोहा	४,६८९
	इस्पात	४,४८४

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इससे कोई नुकसान हुआ है। इससे यही तात्पर्य है कि बिक्री कम हुई है। कच्चे लोहे की औसत कीमत लगभग २२५ रुपये प्रतिटन है और इस्पात के बिलेटों तथा स्लैबों की औसत कीमत लगभग ४०० रुपये टन है और अन्य प्रकार की इस्पात के कीमतें लगभग ६०० रुपये टन है। इस समय किसी भी कारखाने में कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कमी नहीं पैदा हुई है।

२ दिसम्बर, १९६० से दुर्गापुर की दूसरी धमन भट्टी और भिलाई की तीसरी धमन भट्टी चालू कर दी गयी है। रूरकेला में प्रमुख फिनिशिंग मिल भी प्रारम्भ कर दी गयी है और पुनर्वेलन कार्यक्रम की गति भी निरन्तर बढ़ रही है। आशा है कि रूरकेला और दुर्गापुर की शेष एक एक धमन भट्टियों को भी शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा।

मंत्रियों के दौरे

†३२४०. { श्री विभूति मिश्र :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय मन्त्रियों एवं उपमन्त्रियों के दौरों पर कुल कितनी राशि खर्च आई थी;

(ख) क्या मन्त्रियों के वार्षिक दौरों के लिये कोई राशि निर्धारित है।

(ग) क्या मन्त्रियों द्वारा की जाने वाले रेल तथा विमान यात्राओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित है; और

(घ) क्या यह सच है कि मन्त्री अधिकांश दौरे विमानों से ही करते हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :

(क) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ख) प्रति वर्ष प्राक्कलित खर्च के आधार पर आय व्ययक में व्यवस्था की जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

नागार्जुनकोंडा में खुदाई

†३२४१. श्री नरसिंहन् : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री २० दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें उल्लिखित कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों ने (१) नागार्जुनकोंडा के आने से पहले कौन-कौन सी पुस्तकें लिखीं थीं और (२) आने के बाद क्या क्या लिखीं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (१) और (२) प्रागैतिहासिक तथा एतिहासिक पुरातत्व विद्या ।

दक्षिणी ध्रुव को अभियान

†३२४२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लेफ्टीनेन्ट राम चरण, जो कि आस्ट्रेलिया के दक्षिणी ध्रुव के अभियान दल में शामिल हुए थे, वापिस आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने अनुभवों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पेश की है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अफसर ने एक रिपोर्ट लिखी थी, परन्तु उसे पेश करने से पहले ही वे एक सड़क दुर्घटना में मर गये थे । वह रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है और इस समय सरकार के पास है ।

रूस में यौगिक अभ्यास की आलोचना

†३२४३. { श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रूस ने भारत में किये जाने वाले यौगिक अभ्यास की कटु आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो रूस की इस धारणा को शुद्ध करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) रूसी पत्रिका 'ज़दरोविय' (स्वास्थ्य) के दिसम्बर, १९६० के अंक में रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की शारीरिक स्वास्थ्य अनुसंधान समिति द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष का उल्लेख है कि योग स्वस्थ व्यक्तियों के अभ्यास के लिये उपयोगी नहीं है, और रोगियों के लिये तो और भी कम उपयोगी है । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सामग्री उपस्थित नहीं की गयी है ।

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक प्रबन्ध पूल

†३२४४. श्री दामानी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रबन्ध पूल के लिये चुने हुए सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गयी है, उनके ब्यौरे क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) केवल ५ अभ्यर्थी रह गये हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ग्रेड १ (१६००--१००--२००० रुपये)

१. ए० डी० हीरानन्दानी ।

२. ए० आर० रवि वर्मा ।

ग्रेड ५ (१३००--६०--१६०० रुपये)

३. अजायब सिंह :

४. सी० ए० आहूजा ।

ग्रेड ६ (१०००--५०--१४०० रुपये)

५. मिस सी० ए० राधा बाई

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†३२४५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में ऐसे कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं जिनके पास ३ महीनों से अधिक समय के लिये वीसा है और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वीसा की अवधि बीत जाने के बाद भी यहां ठहरे हुए हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखे दी जायगी ।

संस्कृत का प्रचार

†३२४६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे संस्कृत के प्रचार के लिये वर्तमान प्रबन्धों के बारे में पुनर्विलोकन करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे उत्तर प्राप्त हो गये हैं ; और

(ग) उन उत्तरों में सामान्य रूप से क्या लिखा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) भारत सरकार ने संस्कृत के अध्ययन तथा प्रचार सम्बन्धी कार्यों में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों को कई कार्यवाहियों के लिये सुझाव दिय हैं, और वे मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं :—

(१) वे तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में संस्कृत के प्रचार के लिये पर्याप्त व्यवस्था करें और संस्कृत को उपयुक्त स्थान देने के लिए आवश्यक योजनायें भजें।

(२) पाठशालाओं में संस्कृत शिक्षा के पुनर्गठन की दृष्टि से केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिश के अनुसार प्रस्तावित संस्कृत परीक्षायें प्रारम्भ करें।

(३) मातृ भाषा या प्रादेशिक भाषा के साथ एक शास्त्रीय भाषा अपनाने के लिय छात्रों को प्रोत्साहित किया जाय और उस भाषा में पास होना अनिवार्य निश्चित कर दिया जाय।

(४) संस्कृत के लिये विशेष रूप से अलग रखी जाने वाली स्थायी निधि की स्थिति के सम्बन्ध में जांच करना।

(५) इस बात का ध्यान रखना कि विभिन्न विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतनक्रम आदि में कोई अन्तर न हो।

(ख) और (ग). आसाम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर के संघ राज्य-क्षत्रों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में संस्कृत के अध्ययन तथा प्रचार के लिये आवश्यक व्यवस्था कर दी है।

(२) प्रस्तावित संस्कृत की परीक्षाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह सुझाव अभी पिछले महीने ही भेजा गया है।

(३) सभी राज्य सरकारों से जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। उपलब्ध होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(४) जहां तक संस्कृत के लिये अलग रखी गई स्थायी निधि की जानकारी का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों तथा दिल्ली प्रशासन से जानकारी प्राप्त हो गयी है। आसाम, गुजरात, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल सरकारों से अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(५) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली, त्रिपुरा, नेफा, पांडिचेरी प्रशासनों ने यह सूचित किया है कि उनके क्षेत्रों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के वेतन क्रमों में कोई अन्तर नहीं है। बिहार और मनीपुर से केवल अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं। शेष राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार न्यायालयों की स्थापना की योजना

†३२४७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने यह सुझाव दिया है कि पारिवारिक झगड़ों को निपटाने के लिये जापान के समान ही भारत में भी परिवार न्यायालय स्थापित किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस बारे में विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत में तेल शोधक कारखाने

†३२४८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तेल शोधक कारखानों की स्थापना के लिये भारतीय उपक्रमों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ;

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नैवेली लिग्नाइट निगम में नियुक्ति

†३२४९. श्री ईलयापेरूमाल: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से १९६० तक कुशल तथा अकुशल (व्यक्तियों के) पदों के लिए नैवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड के चुनाव बोर्ड के पास कितने आवेदन पत्र पहुंचे ;

(ख) १९५८ से १९६० तक कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए; और

(ग) वह क्यों अस्वीकृत किये गये ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। परियोजना बहुत बड़ी है और कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया

†मूल अंग्रेजी में

बराबर चलती रहती है। मांगें गये आंकड़े इकट्ठे करने में जो समय और मेहनत लगेगी वह उससे प्राप्त परिणाम के अनुरूप नहीं होगी।

नेवेली लिग्नाइट निगम के लिए अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसे बताने वाला एक नोट संलग्न है।

नोट

कर्मचारियों के पदों सहित सभी श्रेणियों के पदों के लिए निश्चित योग्यताएं निर्धारित रहती हैं। एक चुनाव समिति होती है जो उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता जांचने के उद्देश्य से आवेदन पत्रों की छानबीन करती है। पदों पर भर्ती के लिए निगम अपने वर्तमान कर्मचारियों की पदवृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार करता है और मद्रास, कोयम्बटूर, कुड्डलोर और पांडिचेरी के काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये उचित उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करता है। कार्यपालिका और तकनीकी पदों के संबंध में, रिक्त स्थानों का विज्ञापन संपूर्ण भारत में किया जाता है सरकारी विभागों और दूसरी कम्पनियों से भी व्यक्ति प्राप्त किये जाते हैं बशर्ते कि चुनाव समितियां उन्हें उपयुक्त समझें। एक अप्रेन्टिस ट्रेनिंग स्कीम भी है और जो लोग प्रशिक्षण के बाद इसमें योग्यता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें निरीक्षक तकनीकी कर्मचारी और कारीगरों की मध्यवर्ती श्रेणी में नियुक्त किया जाता है।

मेकांग परियोजना

†३२५०. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार लाओस, कम्बोडिया, थाइलैंड और दक्षिण वीयतनाम की सहायता करने के लिए मेकांग परियोजना में सम्मिलित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने व्यापक छानबीन करने के लिए १२ $^1/_2$ लाख रुपये देना मंजूर किया है ताकि मेकांग नदी परियोजना के टोनले सैप क्षेत्र में बांध के लिए डिजाइन और परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सके।

उड़ीसा में शिक्षकों के लिए क्वार्टर

†३२५१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा विस्तार योजना के अधीन उड़ीसा के लिए मंजूर किये गये ४०८ क्वार्टरों में से अब तक वास्तव में शिक्षकों के कुल कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं; और

(ख) प्रत्येक जिले में कितने कितने क्वार्टर हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गयी है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों द्वारा वेतन में स्वेच्छा से कटौती

३२५२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों उप-मंत्रियों, और सभा-सचिवों ने स्वेच्छा से अपने वेतन तथा भत्ते में कटौती की है और प्रत्येक ने कितनी कटौती की है ;

(ख) वर्ष १९५९–६० में उनमें से प्रत्येक को कितना वेतन दिया गया ;

(ग) क्या सरकार की यात्रा भत्ता और अन्य व्यय कम करने की नीति है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें दी हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) : सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) और (घ). जून १९५७ में ऐसी हिदायतें जारी की गई कि

(I) जब तक बहुत ही जरूरी न समझा जाये तब तक मंत्रियों द्वारा रेल के सैलून के प्रयोग को रोका जाये ।

(II) दौरे पर मंत्रियों के साथ कम से कम कर्मचारी जायें ।

जनरल स्टोर्स इन्स्पेक्शन डीपो, दिल्ली

†३२५३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल स्टोर्स इन्स्पेक्शन डीपो, दिल्ली, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संरक्षित रखे गये कुछ पद अब सभी के लिए खुले कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में कोई अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ग) इस अनियमितता को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) जी नहीं । वास्तव में असिस्टेंट फोरमैन, चार्जमेन, सुपरवाइज़र्स और लोअर डिविजन क्लर्कों के कुछ रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की सीधे भर्ती कर उन स्थानों को भरने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) प्रतिष्ठान के एक कर्मचारी ने चार्जमैन के पद पर भर्ती के खिलाफ शिकायत की थी लेकिन उसे नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि उसके पास उस पद के लिए रखी गयी न्यूनतम योग्यता नहीं थी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक कर्मचारियों की अपीलें

†३२५४. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण हटाये गये, बर्खास्त कर दिये गये या अलग किये गये असैनिक कर्मचारियों ने अपीलें पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो १५ मार्च, १९६१ को ऐसी कितनी अपीलें विचाराधीन थीं ;

(ग) कितनी अपीलें निबटायी गयीं; और

(घ) अभी कितनी अपीलें विचाराधीन हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जुलाई, १९६० की हड़ताल में केवल भाग लेने के कारण किसी भी असैनिक कर्मचारी को बर्खास्त या अलग नहीं किया गया। जो कर्मचारी उपद्रव, हिंसा या डराने-धमकाने या गंभीर दुर्व्यवहार के दोषी थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। उनमें से कई ने अपीलें दायर की हैं।

(ख) १४।

(ग) कोई नहीं।

(घ) १४।

त्रिपुरा में नरसिंहगढ़ नगर बस्ती

†३२५५. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में नरसिंहगढ़ नगर बस्ती के निर्माण पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ख) इस नगर बस्ती से कुल कितने लोगों को लाभ हो रहा है; और

(ग) उनमें कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) फरवरी, १९६१ तक ३,०४,७३ रुपये ५० नये पैसे जिसमें भूमि के अर्जन पर खर्च की गयी ३२,४२१ रुपये ५० नये पैसे की रकम शामिल है।

(ख) लगभग १०,००० जिसमें निकटवर्ती मजदूर बस्तियों और गांवों में रहने वाले और अप्रत्यक्ष लाभ उठाने वाले शामिल हैं।

(ग) ६,६१४ जिसमें निकटवर्ती मजदूर बस्तियों और गांवों में रहने वाले ५,४६५ व्यक्ति शामिल है।

त्रिपुरा में बस्तियां

†३२५६. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की निम्नलिखित झूमिया बस्तियों पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी ;

(१) कथलियाछेरा झूमिया बस्ती ;

(२) विसरामगंज झूमिया बस्ती ;

(ख) इन बस्तियों में कुल कितने आदिम जाति के झूमियों को बसाया गया ;

(ग) कुल कितने झूमियों ने ये बस्तियां छोड़ दीं ;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उसका कारण क्या है ; और

(ङ) उन्हें इन बस्तियों में वापिस लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) कथलियाछेरा झूमिया बस्ती पर कुल २·१८२ लाख रुपये और बिसरामगंज झूमिया बस्ती पर २.६११ लाख रुपये की रकमें खर्च की गयीं ।

(ख) कथलिया छेरा बस्ती में २४६ परिवार और बिसरामगंज बस्ती में ६२ परिवार ।

(ग) कथलियाछेरा से ३५ परिवार और बिसरामगंज से १६ परिवार ।

(घ) उनके चले जाने का कारण संभवतः यह है कि झूमिया खेती करने वाले कुछ आदिम जातियों की यह आदत होती है कि वे अपनी खेती और निवास का स्थान बदल देते हैं ।

(ङ) सरदारों और सरकारी कर्मचारियों की सहायता से उन्हें राजी करा कर फिर वापिस लाने की कोशिश की जा रही है ।

स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास

†३२५७. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लड़ा गया पिछला स्वातंत्र्य-युद्ध जो मनीपुर युद्ध के नाम से प्रचलित है, और १८६२—१८६४ का खोमजोम युद्ध भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में शामिल किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश सैनिक न्यायालय द्वारा वीर निन्द्रेद्रजीत और जनरल थंगल पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई खड़ी करने के कारण चलाया गया मुकद्दमा और उन्हें दी गयी सजा का वृत्तान्त उक्त प्रकाशन में शामिल किया जायगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**:(क) और (ख). ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभी आन्दोलनों और विद्रोहों तथा उनके परिणामस्वरूप सभी घटनाओं का, उनके महत्व और गुणदोषों के अनुसार, स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में विवेचन किया जायेगा ।

लाजपत नगर सिंधी स्कूल, नई दिल्ली

३२५८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत नगर की सिंधी बस्ती के विरोध के बावजूद भी दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सिंधी स्कूल का स्थानांतरण डिफेंस कालोनी में कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

लाजपत नगर कालोनी के सिंधी निवासी पिछले कुछ दिनों से कालोनी में एक ऐसा सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं जिसमें शिक्षा का माध्यम सिंधी हो । चूंकि

†मूल अंग्रेजी में

कालोनी में सिंधियों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए इस मांग को ठीक समझा गया। कालोनी में पहिले से ही एक सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल था जहां प्राथमिक कक्षाओं में सिंधी के माध्यम से पढ़ाने का प्रबन्ध था। इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण वहां उच्च माध्यमिक स्तर तक सिंधी कक्षाएं खोलना संभव नहीं था। इसलिए शिक्षा निदेशालय ने अलग से एक ऐसा उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का निश्चय किया जहां शिक्षा का माध्म सिंधी हो। दुर्भाग्यवश लाजपत नगर कालोनी में कहीं भी यह स्कूल खोलने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका। इसलिए नया स्कूल डिफेंस कालोनी में लाजपत नगर कालोनी के मूलचन्द अस्पताल के सामने खोला गया। वर्तमान सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल, लाजपत नगर में जो प्राथमिक कक्षाएं चल रही थीं उनको भी विद्यार्थियों के माता-पिता की राय से नये स्कूल में शामिल कर लिया गया। यह इस विचार से किया गया कि नया स्कूल सभी प्रकार से अपने आप में पूर्ण हो और लाजपत नगर के स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं खोल कर गैर-सिंधी निवासियों की शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये। सिंधी भाषा भाषियों ने नये स्कूल की स्थापना और प्राथमिक कक्षाओं को उसमें शामिल करने का बहुत स्वागत किया। केवल सिंधी एजुकेशन सोसायटी ने जिस का नाम पहिले सिंधी लाजपत नगर एकादमी था, उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने और उसमें प्राथमिक कक्षाओं को शामिल करने पर विरोध प्रकट किया। यह सोसायटी कालोनी में एक मिडिल स्कूल चला रही है और उसे डर था कि नये स्कूल के खुल जाने से उसके मिडिल स्कूल की छठी कक्षा में छात्रों के दाखले पर असर पड़ेगा। उसकी आशंका का कोई उचित आधार नहीं था।

दिल्ली में सिंधी उच्चतर माध्यमिक स्कूल

३२५९. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने उच्चत माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम सिंधी भाषा है :

(ख) ये कहां-कहां हैं;

(ग) क्या इनमें सिंधी जानने वाले अध्यापक हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कितने हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तीन।

(ख) (१) न्यू राजेन्द्र नगर ।

(२) लोदी कालोनी ।

(३) डिफेंस कालोनी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) (१) न्यू राजेन्द्र नगर . ३० अध्यापक

(२) लोदी कालोनी . . . २० ,,

(३) डिफेंस कालोनी . . . . ८ ,,

†मूल अंग्रेजी में

भारत सेवक समाज

३२६०. **श्री प० ला बारुपाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को वर्ष १९५८ से १९६० तक दी गई कुल वित्तीय सहायता में से भारत सेवक समाज, राजस्थान को कितने रुपये दिये गये; और

(ख) उक्त धन किन-किन मदों पर खर्च किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे समय पर सभा के सामने रख दिया जायगा ।

नई दिल्ली नगरपालिका में हिन्दी का प्रयोग

३२६१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की सिफारिशों के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने सारे काम-काज को क्रमशः हिन्दी में करने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार का कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) उस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) तक जी नहीं । अभी नगरपालिका ने यह निश्चय किया है कि यथासंभव साईन बोर्ड, निमंत्रण पत्र और कलेन्डर, हिन्दी में हो तथा विज्ञापन, टेन्डर नोटिस और छुट्टियों की सूची का हिन्दी और उर्दू दोनों में प्रकाशन किया जाये ।

मद्रास की संस्थाओं को शैक्षणिक अनुदान

†३२६२. **श्री ईलयापेरुमाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य की किन-किन शिक्षा संस्थाओं ने १९५९-६० और १९६०-६१ में अनावर्तक अनुदान के लिए आवेदन किया था; और

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था को कितना-कितना अनुदान मंजूर किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क): और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]**

मद्रास राज्य में पालिटेकनिक संस्थायें

†३२६३. **श्री ईलयापेरु माल** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित पोलीटेकनिक योजना के अधीन मद्रास राज्य में कितने पोलिटेकनिक संस्थाएं खोले गये ; और

(ख) १९६०-६१ में मद्रास राज्य को इस योजना के लिए कितनी रकम नियत की गयी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) २ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६०–६१ में, ६.६६५ लाख रुपये की रकम नियत की गयी थी जो वास्तविक खर्च के आधार पर कम ज्यादा की जा सकती थी ।

सरकारी पदाधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार

†३२६४. **श्री ईलयापेरुमाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ और १९६० में प्रत्येक राज्य में कितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० (गजेटेड) पदाधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद फिर से नौकरी दी गयी या उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया; और

(ख) वर्ष १९५९ और १९६० में केन्द्रीय सरकार के कितने नान-गजेटेड पदाधिकारियों को उनके सेवा-निवृत्त होने के बाद फिर से नौकरी दी गयी या उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :**(क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बोलंगीर में उड़ीसा उच्च न्यायालय में सर्किट बेंच

†३२६५. **श्री कुंभार :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक- कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलंगीर में उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक, का एक सर्किट बेंच खोलने की योजना काफी समय से उड़ीसा राज्य सरकार के सामने है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा के पश्चिमी भाग के लोगों ने सरकार के पास कोई अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) से (ग). प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित योजना के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं और न ही उसके भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी है ।

तकनीकी संस्थाओं में शिक्षक

†३२६६. **श्री ल० ब० विट्ठल राव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योग्य व्यक्तियों को अध्यापन-व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिये तकनीकी संस्थाओं में सेवा की दशा में सुधार करने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा सुझाये गये कुछ उपायों पर इस बीच छानबीन खत्म कर ली है ताकि उन्हें अन्य संस्थाओं में जाने से रोका जा सके ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निश्चय किया गया है ;

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :(क) से (ग) तकनीकी संस्थाओं में कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं—

१. शिक्षकों के अधिक अच्छे वेतन क्रम मंजूर किये गये हैं और केन्द्रीय सरकार ने पांच साल की अवधि के लिये पूरा अतिरिक्त खर्च उठाना मंजूर कर लिया है।

२. तकनीकी शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है और १६४ उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

३. उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिये सेवा निवृत्ति की आयु ६० रखी गयी है।

४. औद्योगिक संस्थाओं से प्रार्थना की गयी है कि वे अपने विशेषज्ञों को अंशकालिक अध्ययन कार्य करने की अनुमति देकर तकनीकी संस्थाओं की मदद करें।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में तकनीकी संस्थाओं में शिक्षक

†३२६७. श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा द्वारा सुझाये गये संशोधित वेतनक्रम लागू करने से जो अतिरिक्त खर्च होगा उसके लिये १९६०–६१ में आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुल कितनी रकम अदा की गयी; और

(ख) क्या ऐसी कोई तकनीकी संस्थाएं भारत सरकार की जानकारी में हैं जहां नये वेतन क्रम लागू नहीं किये गये हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :(क) नये वेतन क्रमों के कारण १९६०–६१ में कोई भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने वह योजना कार्यान्वित नहीं की थी।

(ख) डिग्री और डिप्लोमा स्तर की शिक्षा देने वाली मान्यता प्राप्त सभी तकनीकी सस्थाओं में नये वेतन क्रम की योजना कार्यान्वित करने का विचार है।

भारत पेन्शनर समाज

†३२६८. { श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेन्शनर्स समाज ने पेन्शनर्स के लिये कुछ सुविधाओं की मांग करते हुए २४ मार्च, १९६१ को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार का क्या निश्चय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मांगें ये हैं : अधिक रहन सहन के खर्च के लिये सहायता, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएं, आयकर से पेंशनों की छूट, रोजगार के अवसर, पेंशन मन्त्रालय का निर्माण, पेंशन की न्यूनतम दर का निर्धारण और पेंशन की कटौती (कम्यूटेशन) के लिये नियमों में परिवर्तन।

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित बातों की छानबीन की जा रही है।

सेना कर्मचारियों पर नागा आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण

†३२६९. **श्रीमती मकीदा अहमद** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि २० मार्च, १९६१ को नवजान के पास उरियम घाट में नागा आक्रमणकारियों ने सेना कर्मचारियों पर हमला किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). सरकार को ऐसी किसी घटना के बारे में जानकारी नहीं है।

आर्मी वर्कशाप, किरकी

†३२७०. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५१२ आर्मी वर्कशाप, किरकी के कुछ कर्मचारियों को जिन्होंने जुलाई, १९६० की हड़ताल में सिर्फ भाग लिया था, नौकरी से बर्खास्त या अलग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी ठीक ठीक संख्या क्या हैं;

(ग) क्या उन्होंने अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अपीलों पर विचार किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). जुलाई, १९६० की हड़ताल में केवल भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया है लेकिन ५१२ आर्मी बेस वर्कशाप के ७ कर्मचारियों को भयंकर दुर्व्यवहार के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों से अभी तक कोई अपीलें प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना

†३२७१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सहायता योजाना के अधीन भारत को कोई रकम दी गयी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह राज्यों में किस प्रकार बांटी जा रही है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में यातायात रुक जाना

†३२७२. { श्री कर्णीसिंहजी :
श्री कमल सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिनेमा में रात के खेल खत्म हो जाने के बाद नयी दिल्ली के सिनेमाघरों के सामने यातायात पुलिस ड्यटी पर तैनात न रहने के कारण वहां यातायात पूरी तरह रुक जाता है और अराजकता फैल जाती है; और

(ख) दिल्ली में सिनेमाघरों के सामने यातायात के नियन्त्रण के लिये जैसा कि बम्बई में है, क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी नहीं नई दिल्ली में अधिक महत्वपूर्ण सिनेमाघरों के सामने प्रतिदिन शाम ६ बजे से रात का खेल समाप्त होने तक ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात होती है।

भारत सर्वेक्षण विभाग के वर्ग ३ और वर्ग ४ के अस्थायी कर्मचारी

†३२७३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सर्वेक्षण विभाग के अस्थायी प्रतिष्ठान में दस साल से अधिक नौकरी वाले वर्ग ४ के कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो १ जनवरी, १९६१ को ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) वर्ग ३ और वर्ग ४ के उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी नौकरी ५ साल या ३ साल की हो और जिन्हें १ जनवरी, १९६१ को स्थायी नहीं घोषित किया गया है ; और

(घ) १९६१ और १९६२ में सम्भवत: कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाया जायगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और स सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों का कार्यक्षमता-रोक[1]

†३२७४. श्री स० मो० बनर्जी: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में भारत सर्वेक्षण विभाग के वर्ग २ और वर्ग ३ के कुल कितने पदाधिकारियों का वेतन वृद्धि उनके वेतन क्रम में कार्यक्षमता रोक पर रोक दी गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Efficiency.

(ख) १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में वर्ग २ और वर्ग ३ के कुल कितने पदाधिकारी अपने वेतन क्रम में कार्यक्षमता रोक पार कर सके हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

सर्वे आफ इंडिया एस्टेट, देहरादून

†३२७५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री १८ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेप्युटी सर्वेयर जनरल की एस्टेट, १७ ई० सी० रोड, देहरादून में फाटक से लेकर रिहायशी क्वार्टरों तक पहुंच सड़क पक्की बनायी जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं तो उसके लिये क्या कोई योजना तैयार की गयी है ;

(ग) कितनी रकम मंजूर की गयी है ;

(घ) उपर्युक्त पहुंच सड़क के साथ साथ दूसरी सड़कों पर बिजली लगायी जा चुकी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वह सम्भवतः कब किया जायगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० स० मो० दास) :(क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की वेतन की रकमें

†३२७६. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ को भारत सर्वेक्षण विभाग में वर्ग १, २, ३ और ४ के कितने कितने कर्मचारी थे और अलग अलग क्रमशः उनकी मजूरी की रकमें क्या थीं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते

†३२७७. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ग १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान भारत सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के सरकारी काम पर यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों पर पृथक् पृथक् कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिये विभागीय परीक्षा

†३२७८. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सर्वेक्षण विभाग के एक काम करने वाले कर्मचारियों पर दूसरे काम की विभागीय परीक्षा में बैठने पर कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध क्या हैं;

(ग) क्या जोडैशिक एण्ड रिसर्च ब्रांच लायब्रेरी सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून से पुस्तकें लेने के लिये काम के आधार पर कोई प्रतिबन्ध लगे हुए हैं,

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ये प्रतिबन्ध भारत सरकार के दूसरे विभागों के ऐसे पुस्तकालयों के नियमों के अनुकूल हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जीं, हां ।

(ख) एक काम के प्रविधिक कर्मचारियों को दूसरे काम की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता यदि वांछित धन्धे में रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है और यदि उन्हें उनके अपने मूल धन्धे से पृथक नहीं किया जा सकता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चूंकि यह भारत सर्वेक्षण विभाग के प्रविधिक कर्मचारियों के लिये एक निर्देश पुस्तकालय है, ऐसे निर्देश ग्रन्थ, जिन का किसी कर्मचारी के अपने निजी व्यवसाय से संबंध नहीं है, साधारणतया उनको नहीं दी जाती, परन्तु दफ्तर के प्रमुख अफसर को विशेष अनुमति से दी जाती हैं ।

(ङ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिये विभागीय छुट्टी

†३२७९. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में भारत सर्वेक्षण विभाग के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी विभागीय छुट्टी पर भेजे गये ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सर्वेक्षण विभाग, देहरादून की स्टैटिक इकाइयों के चौथे श्रेणियों के कर्मचारियों को विभागीय छुट्टी पर भेजने के लिये उन्हें क्षेत्रीय दलों को विशेष रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो १९६०–६१ में ऐसे कितने कर्मचारी विभागीय छुट्टी पर भेजे गये और उसके क्या कारण थे ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

†मूल अंग्रेजी में

भारत सर्वेक्षण विभाग का आकस्मिक व्यय

†३२८०. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सर्वेक्षण विभाग के स्टोर आफिस देहरादून ने रेलवे स्टेशन पर माल चढ़ाने और उतारने और उस माल को गैर सरकारी गाड़ियों द्वारा देहरादून के भिन्न २ दफ्तरों तक पहुंचाने के लिये १९५६–५७, ५७–५८, ५८–५९, ५९–६० और ६०–६१ में पृथक २ कितना आकस्मिक व्यय किया :

(ख) इन्हीं वर्षों में स्टोर आफिस ने स्टोर के स्थानीय क्रय पर पृथक २ कितनी राशि व्यय की :

(ग) इन्हीं वर्षों में स्टोर आफिस के माल की नीलामी द्वारा बिक्री का पृथक २ कितनी पुस्तक मूल्य था ; और

(घ) प्रत्येक वर्ष में उक्त माल की बिक्री किये जाने से पृथक २ कितनी राशि वसूल हुई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :**

(क)	१९५६–५७	८३.००	रुपये
	१९५७–५८	२८.००	रुपये
	१९५८–५९	१०७.००	,,
	१९५९–६०	७७.२५	,,
	१९६०–६१	४२७.००	,,
(ख)	१९५६–५७	७२१२	,,
	५७–५८	७१५७	,,
	५८–५९	४०६०	,,
	५९–६०	११०५१	,,
	६०–६१	३९३३	,,
(ग)	१९५६–५७	४४.४३	,,
	५७.५८	३७६९८	,,
	५८–५९	१७१३	,,
	५९–६०	२९३४०७	,,
	६०–६१	१९७५८१	,,
(घ)	१९५६–५७	४७०७	,,
	५७–५८	४८.६६	,,
	५८–५९	१८०	,,
	५९–६०	४५५९०	,,
	६०–६१	३४७५०	,,

†मूल अंग्रेजी में

भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा रेखांकन

†३२८१. श्री स० मो० बनर्जी: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा रेखांकन के काम में लगे हुए सवक्षण विभाग के पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के लिये दैनिक भत्ता किस दर पर दिया जाता है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण विभाग के पहली श्रेणी के अफसरों को सीमा रेखांकन कार्य के संबंध में उनकी पाकिस्तान यात्रा में अधिक दैनिक भत्ता मिला है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या भारत पाकिस्तान सीमा रेखांकन काम में लगे हुए सर्वेक्षण विभाग से भिन्न विभाग के कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता दिया जाता है और यदि हां, तो कितना ;

(ङ) क्या इसी प्रकार का भत्ता सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को भी दिया जाता है ; और

(च) यदि नहीं तो इस का क्या कारण है?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) क्योंकि काम के लिये पाकिस्तान जाने वाले सब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

(घ) से (च).] सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई

†३२८२. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७-५८, ५८-५९, ५९-६० और ६०-६१ के दौरान केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों, १९५७ के नियम १५ के अन्तर्गत भारत सर्वेक्षण विभाग के जिन पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी उन की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसी अवधि के अन्दर इस विभाग के चारों श्रेणियों के जिन कर्मचारियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम १६ के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की गई उन की संख्या कितनी है ;

(ग) इस अवधि के अन्दर इस विभाग की चारों श्रेणियों के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध बड़े दंड दिये गये हैं ;

(घ) इस अवधि के अन्दर इस विभाग की चारों श्रेणियों के कितने कर्मचारियों को हलके दंड दिय गये हैं ; और

(ङ) इस अवधि में कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के मुअत्तिल कर्मचारी

†३२८३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सर्वेक्षण विभाग के कितने कर्मचारी इस समय मुअत्तिल हैं ;

(ख) उनको अब तक कितना निर्वाह भत्ता दिया गया है ;

(ग) उनमें से कितने लोगों ने मुअत्तिली के आदेशों के विरुद्ध अपीलें की हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सैनिक समाचार के संपादन विभाग के कर्मचारी

†३२८४. श्री प० ला० बारूपाल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'सैनिक समाचार' के लिये नियुक्त अनुवादकों समेत संपादन कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन क्रम, कर्त्तव्य, योजनाएं और अनुभव क्या हैं ; और

(ख) उनमें से कितने लोग हिन्दी जानते हैं और किस दर्जे तक की ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१]

(ख) संपादक कार्य करने वाले कर्मचारियों में २१ लोग हिन्दी जानते हैं । इनमें से १० मैट्रिक दर्जे तक और ११ बी० ए० दर्जे तक की हिन्दी जानते हैं ।

सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो

३२८५. श्री सरजू पाण्डेय : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५९ में जो सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो बनाया गया था उस पर अब तक कितनी धन राशि खर्च हो चुकी है ;

(ख) उक्त ब्यूरो ने जब से अब तक जो कार्य किया है उसका विवरण क्या है ; और

(ग) उक्त ब्यूरो में कितने सदस्य हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ११,२२,००० रुपये फरवरी ६१ तक ।

(ख) सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो मुख्यतः रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के तीन इस्पात कारखानों के विस्तार संबंधी कार्य करता है । ब्यूरो ने रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में

में विस्तृत प्रोजक्ट रिपोर्ट तैयार करली है तथा दूसरे दो कारखानों के विस्तार के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहा है ।

(ग) चीफ डिजाइन इंजीनियर	१
डिप्टी चीफ डिजाइन इंजीनियर	१
वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर	७
डिजाइन इंजीनियर	२७
सहायक डिजाइन इंजीनियर . .	१३

ये सब योगता-प्राप्त इंजीनियर हैं और अधिकतर इस्पात कारखानों के आयोजन, डिजाईनिंग, परिचालन, संधारण और निर्माण में ५ से २० साल तक का अनुभव रखते हैं इनके लावा ३० स्नातक शिक्षणार्थी, ४२ डिजाइन सहायक और ६५ तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस काम के लिए प्रशिक्षित किये जा रहे हैं ।

सूक्ष्म जीव विज्ञान

†३२८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर एन० के० सिद्धान्त ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सूक्ष्म जीव विज्ञान को एक मूल विज्ञान रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सैनिक अफसरों की कमी

†३२८७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में अफसरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये अब तक किये गये या प्रस्तावित उपायों का स्वरुप और ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अब तक ये उपाय किये गये हैं :—

(१) विशेष सूची पदालि अफसरों की संख्या में वृद्धि ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में वार्षिक भर्ती में वृद्धि ।

(३) अफसरों के स्थान पर एन० सी० सी० इकाइयों के समान अधिक अनुपात में जे० सी० ओ० की भर्ती ।

(४) सेना से छोड़े गये और सेना निवृत्त अफसरों की या तो उनके पिछले स्थायी दर्जे में या उन की सलाह से एक दर्जा नीचे में पुनः भर्ती ।

(५) सेना के लेफ्टीनेंट स्थायी कर्नलों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा में अस्थायी तौर पर वृद्धि ।

उपरोक्त उपाये अफसरों की स्थिति के बारे में कुछ आसानी लाने के इरादे से किये गये हैं ।

बैंक की उधार देने की दरें

†३२८८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा उधार देने की दरों में हाल में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो औसत वृद्धि कितने प्रतिशत है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख) : रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये एक निदेश के द्वारा अनुसूचित बैंकों की निम्नतम उधार देने की दर ५ प्रतिशत पर निश्चित की गई है और उनके औसत उधार देने की दरें १ अक्तूबर १९६० से १/२ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है ।

(ग) उधार देने की दरों की वृद्धि करने का उद्देश्य यह है कि धन की बढ़ती हुई मांग पर कुछ रोकात्मक प्रभाव डाला जाय ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†३२८९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में इस्पात कारखाना स्थल पर चौड़ी पट्टी मिलने पर उत्पादन आरंभ कर दिया है

(ख) यदि हां, तो मिल किस लागत पर पूरा किया गया है ; और

(ग) उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग २३०० लाख रुपये जिसमें मशीनरी के संभरण और लगाने की लागत, शिपिंग लाइनों, बिजली के उपकरण, सहायक सयंत्रों, क्रेनों इस्पात ढांचों और सिविल इंजीनियरी काम के संभरण और लगाने की लागत शामिल है, परन्तु पुशर टाइप की भट्टियां और पेंटिंग शामिल नहीं हैं ।

(ग) दो पारियों के साथ ६००,००० टन प्रतिवर्ष ।

†मूल अंग्रेजी में

सलाहकार निकाय

†३२९०. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर यह दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि इस समय केन्द्रीय सरकार को परार्श देने का काम करने वाली सलाहकार समितियों समेत मंत्रालयवार कितने सलाहकार निकाय हैं और उन के क्या काम हैं तथा उन समितियों के क्या नाम हैं जिनमें संसद् सदस्य भी हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैलासार (त्रिपुरा) में सड़क का निर्माण

†३२९१. श्री बांगशी ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सड़क बनाने के लिये, त्रिपुरा के कैलासार के भाई बोन छेड़ाह, मनिकपुर के पुनर्वासित जूमियाओं की भूमि अधिग्रहण की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देय प्रतिकर दे दिया गया है अथवा क्या अधिग्रहण की गई भूमि के बजाए खेती योग्य भूमि दी गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैलासार में झील का निर्माण

†३२९२. श्री बांगशी ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में कैलासार, मनुघाट, छैलेंगटा, राजानी—करबरी पारा के बिल्कुल पास एक झील बनाई जाने वाली है और उसके कारण १०—१२ आदिम जातिय परिवार निकाले जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथियार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान

†३२९३. श्री गोरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथियार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों में ग्रेड १ के जूनियर वैज्ञानिक सहायकों के पदों के लिये मूलभूत और कम की हुई योग्यताएं क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में बहुत से पर्यवेक्षी ग्रेड ३ और २ के लोग ग्रेड १ के जूनियर वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त किये गये थे ; हालांकि उनमें से किसी के पास भी मूलभूत योग्यताएं नहीं थीं ; और

(ग) इस तरीके को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) जूनियर वैज्ञानिक सहायक ग्रेड १ के लिये निम्न-मूलभूत योग्यताएं निर्धारित की गई हैं :—

मूल विज्ञान के अपेक्षित क्षेत्र की मान्यता प्राप्त उपाधि या प्रौद्योगिकीय के अपेक्षित क्षेत्र को डिप्लोमा तथा उस विज्ञान/औद्योगिकी के उस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्था में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। मूल विज्ञान की योग्यता, सितम्बर, १९६० से बढ़ा कर एम० एस० सी० कर दी गई है। तथापि विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता में कमी स्वीकार की जाती है।

(ख) हाल ही में चुने गये ११ प्राविधिक पर्यवेक्षकों में से केवल ३ या ५ वर्ष से कम अनुभव था, यद्यपि उनके पास अपेक्षित शिक्षण योग्यताएं थीं। उनके मामले में कमी की गई थीं क्योंकि छोटे हथियार और बन्दूक डिजाइनों के वांछनीय क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले केवल वही अभ्यर्थी उपलब्ध थे।

(ग) प्रश्न तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक कि अपेक्षित अनुभव और योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते।

दिनांक ८-३-१९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२२ के उत्तर में शुद्धि

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): श्री दी० चं० शर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२२ में मांगी गयी जानकारी देने वाला जो विवरण ३१ अगस्त, १९६० को लोक-सभा के पटल पर रखा गया था, उसमें अगस्त-दिसम्बर, १९५९ में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अपराधों के लिये उठाये गये मामलों की संख्या और उन मामलों की प्रतिशतता जिनमें दण्ड दिया गया, मद्रास राज्य के सम्बन्ध में, स्तम्भ संख्या ३ और ४ में, क्रमश: ३३ और २१ प्रतिशत दिखाई गयी थी। ये आंकड़े सही नहीं हैं और उनके स्थान पर यह होना चाहिये :—

राज्य/प्रशासन का नाम	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अगस्त-दिसम्बर, १९५९ में उठाये गये मामलों की संख्या	जिन मामलों में दंड दिया गया उनकी प्रतिशतता
मद्रास	२२	३६.३६ प्रतिशत

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह बताना है कि श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी का ९ अप्रैल, १९६१ को ७० वर्ष की आयु में देहावसान हो गया है।

श्री द्विवेदी गोरखपुर जिला (मध्य) निर्वाचन क्षेत्र से १९५२—५७ की अवधि के लिये पहली लोक सभा के सदस्य चुने गये थे।

हम सबको उनकी मृत्यु पर अत्यन्त खेद हुआ है। मुझे विश्वास है कि सभा उनके संतप्त परिवार को समवेदना का संदेश भेजने में मुझ से सहमत होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर दुख प्रगट करने के लिये कुछ समय के लिये मौन खड़े हों ।

सभासद एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बन्द हो जाने की संभावना

†**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर)**: नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "केन्द्रीय सहायता के अभाव में कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बन्द हो जाने की संभावना के बारे में मैसूर के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य ।"

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह प्रस्ताव उस पृष्ठ भूमि तथा उन स्थितियों की अपूर्ण एवं गलत जानकारी के आधार पर रखा गया ज्ञात होता है जिनके आधार पर मुख्य मंत्री ने अपना कथित वक्तव्य दिया ।

कोलार की सोने की खानों को मैसूर सरकार ने नवम्बर, १९५६ के अन्त में मेसर्ज जान टेलर एन्ड सन्स से प्राप्त किया तब से वह इनका संचालन एक राष्ट्रीयकृत विभागीय उपक्रम के रूप में किया जा रहा है । इस क्षेत्र तथा हट्टी की कोयला खानों से निकाला गया सोना १९५८ के मध्य तक खुले बाजार में बिकता रहा । तथापि जुलाई, १९५८ में निश्चय किया गया कि देश में सोने के समस्त उत्पादन का केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जन कर लिया जाय और वह सरकार के पास अमुद्रा निधि के रूप में सुरक्षित रहे ।

सोने के सौदों पर लागू होने वाले विनियमों के अधीन मैसूर सरकार को इस सोने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समाहर्ता मूल्य जो कि रु० ६२.५० प्रति तोला है, दिया जाता रहा है । तथापि मैसूर सरकार की वित्तीय स्थिति में किसी प्रकार की अव्यवस्था होने से रोकने के लिये उन्हें अस्थायी आधार पर सहायता दी जाती रही है ।

इस सम्बन्ध में अधिक उपयुक्त तथा संतोषजनक व्यवस्था करने के लिये तथा इन खानों की टेक्नीकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार मैसूर सरकार के परामर्श से इन खानों को स्वयं अपने अधीन चलाने पर विचार कर रही है । मैसूर सरकार सिद्धान्ततः इस बात पर राजी हो गयी है और इसके नियंत्रण को हस्तांतरित करने सम्बन्धी व्यवस्था के विस्तृत विवरण तैयार किये जा रहे हैं । यह विचार किया गया है कि इन खानों के संचालन में मैसूर सरकार का भी उचित अंश रहे ।

केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय कर लेगी तथापि इस बीच खानों के बन्द होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । राज्य सरकार के मुख्य मंत्री के भषण से यह आशय नहीं निकलता है कि खानों के बन्द होने की संभावमा है । केन्द्रीय सरकार के बजट में खानों को अर्जित करने के लिये आवश्यक व्यय की व्यवस्था कर ली गयी है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के बजट में भी सामान्य व्यवस्था कर ली गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विचाराधीन प्रस्तावों से इन खानों के कार्यसंचालन में सुधार होगा तथा अयस्क का अधिक सुधारे ढंग से उपयोग हो सकेगा। वर्तमान व्यवस्था के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस स्थिति में इन खानों के भविष्य के सम्बन्ध में निराधार बातें गढ़ना उचित नहीं है।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलपुर्ग) : अब तक के० जी० एफ० सोना खुले बाजार में बेचा जा रहा था और उसे आसानी से १२२ से १३० रुपये प्रति तोला तक मूल्य मिल जाया करता था लेकिन अब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर इसकी बिक्री हो रही है और इस प्रकार लगभग आधे दाम पर ही सोना बिक रहा है। इसलिये इस उपक्रम को हानि होना स्वाभाविक ही है। और परिणाम यह होगा कि वे उपक्रम बन्द हो जायेंगे क्योंकि इन्हें कोई लाभ नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान नियंत्रण आदेश १९४५ में संशोधन तथा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती द्वारा निर्मित फैरो-सिलिकोन के विक्रय मूल्य के पुनरीक्षण करने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१)

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत कोयला-खान नियंत्रण, आदेश १९४५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९० की एक प्रति।

(दो) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, भद्रावती द्वारा निर्मित फैरो-सिलिकोन के विक्रय मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१)।

(ख) दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या पी० एस०—३०(११)/ ५८।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः एल० टी० संख्या २८२७/६१ और २८२८/६१]

खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) संशोधन नियम, १९६१

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या २८२९/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवायें (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या २८३०/६१)]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ और केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम, १९४४ के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४२५।

(ख) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४२६।

(दो) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४३१।

(ख) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४३२।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४९ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चतुर्थ संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः एल० टी० संख्या २८३१/६१, २८३२/६१ और २८३६/६१]

———

प्राक्कलन समिति

एक सौ उनतीसवां तथा एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : श्रीमान् मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के बारे में निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के बारे में एक सौ उनतीसवां प्रतिवेदन

(२) भारतीय केन्द्र तम्बाकू समिति के बारे में एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन

समिति के लिये निर्वाचन

विश्वभारती

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के सदस्य विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के परिनियम, १० के खंड (५) के साथ पठित विश्व-भारती अधिनियम, १९५१ की धारा १९(१) के खंड (१२) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, विश्व-भारती संसद् में श्री अतुल्य घोष के स्थान पर, जिनकी सदस्यता की अवधि ६ जून, १९६१ को समाप्त हो जायेगी, काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि लोक-सभा के सदस्य विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के परिनियम १० के खंड (५) के साथ पठित विश्व-भारती अधिनियम, १९५१ की धारा १९(१) के खंड (१२) के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, विश्व-भारती संसद में श्री अतुल्य घोष के स्थान पर, जिनकी सदस्यता की अवधि ६ जून, १९६१ को समाप्त हो जायेगी, काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें--जारी

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय--जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान किया जायेगा ।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मिस्टर स्पीकर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐंड कोआपरेशन की डिमांड्स के डिस्कशन पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए किस किस बात का होना जरूरी है। वह तमाम बातें मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

मैं महसूस करता हूं कि यह कम्युनिटी डेलपमेंट की तहरीक जोकि चलाई गई है वह खास तौर पर इसलिए चलाई गई है कि देहाती रूरल पबलिक में यह फीलिंग पैदा की जाय कि गांवों की तरक्की का दारोमदार उनके कोआपरेशन और मदद पर निर्भर करता है । उसकी कामयाबी के लिए सब से जरूरी बात यह है कि उनका यह कोआपरेशन किस तरीके से लिया जाय ? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए और महसूस करते हुए हमारी सरकार श्री बलवन्त राय मेहता कमेटी के तहत जो रिपोर्ट पेश की उसको आज एम्पलीमेंट करने की कोशिश कर रही है । मैं समझता हूं कि अगर

---

†मूल अंग्रेजी में

हम चाहते हैं कि हमारा यह प्रोग्राम कामयाब हो और देहात में रहने वाले लोगों का सही तौर पर हमें कोआपरेशन मिले तो उस रिपोर्ट को हमें पूरे तरीके से एम्पलीमेंट करना होगा और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जो स्कीम है उसको इस साल के अन्दर अन्दर पूरा करना होगा ताकि देहात के लोगों का कोआपरेशन मिल सके और जो प्रोग्राम हम थर्ड फाइव ईयर प्लान में रखें वह कामयाब हो सके । इस बात को देखते हुए मैं सबसे पहले यह तजवीज हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि अगर हम वाकई यह चाहते हैं कि अपने तमाम ढांचे को डिसेंट्रलाइज किया जाय और डेवलपमेंट की तमाम ताकतें ग्रामों में जो पंचायत समितियां बनी हैं या जिला परिषदें बनी हैं, उनको ट्रांसफर किया जाय, तो उसके लिए मैं जरूरी समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और इस मिनिस्ट्री की तरफ से एक मौडेल ऐक्ट तैयार किया जाय और हर एक स्टेट को यह इंस्ट्रक्शंस दिये जांय कि जब भी वह इस किस्म का कानून और बिल पास करें, तो इन तमाम बातों का खयाल रखें । मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि दो, चार स्टेट्स ने जो अब तक कदम उठाये हैं जो ऐक्ट पास किये हैं अगर मैं उन तमाम ऐक्ट्स की जरूरी जरूरी बातों को इस हाउस के सामने रखूं तो मेरी इस बात की ताईद हो जायगी कि इस बारे में तमाम स्टेट्स की एक युनिफार्म पालिसी नहीं है । पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐक्ट पास किया है उसके बारे में मैं दो, तीन जरूरी बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं । उन बातों को देखने से साफ तौर पर यह जाहिर हो जायगा कि जो उस कमेटी का मकसद था वह कैसे पूरा हो सकता है । मिसाल की तौर पर जो ऐक्ट पास किया गया उस ऐक्ट के अन्दर आप देखेंगे, हालांकि उस कमेटी की यह रिपोर्ट थी कि जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है पंचायत समिति को तमाम ताकत ट्रान्सफर कर दी जाय । लेकिन उस ऐक्ट के अन्दर कई बातें ऐसी रखी गई हैं जिनको कि देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यह तमाम ताकत पूरे तरीके से ट्रान्सफर नहीं होगी बल्कि काम करने में दिक्कतें आयेंगी । मिसाल की तौर पर डी० सी० को जरूरत से ज्यादा अखत्यार दिये गये हैं । वह जब भी चाहे उनके काम में जाकर दखल दे सकता है । जिला परिषद् की मीटिंग में या पंचायत समिति की मीटिंग्स में शामिल हो सकता है । इसी तरीके से पंचायत समिति जो बनेगी उनमें पार्लियामेंट के मेम्बरान को नहीं रखा गया है और जिला परिषद् के जो मेम्बरान होंगे वह भी एसोशिएटेड मेम्बर्स होंगे । उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा हालांकि राजस्थान में और दूसरी स्टेट्स में ऐसा नहीं है । इसलिए मेरी यह तजवीज है कि हमारी सरकार यह सेंट्रल मिनिस्ट्री इस बात पर गौर करे और तमाम गवर्नमेंट्स को इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस जारी करे कि वह ज्यादा से ज्यादा अखत्यारात इन कमेटियों को दें और जो ऐक्ट बनाये जांय वह जहां तक हो सके तमाम स्टेट्स में युनिफार्म हों, एक किस्म के हों और यकसां हों ।

इसके बाद मैं गांवों में जो डेवलपमेंट ब्लाक्स बनाये जाते हैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । इसके लिए सबसे पहली मेरी तजवीज यह है कि जो ब्लाक्स बनाये जांय, जो उनका एरिया हो और जो उनकी पापुलेशन हो वह यकसां होने चाहिएं । मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि बाराहा कोशिश करने के बावजूद मेरे हलके में जो ब्लाक्स बनाये गये हैं उनमें अभी तक दो ब्लाक्स ऐसे हैं जिनकी कि आबादी ८०-८० और ६०-६० हजार के करीब है वहां तीन ब्लाक्स आसानी से बन सकते थे । अब इसका मतलब यह होगा कि जो रुपया तीन ब्लाक्स पर खर्च होना था, वह रुपया दो ब्लाकों पर खर्च नहीं किया जायगा । इसका देहात की तरक्की पर काफी असर पड़ेगा । इसलिए मेरी यह अपील है कि इस बारे में हमें स्टेट्स गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस जारी करने चाहिएं कि वह इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिदायतें हैं उन पर सख्ती से अमल करें । उन पर पूरा अमल किया जाय ।

दूसरी बात मैं यह भी हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अभी तक बहुत से ब्लाक्स ऐसे हैं कि वह ब्लाक्स तो बना दिये जाते हैं लेकिन बी० डी० ओज० का इंतजाम नहीं किया जाता है ।

[श्री पामकृष्ण गुप्त]

में आप से पूछता हूं कि यह तहरीक जिसका कि मकसद यह है कि देहात के लोगों में ऐसी भावना पैदा की जाय कि वह डेवलपमेंट के कामों में दिलचस्पी लें, कैसे कामयाब हो सकती है। यह प्रोग्राम कैसे कामयाब हो सकता है जबकि किसी ब्लाक के अन्दर बी० डी० ओ० जोकि उस काम को चलाने वाला सब से बड़ा अफसर है और जिम्मेदार अफसर है, नहीं होगा ? इसलिए इस बात की तरफ हमारी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और जो ऐसे ब्लाक्स हैं जहां कि बी० डी० ओज० नहीं हैं वहां उनका इतजाम करें। अगर आप एक बी० डी० ओ० को दो ब्लाक का काम दे देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा ? इस तरह से दोनों ब्लाक्स का काम सफर करेगा और इस तहरीक को नुक्सान पहुंचेगा और जो हमारा मकसद है, वह पूरा नहीं होगा।

अब मैं दो चार बातें कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कहना चाहता हूं। मैं वही बातें कहूंगा जो बातें कि हमारी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में कही गई हैं। मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता। वे जो सजैशंज हैं, जो तजवीजें हैं, उन से आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट में सुधार करने की कितनी ज्यादा जरूरत है।

सब से पहले मैं आपका ध्यान इस कमेटी की रिपोर्ट के सफा १० की तरफ खींचना चाहता हूं। कमेटी ने माननीय प्रधान मंत्री जी की स्पीच का हवाला देते हुए कहा है : "कि जिस ढंग से यह कार्य हुआ है वह हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सहकार का कार्य ऊपर से किये जाने की अपेक्षा जनता की ओर से शुरू किया जाना चाहिए।"

मैंने यह बात इसलिए कही है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आगे चल कर साफ तौर से इस बात का जिक्र किया है और कहा है : "चूंकि समिति को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि कुल समितियों में से केवल १५ प्रतिशत समितियां ही सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर सकी हैं।"

इसका मतलब यह हुआ कि देश के अन्दर जो कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, उन में से सिर्फ १५ या २० परसेंट सोसाइटीज़ ऐसी हैं जोकि ठीक काम कर रही हैं या जिन का काम तसल्लीबख्श है। मेरी अपील है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाये और इस मामले पर अच्छी तरह से विचार किया जाये ताकि हमारी सोसाइटीज़ के अन्दर जान आये और यह तहरीक कामयाबी के साथ आगे बढ़े। इस तहरीक की कामयाबी का दारोमदार बहुत ज्यादा हद तक इन सोसाइटीज़ पर है। आगे चल कर जो डिफैक्ट्स हैं, उनको प्वाइंट आउट करते हुए इस कमेटी ने सफा ५६ पर इस बात का जिक्र किया है और कहा है : "समिति का विचार है कि कुछ राज्यों में समितियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी जटिल एवं विस्तृत है परिणामस्वरूप समितियों के प्रबन्धकों तथा सदस्यों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।"

इसलिए मेरी अपील है कि हम प्रोसीजर को सिम्पल करें ताकि सोसाइटीज़ आसानी से बन सकें और जल्दी से जल्दी बन सकें और लोगों के रास्ते में कोई दिक्कतें पेश न आयें।

हमारी स्टोरेज की जो स्कीम है, वेयरहाउसिंग की जो स्कीम है, वह भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। उसके लिए जितना रुपया दिया गया था, जितने फंड एलाट किये गये थे, उन में से काफी हिस्सा ऐसा बच रहा है जोकि या तो इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है या फिर बाकी पड़ा हुआ है और बार बार रिमाइंड कराने पर भी वापिस नहीं किया गया है। मैं अपील करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले पर पूरा कंट्रोल रखे ताकि वह रुपया मिसयूज़ न हो और साथ साथ जिस मकसद के लिए वह दिया गया है, उसी मकसद के लिए वह खर्च हो। इस बारे में भी कमेटी ने अपनी

राय जाहिर की है और कहा है : "कि समिति यह आशा करती है कि बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि जिस प्रयोजन के लिये धन दिया जाता है वह धन उसी प्रयोजन के लिये व्यय भी किया जाता है।"

मैं चाहता हूं कि आप यह भी महसूस करें कि जहां तक वेयरहाउसिंग का ताल्लुक है, वह निहायत जरूरी चीज़ है। यहां हाउस में तीन चार दफा इस किस्म के सवाल आये हैं कि बाहर से जो अनाज आता है, उसको स्टोर करने में इसलिए देरी होती है कि वेयरहाउसिंग का, गोडाउंज़ का पूरा इंतिज़ाम नहीं है। जब अनाज को स्टोर करने में देरी होती है तो इसका नतीजा यह होता है कि अनाज खराब होता है, डेमरेज चार्जिज़ वगैरह देने पड़ते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं कि इस काम के लिए जो रकम मखसूस की गई है, रखी गई है वह यूटिलाइंज नहीं हो रही है, पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है। हमारी यह पूरी कोशिश होनी चाहिये कि जो फंड दिये जायें, वे पूरे तरीके से यूटिलाइज हों, काम में लाये जायें ताकि वेयरहाउसिज़ बन सकें और स्टोरेज का जो मसला है वह हल हो सके।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि यह तहरीक कामयाब हो, लोगों के अन्दर काम करने की ताकत पैदा हो तो दरअसल में आपको डेमोक्रेटिक डिसैंट्रेलाइजेशन सच्चे अर्थों में करना होगा, ताकत लोगों को ट्रांसफर करनी होगी और बिना हिचकिचाहट या रुकावट के पूरे प्रोग्राम को चलाना होगा और लोगों को काम करने का मौका देना होगा। यह मैं इसलिए कहता हूं कि जो लैजिस्लेटिव एक्ट या कानून अब तक बनाये गये हैं, उनके बारे में लोगों को खदशा है कि जो इन कानूनों को बनाने वाले हैं वे इस बात की कोशिश करते हैं कि इस किस्म की बाडीज़ पर चैक्स रखे जायें, लिमिटेशंज़ लगाई जायें, रैस्ट्रिकशंज़ रखी जायें। इससे जो असली ताकत है वह लोगों को ट्रांसफर पूरे तरीके से नहीं होती है। अगर यह चीज़ होती रही और इस पालिसी को जारी रखा गया तो मैं कह सकता हूं कि यह तहरीक जिस मकसद के लिये चलाई गई है, वह मकसद पूरा नहीं होगा।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : मैं मंत्रालय को इसलिये बधाई देता हूं कि यह सम्पूर्ण देश के सभी राज्यों में पंचायत राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ है। हालांकि इसमें आशाजनक सफलता तो नहीं मिली है लेकिन यह आन्दोलन सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है और एक दिन आयेगा जबकि सम्पूर्ण देश में पंचायत राज्यों की स्थापना हो जायेगी।

सामुदायिक विकास योजना के कार्य से ग्रामीण इलाकों को प्रोत्साहन मिला है। जैसे जैसे लोगों में जाग्रति फैलेगी तथा वे इसमें रुचि लेंगे तो यह आन्दोलन सफल होता जायेगा। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि पंचायत समितियां और जिला परिषदें बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं, पर लोगों में ऐसी भावना है कि जिला परिषदों के प्रत्यक्षतः निर्वाचित प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार नहीं दिये गये हैं। ये संस्थाएं विधान सभा अथवा संसदीय ढंग से कार्य कर रही हैं। लेकिन मन्त्रालय का ध्यान मैं बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत राज्य का मुख्य उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक अधिकार देना है। आन्ध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि इन संस्थाओं के अधिकांश सदस्य संसद् सदस्य और विधान सभा के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। पंचायत समिति अधिनियम के अनुसार ऐसा करना पड़ता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। इस प्रकार ये इन परिषदों में प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य नहीं होते अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को परामर्श दे कि संसद् सदस्यों तथा विधान सभा के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रमी रेड्डी]

सदस्यों को इन परिषदों का पदेन सदस्य न बनाया जाये ताकि प्रत्यक्षतः निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार मिले ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पंचायत राज्य बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं पंचायत राज के बारे में सरकार क्या रूप बनाना चाहती है । मैं चाहता हूं कि इन जिन परिषदों अथवा पंचायत समितियों का वही रूप हो जो कि राज्य विधान सभाओं का है ताकि सभी जिला पदाधिकारी इन समितियों के प्रति उत्तरदायी हों और इन परिषदों के द्वारा ही सभी राजस्व व्यय किया जाये तथा दूसरी कार्यवाही भी की जायें । मेरे विचार से इन परिषदों का स्वरूप ऐसा होना चाहिये कि उन्ही के माध्यम से जिले के सभी काम हों । जिलाधीश को जिला परिषद् तथा राज्य सरकार के बीच एक सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में काम करना चाहिये । परिषदों तथा जिला परिषदों से कहा जाये कि वे अपना काम चलाने के लिये राजस्व उगाहें ।

आजकल छोटे तथा बड़े बड़े गांवों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है । मेरा निवेदन है कि गांवों की जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन को बहुत महत्व दिया गया है । उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव के लिये एक सहकारी समिति होनी चाहिये । प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में कहा है कि जहां सहकारी समितियों के विस्तार की बात है वहां इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि जो समितियां मौजूद हैं उनका गठन ठीक से हो । यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ समितियां तो अपने सदस्यों का हित साधन भी नहीं कर रही हैं । मेरा निवेदन है कि सहकारी समितियों सम्बन्धी नियमों को सरल बनाया जाना चाहिये । इस विषय में आदर्श कानून बनाये जाने चाहियें और उन्हें राज्यों के पास परिचालित किया जाना चाहिये । गांवों में विभिन्न मदों में जो ऋण दिये जाते हैं, वे सहकारी समितियों की मार्फत दिये जाने चाहियें । और सहकार समितियों को पंचायत समितियों के निदेशों के अनुसार काम करना चाहिये । सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत सी कठिनाइयां हैं । रजिस्ट्रेशन में लगभग १२ महीने तक लग जाते हैं । अतः सहकार समिति नियमों में सरलता लानी चाहिये । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मंत्रालय इस सम्बन्ध मे एक आदर्श विधि बनाये और उसे सभी राज्यों को परिचालित करे ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : हम तीसरी योजना शुरू करने वाले हैं । लेकिन जब तक लोगों का हमें सही सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यह सम्भव नहीं है कि हमें सफलता मिलें । लेकिन मंत्री महोदय ने स्वयं यह अनुभव किया होगा कि जनता का सही अर्थों में सहयोग नहीं मिल रहा है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है लोगों को योजना बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने का पूरा पूरा मौका दिया जाये । देश में लोकतन्त्रीय तत्वों को शक्तिशाली बनाने के लिये लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इस मामले में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये । अतः पंचायत राज्य को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है लोगों को पूरा पूरा सहयोग मिले । पंचायत राज का प्रयोग काफी तीव्रता से प्रगति कर रहा है और इसे सफल बनाने के लिये इसका समर्थन किया जाना चाहिये । मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यह कार्य उसी ढंग से हो जिस उद्देश्य से कि यह कार्य किया जा रहा है तो यह निश्चय है कि इसे सफलता मिलेगी । केवल राष्ट्रीयकरण से ही समाजवाद को सफलता नहीं मिलेगी । इसलिये इन पंचायत संस्थाओं को पूरा पूरा दायित्व दिया जाना चाहिये । अगर हमें इस प्रयोग को सफल बनाना है तो हमें लोगों पर विश्वास करना होगा । एक बात और भी है कि इन संस्थाओं को सरकारी अनुदानों पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये बल्कि अन्य साधन भी अपनाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की योजना को सफल बनाना है तो इसके लिये जनता को पहल करनी होगी । इस समस्या के मामले में सरकारी रवैया ही अपनाया जाना चाहिये । सरकार को केवल प्रविधिक तथा अन्य प्रकार की सहायता तथा परामर्श देनी चाहिये । संसद् सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों को परिषदों तथा समितियों का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिये । यदि ये लोग इन संस्थाओं के सभापति होंगे तो स्थानीय प्रतिनिधियों की पहल की भावना समाप्त हो जाती है । इसके होने से इन संस्थाओं मे दलबन्दी पैदा होने का भी भय है । जिलाधीश का एक मार्ग दर्शक तथा शुभेच्छु की भांति काम करना चाहिये ।

विकास खण्ड पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के काम में समन्वय होना चाहिये । एक संगठित प्रयास की आवश्यकता है ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके । मेरा एक सुझाव यह भी है कि परिषदों तथा समितियों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े जाने चाहियें । अगर दलीय भावना से चुनाव होगा तो गांव वालों में मतभेद हो जायेगा । यदि हम चाहते हैं कि ये संस्थाएं रचनात्मक काम करें तो दलीय आधार पर उनमें लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिये ।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मन्त्रालय के खर्च की मांगों पर यहां डिबेट हो रही है और इसमें काफी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और अपने-अपने सुझाव आपके सामने पेश किये हैं । मैं समझता हूं कि इस मन्त्रालय का कार्यक्रम इस कद्र महत्व का है कि ग्रामीण इलाकों में जन-जन को इसका लाभ पहुंच सकता है और वह पहुंचाया जाना चाहिये । जब हर गांव में इसका असर पड़ता है तो यह जरूरी हो जाता है कि इसमें जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको दूर किया जाए ।

हमारी पहली और दूसरी योजनाओं के दौरान मे कार्य तो हुआ है, कोआपरेटिवों के सम्बन्ध में बहुत कम कार्य हो पाया है । अब तृतीय योजना होने जा रही है और उसमें हमारा अनुमान है कि इस मद मे २९७ करोड़ रुपया खर्च होने वाले हैं । इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना में सामुदायिक योजना द्वारा जनहित का काफी उत्थान होगा । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का लक्ष्य केवल कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ही नहीं बल्कि राष्ट्र को उन्नतिशील बनाना है बल्कि उत्पादन बढ़ाना, भारतवासियों को, समाजवादी लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए यहां के रहने वालों को, एक-एक आदमी को काम देना भी है । दरिद्रता जो जड़ मूल से नष्ट करना है और काम भी बिना इस बात का विचार बिना किए देना है कि कोई ऊंचा है, या कोई नीचा है । इस योजना का मंशा यह भी है कि सहकारी समितियों का जाल बना कर उसका उत्थान हो ।

जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वे देश में ठीक ढंग से नहीं बन पाई हैं । यह ठीक है कि देश में काफी संख्या में सहकारी समितियां बन चुकी हैं । आज हम देखते हैं कि सबसे बड़ी १,८२९,६०५ कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ बन चुकी हैं । लेकिन हमें देखना है कि कितनी सोसाइटीज़ हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं । जो रिपोर्ट है उसको देखने से पता चलता है कि जो "ए" क्लास सोसाइटीज़ हैं जो कि "वैरी गुड" हैं वे २.७ हैं । ११.५ ऐसी हैं जो "गुड सोसाइटीज" हैं । जो काम नहीं करती हैं लेकिन बरदाश्त करने लायक हैं वे ५४.१ हैं और जो बिल्कुल ही काम नहीं करती हैं वे १०.९ हैं । "वेरी गुड" और "गुड" सोसाइटीज़ को अगर जोड़ा जाए तो ये १४ परसेंट होती हैं और ८६ परसेंट ऐसी बच रहती हैं जो काम नहीं करती हैं । ये जो सोसाइटियां हैं, इनका बनना या न बनना कोई अर्थ नहीं रखता है । १४ परसेंट सोसाइटीज़ का ऑडिट हुआ है और बाकी सोसाइटीज़ का ऑडिट भी नहीं हुआ है । जब ऑडिट नहीं होता है तो भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ने लगती है । तथा दूसरी गड़बड़ियों का होना स्वाभाविक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सोसाइटीज़ बनें,

[श्री रा० स० तिवारी]

वे सही ढंग से बनें और जो उनका काम है, वह सही ढंग से हो, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। इस तरह से आगे बढ़ना, मैं समझता हूं, उचित होगा। पंचायत राज के चुनाव के बारे में मैं कुछ सजेशन्स देना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी जरा उसको सुनें। मेरा निवेदन है कि जब पंचायतों के शुरू में चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में बड़ा झगड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि जो गांव सभा बनाई जाये उसमें चुनाव न हो। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को, जिसकी वोट देने लायक उम्र हो यानी २१ वर्ष से ऊपर हो, ले लिया जाये। इस तरह से गांव के सारे आदमियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ग्राम सभा बन जाय।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : हर एक बालिग आदमी गांव सभा का मेम्बर होता है।

श्री रा० स० तिवारी : प्रत्येक घर से एक आदमी आकर वोट दिया करे। इसके माने यह होंगे कि वह एक जनरल सभा होगी और उसके मातहत फिर अलग से बाकी कमेटियों के आदमियों का चुनाव किया जाय।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : कैसे ?

श्री रा० स० तिवारी : इस प्रकार से चुनाव करके उसमें एलेक्टोरल कालेज बना दिया जाय। १० या १५ परसेन्ट आबादी के हिसाब से, जैसा आप उचित समझें, एलेक्टोरल कालेज बना दिया जाय और उसके द्वारा पंचायत का चुनाव हो और पंचायत के चुनाव के बाद जिस तरह पंचायतों को आगे बढ़ाना हो उसी हिसाब से चुनाव किया जाये। इस तरह से जो पहला चुनाव होगा उसमें झगड़े की चीजें खत्म हो जायेंगी।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : आपका मतलब है कि डिसेंट्रालाइज्ड को सेंट्रालाइज्ड किया जाये ?

श्री रा० स० तिवारी : आप इसे समझ नहीं सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर इस तरह से किया जाय तो झगड़े भी खत्म हो जायेंगे और चुनाव पद्धति को बल भी मिलेगा।

दूसरी बात मैं सहकारिता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं सहकारिता के दो माने समझता हूं। एक तो सहकारिता और दूसरी सहकारी समिति। सहकारिता के माने हैं एक साथ मिल कर, सहयोग के साथ काम करना और धन जमीन का बटवारा न होना। अपना-अपना काम होना लेकिन सहकारिता के साथ, सहयोग के साथ काम करना, जैसे कि आज किसान करते हैं। किसान आज अपना भी काम करते हैं और दूसरे का काम भी करते हैं जब उनके खलिहानों में दांय होती हैं तो खलिहानों में सब के बैल इकट्ठे हो जाते हैं। एक साथ सब की दांय होती है और दांय का हिस्सा सब मिल कर अपना अपना ले लेते हैं। इसी प्रकार से खेत की बोनी और जोतनी का जो काम है वह भी मिल कर होता है। जिस किसान का खेत वह सब मिल कर जोतते हैं तब वह सब मिल कर उसका खेत जोतते हैं। आज भी यह काम सहकारिता के होता है। कोई नई बात नहीं हैं। यह सहकारिता है। दूसरा है सहकारी समिति के द्वारा। सहकारी समिति के माने हैं कि कोई भी एक चीज हो, वह सहकारी समिति की प्रापर्टी हो जाती है और उसमें हिस्से के बमूजिब सब को मिल जाता है। तो दो अर्थ इसके हैं। एक सहकारिता और दूसरे सहकारी समिति द्वारा काम होना। लेकिन यह दोनों अलग अलग चीजें हैं।

वैसे तो रंगा साहब हमेशा विरोध करते हैं सहकारिता का, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर समाजवाद की बुनियाद जमाने वाली कोई वस्तु है तो वह सहकारिता और सहकारी समिति ही है।

यही चीज है जो कि गरीबों का उत्थान कर सकती है। बड़े-बड़े कामों में शामिल होकर के गरीबों का उत्थान हो सकता है जिससे वह सहकारी समिति और सहकारिता ही है। इसके टक्कर की चीज दूसरी देश के अन्दर कोई हो ही नहीं सकती। इसलिये मेरा इस विषय पर निवेदन है कि भले ही सहकारिता और सहकारी समिति यह दोनों अलग-अलग ढंग के कार्य हों और अच्छी चीजें हों भी परन्तु अभी किसान के दिल में कुछ भय है यह चीज आ नहीं रही है इस का एक कारण है कि जो बड़े-बड़ अफसर लोग नियुक्त किये जाते हैं, उनके अन्दर कोई सहकारिता भाव नहीं है। जो किसी पूंजीपति या किसी और की इंडस्ट्री होती है उसमें सहकारिता का कोई प्रश्न नहीं है केवल किसानों पर ही उसको क्यों लादा जा रहा है, इसलिये वे लोग महसूस करते हैं जो हमारे बाप-दादों की जमीन हैं क्या उसे भी सरकार खत्म कर देना चाहती है? आज जो सरकार द्वारा जो भी किसानों के काम हैं वे सब घाटे पर चला करते हैं। इसलिये यदि किसान को पहले यह आश्वासन दे दिया जाये कि काश्तकारों को अब सरकार और घाटा नहीं होने देगी, जो उनकी उपज की आमदनी है उससे उनको अधिक उत्पादन होगा तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। अगर आप उनको ऐसा विश्वास देकर समझा दें, उनके साथ इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर दें, तो मैं समझता हूं कि किसान हर एक आदमी कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बनने के लिये आज भी तैयार हो सकता है। लेकिन आप की तरफ से उनको भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार के कामों में व्यय अधिक आय कम होती है वहां पर सरकारी अफसर जुट जायेंगे और उनके वहां पर जुट जाने से खर्च अधिक होगा। उन लोगों को लाभ की कोई परवाह नहीं होती। इसलिये कहीं ऐसा न हो कि किसान बीच में पिस जाय। अगर ऐसा विश्वास उनको दिला दिया जाय तो मैं समझता हूं कि हर एक किसान सहकारिता के लिये तैयार हो जायेगा। जब आज भी वे सहकारिता के साथ आपस में मिल कर काम करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वे आगे चल कर सहकारी समिति तथा सहकारिता से काम न करें। मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाये और उनको यह आश्वासन दिया जाये सरकार की ओर से कि उनकी जायदाद या जमीन कोई सरकार नहीं लेगी। बल्कि कोआपरेटिव सोसायटी के चलने से अगर उनको यह लगे कि उनको घाटा हो रहा है या कोई और प्रश्न उठ खड़ा होता है तो दस वर्ष बाद या पन्द्रह वर्ष बाद वह अलग हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वे जीवन पर्यन्त एक साथ काम करें। यह चीज जब तक नहीं की जाती तब तक मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव सोसायटी चल नहीं सकेगी। जहां कहीं भी आज कोआपरेटिव सोसायटियां चलती हैं वहां कुछ मतभेद तो इस कारण है कि वे ऊपर से लादी जाती हैं। किसान संगठन और पंचायत संगठन आज आपका मजबूत नहीं है। बहुत से प्रदेशों में तो पंचायत का काम शुरू भी नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि राजस्थान, मैसूर, मद्रास, और कुछ और स्थानों में कुछ काम शुरू हो गया है और वहां कुछ कार्रवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे यहां मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में अभी उसके काम की शुरूआत नहीं हुई है तब हम कैसे मानें कि वहां जल्दी से जल्दी यह काम होगा? अगर पंचायती राज बन जाता है, पंचायत को कुछ अधिकार मिल जाते हैं तो मैं समझता हूं कि पंचायतों के द्वारा हम ज्यादा काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊपर से ही सहकारिता या सहकारी समितियों को थोप कर काम करायें। पंचायत शासन के बन जाने से प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव की भलाई, अपने गांव की उन्नति, अस्पतालों की प्रगति, उसकी अमीरी और गरीबी, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने गांव की उन्नति और प्रगति के लिये काम कर सकता है, बशर्ते कि पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाय। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार पूर्ण अधिकार देने में उनको क्यों संकोच करती है जब कि पंचायत में काम करने के लिये लोगों को ऊपर से नौकर रखा जाता है और उनका भरोसा किया जाता है। पंचायतों पर आपका विश्वास क्यों नहीं है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि गांवों की जमीनों

[श्री रा० स० तिवारी]

के बारे में, गांवों की उन्नति के बारे में, मकान बनाने के बारे में, उनकी जरूरियात पूरी करने के बारे में, छोटे-छोटे मुकदमों के बारे में फौरन हीउन को अधिकार दे दिये जाने चाहियें जिससे वे गांवों का काम-काज ठीक से चला सकें और केवल आत्म-निर्भर ही न हो सकें बल्कि अपने कामों को पूर्ण रूप से करने में समर्थ हो सकें। जब तक इन चीजों को नहीं किया जायेगा तब तक सहकारी समितियां और सहकारिता पनप नहीं सकती हैं क्योंकि वे ऊपर से लादी जाती हैं, उनको नीचे से मदद नहीं दी जाती है । इतना तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं ।

आज हमारे देश के अन्दर काफी काम हुआ है । आपने ग्रामोद्योगों के लिये छोटे-छोटे ग्रामोद्योगों के लिये २६ करोड़ रुपया रक्खा गया है जो कि बहुत थोड़ा है । आप के सारे देश में जब उद्योग धंधे फैल रहे हैं तो केवल २६ करोड़ रुपया से सारे देश में छोटे उद्योग धंधे फैल नहीं सकते हैं । इसके बारे में मेरा यह कहना है कि आप इस रकम को और बढ़ायें ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में हम यह देखते हैं कि महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और वे अपना काम कर रही हैं । आज देश में ४२,५८४ महिला मंडल काम कर रहेहैं जिनकी सदस्य संख्या ७ लाख से अधिक है । यह काम काफी चल रहा है । विभिन्न राज्यों में ९,३५८ बालवाटिकायें चल रही हैं जिन में २,०९,२४२ बच्चे भाग ले रहे हैं । प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मेरा एक निवेदन है कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत कम रकम रक्खी गई है । आज हमारे देश में जो इतने अशिक्षित आज भी मौजूद हैं उनके लिये शिक्षा देना अनिवार्य है । इसके लिये ३५,५०२ केन्द्र हैं जिनमें ८ लाख, ३८,७७० लोगों को पढ़ाना लिख ना सिखाने और साक्षर बनाने का काम हो रहा है । लेकिन यह नाकाफी है । आज देश के अन्दर जो आदमी ५० या ६० वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं व भी पढ़ने लिखने लगे हैं और दूसरों की मदद करने में लगे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ और रकम रक्खी जाये जिससे हम उन्नति कर सकें और हमारे देश में कोई अनपढ़ न रहे।

इसी प्रकार वाचनालयों की बात है । आज उनकी संख्या १६,७३९ है जिनके अन्दर क्लबों में ४७,६७१ युवक किसान अखबार आदि पढ़ने आते हैं । गांवों की प्रगति के लिये बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है ।

मैं सहकारिता और पंचायती राज के बारे में फिर से कहना चाहता हूं कि अगर नीचे से सही ढंग से उनको तैयार किया गया तो ज्यादा काम होगा और बगैर इसके देश में समाजवाद नहीं आ सकता ।

श्रीमती उमा नेहरु (सीतापुर) : श्रीमन् जी, पंचायत राज का मैं अभिवादन करती हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पंचायत राज के बारे में हम बराबर सुनते आए हैं और उसके बारे में पढ़ा भी है और यहां आज उसका जिक्र भी हो रहा है। पंचायत राज लाने के पहले हमको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि पंचायत राज के मानी क्या हैं और पंचायत राज किस तरीके से और किस किमाश से आपको कायम करना और चलाना है। अलग-अलग राज्यों में पंचायत राज अपने

अपने ढंग का नहीं होना चाहिये । अगर हम पंचायत राज स्थापित करें तो उसका सारे देश में यूनीफार्म होना जरूरी है । इसका आपको ख्याल रखना चाहिए।

जब हम पंचायतों की नींव डालने जा रहे हैं तो दो तीन चीजें हमारें सामने आती हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर सरकार सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहती है तो पंचायतें कभी कामयाब नहीं हो सकती । पंचायत राज तभी सफल हो सकता है जब कि ताकत का डिसेंट्रालाइजेशन हो। पंचायत राज के मानी हैं कि जो गांव वाले हैं उन पर पूरा भरोसा हो और उनको ताकत से पंचायत राज चले । अगर आपने उसमें कलक्टर को भेजा या दूसरे आफिशियल्स को भेजा जो कि जाकर उनके सरघना बनें, तो पंचायत राज कामयाब नहीं होगा। वह पंचायत राज हो नहीं होगा । आप कह सकते हैं कि अगर उनको इतनी ताकत दे दी गयी तो चंकि गांव वाले पंचायत को भूल चुके हैं इसलिये वे गलतियां करेंगे, लेकिन गलती करना अच्छा है, गलती करके इन्सान सीखता भी है, तो हमको अपने गांव वालों को गलतियां करने का मौका देना चाहिए ताकि वे सीख सकें ।

मैंने मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आन्ध्र के बारे में पढ़ी, राजस्थान के बारे में पढ़ी और गुजरात के बारे में पढ़ी । राजस्थान के बारे में तो हमको यहां श्री हरिश्चन्द्र माथुर से भी मालूम होता रहता है। जब मैंने गुजरात की रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे बारडोली का नक्शा याद आ गया। जिस समय हमारे यहां नानकोआपरेशन मूवमेंट हो रहा था, उस वक्त हमारे बल्लभभाई पटेल ने बारडोली का एक नक्शा हमको दिखाया था और वह ऐसा नक्शा था जो कि सेल्फ सफीशेंट बारडोली का नक्शा था। वह ऐसा नक्शा था, कि बारडोली में थाना था, पुलिस थी और सब चीज थी। वह ऐसा नक्शा था कि जिसको कांग्रेस वाले और गैर-कांग्रेस वाले सभी देखने को गए । पटेल साहब ने बारडोली का ऐसा नक्शा बनाया था कि वहां जाकर यह मालूम होता था कि ब्रिटिश राज्य खत्म हो गया है । जो बारडोली में जाता था उनको यह नहीं मालूम होता था कि ब्रिटिश हुकूमत वहां कहीं पर भी है । तो कुछ ऐसे कायदे और कानून पटेल साहब ने वहां के बनाए थे कि वहां सब चीजें दिखायी देती थीं। तो जब मैंने गुजरात की रिपोर्ट पढ़ी तो वह नक्शा मेरे सामने आया। पटेल साहब ने जो नक्शा हमको दिखाया उससे मालूम होता था कि किस तरह से प्राचीन काल में हमारी पंचायतें काम करती थीं। हमारी पंचायतों में बहुत बड़ी खूबी यह थी कि वे शहरों से जरा अलग थीं। एक राजा या नबाब चला जाता था और उसकी जगह दूसरा आ जाता था लेकिन पंचायत टस से मस नहीं होती थी, पंचायतों को राजनीतिक मामलों से कोई मतलब नहीं होता था। राजनीतिक हवा बदलती रहती थी लेकिन ये छोटी-छोटी रिपबलिक्स कायम रहती थीं और बराबर काम करती रहती थीं। पंचायत की जो सभ्यता थी उस से हमारे शहर वाले फायदा उठाते थे और शहरों में गांवों की सभ्यता आती थी जो हमको जान देती थी। उन पंचायतों में बैकवर्ड क्लासेज और हरिजनों सब का हिस्सा रहता था।

जो पंचायतें हम आज स्थापित करने जा रहे हैं अब मैं उनका जिक्र करना चाहती हूं । कल मुझे कुछ हरिजन भाइयों से यह सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि गुजरात के बारे में जो कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है वह दर असल सही नहीं है। जो बात वह कहते हैं मुझको उसका यकीन है क्योंकि हम में एक कमजोरी यह आ गयी है कि जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ लिखते हैं उस में डिमांस्ट्रेशन का ज्यादा ख्याल रखते हैं, हम ज्यादा डिमांस्ट्रेटिव हो गए हैं। मुझ से जो आज मेरे हरिजन भाई कहते हैं मैं समझती हूं कि वह ठीक है । अगर हमको हरिजनों को अपने साथ ले चलना है तो हम को अपना दिल बदलना होगा। हम हरिजनों को और बैकवर्ड क्लासेज को अपने तरीके से अपने साथ नहीं ले जा सकते । वह हमारे तरीके से नहीं

[श्रीमती उमा नेहरू]

सोच सकते। हमको उनके साथ आना होगा। अगर हम उनको उठाना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम नीचे जाएं और उनका हाथ पकड़ कर उनको ऊपर लाएं। मुझे अपने हरिजन भाइयों की बात सुन कर बड़ा दुःख हुआ और मैं उनको यकीन दिलाती हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे और जो काम पंचायत बनाने में किया जाएगा उस में डिमांस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और उसमें असलियत ज्यादा होगी। यह तो मैं हरिजनों के वास्ते कहना चाहती हूं।

अब तीसरी सब से बड़ी चीज जो मैं कहना चाहती हूं वह स्त्रियों के बारे में है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं देखती हूं कि स्त्रियों के लिये जितना किया जाना चाहिए था नहीं किया गया है। चाहें पंचायत हों या कोई और चीज हो, उनके मामले में जिस तरह से डिप्रेस्ड क्लासेज को शिकायत है उसी तरह हम को भी शिकायत है क्योंकि हम भी डिप्रस्ड क्लास हैं। और इसीलिए हम उन से ज्यादा सहमत हैं। रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि स्त्रियों और बच्चों की तरक्की के लिए जो धन रखा है उस से वह काम नहीं हो सकता। मेरी कुछ बहिनें मुझ से मिलीं और उन्होंने मुझसे कहा उनसे मिनिस्टर और प्लानिंग ने कहा है कि शायद १९६१ तक या १९६२ तक वह कुछ रुपया स्त्रियों के पढ़ाने के लिए रखेंगे। मैं समझती हूं कि यह ख्याल भी अजीब है। क्योंकि जब तक स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, जब तक देश की माताएं नहीं पढ़ेंगी तब तक उन के बच्चे भी होनहार नहीं हो सकते जैसा कि आप चाहते हैं। मैं देखती हूं कि स्त्रियों की पोजीशन न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि चारों तरफ दूसरे मुल्कों में भी पुरुषों के बराबर अभी नहीं आयी है। मेरा कहना है कि जब तक आप स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक आपकी तरक्की भी होने वाली नहीं है।

अब रहा कोआपरेटिव। मैं ने रिपोर्ट को देखा है। इस में इस के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। आप अब भी देहात में चले जाएं तो आप देखेंगे कि आपका यह मूवमेंट तो अब चला है पहले से ही किसान आपस मे कोआपरेशन करते आ रहे हैं। छोटे छोटे किसानों के पास अपना एक ही बैल है तो वे दूसरों से मिलकर अपना और उनका काम कर लेते हैं। तो यह कोआपरेशन का काम आज भी देहातों में चल रहा है। मुझे खुशी होगी अगर इसकी तरफ भी ध्यान रखेंगे। मैं चाहता हूं कि इस स्प्रिट को बढ़ाया जाए और इस तरह उनकी उन्नति की जाए।

मैं मानती हूं कि आपने कोआपरेशन के बारे में तरक्की की है, और कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपने तरक्की न की हो। इसमें शक नहीं कि जब हम देहातों में जाते हैं तो वहां का नक्शा ही बदला हुआ पाते हैं। लेकिन चूंकि पंचायत राज की चर्चा हो रहा है तो मैं चाहती हूं कि जो पंचायत राज हो वह ऐसा होना चाहिए कि उस में शहर वालों का दखल न हो, उस में आफिशियल्स का दखल कम होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि जो आफिशियल्स इसमें काम करने जाएं वे नानआफिशियल्स की सी मेंटलिटी लेकर जाएं और उन लोगों के साथ मिलकर काम करें ताकि ज्यादा सहूलियत हो। वैसे तो पंचायत राज के बारे में इन्सान घंटों बात कर सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आप जो पंचायत का नक्शा बनावें वह ऐसा हो कि गांव का सारा काम पंचायत करे, वही स्कूल चलाए, वही मुकदमों का फैसला करे, और सब काम करे, और शहर वालों से उसका कोई सम्बन्ध न हो। बाकी जितनी चीजें हैं, स्त्रियों के अंदर यह कानून, कायदे, यह सब वहीं

के आदमी करेंगे। पंचों को करना है । अलग अलग जो उनकी कमेटियां होंगी उनको करना है । जब तक डिसेंट्रलाइजेशन आप नहीं करेंगे तब तक पंचायत राज का खयाल करना बेकार है । अगर आप समझते हैं कि यह डिसेंट्रलाइजेशन करना भी हमें उनको सिखाना है और हमारे अफसर जा जा कर सिखायेंगे तो यह एक अजीब बात हो जाती है। जैसे मैं ने कहा जब तक इंसान दुनिया में फेल नहीं होता है और वह हर एक चीज में लगातार पास होता चला जाय तो उस में ताक़त नहीं आती है । ताक़त आने के लिए आदमी का फेल होना जरूरी है, । एक घुड़सवार घोड़े पर अच्छी तरह घुड़सवारी करना तभी सीखता है जब कि वह घोड़े से गिरता है और गिरने के बाद फिर उस पर सवारी करता है ।. इसलिए इन चीजों का हमें खयाल करना है ।

अभी मेरे भाई स्वामी रामानन्द तीर्थ ने डेमोक्रेसी के बारे में जो बतलाया वह मुझे बहुत अच्छा लगा । उन्होंने विजन आफ डेमोक्रेसी के बारे में बतलाया कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिये और मैं उन के विचारों से बिलकुल सहमत हूं । सैल्फ सफिशिएंसी को ले कर जो कुछ उन्होंने कहा मैं उससे भी सहमत हूं । लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहती हूं और वह यह कि देहातों में जो हम यह डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट ब्लाक्स बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि वह छोटा सा पौधा जो हम लगाने जा रहे हैं उसको हम बेल, बकरियों आदि सब से बचाये रखें । हमें इस बात की सावधानी बर्तनी है कि कहीं वह हमारा नन्हा पौधा खत्म न हो जाये । हमें उस की हर तरह से रक्षा करनी है और उस को पनपाना है । उस पौधे को हमें हर तरह से खाद और पानी पहुंचाते रहना है । मैं चाहती हूं कि वहां राजनीतिक बिलकुल न चले । मैं वहां पर पालिटिक्स चलते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती । चाहे कांग्रेसी होवे या नान कांग्रेसी होवे, कोई भी साहब हों उनको पालिटिक्स ले कर वहां नहीं जाना है । उस नन्हे पौधे को उन्हें इस तरह से नाश नहीं करना है । अब पालिटिक्स के लिये शहर काफी लम्बे चौड़े हैं और यहां पर काफी बड़ा मैदाने जंग पड़ा है और उसके अन्दर जो चाहे कर लें । यह जो ग्राम पंचायतें बन रही हैं और डेवलपमेंट ब्लाक्स द्वारा गांवों का सुधार किया जाना है उसको प्रोत्साहन देना है और आगे बढ़ाना है । जितने भी हम कांग्रेस वाले हैं और अन्य पार्टियों के लोग हैं उन सबको मिलकर और वहां जा कर इस काम को करना है और पंचायत राज को सही मायनों में कायम करना है । बस और अधिक न कह कर अन्त में मैं फिर अपने मिनिस्टर साहब को इस काम को हाथ में लेने के लिये मुबारकबाद देती हूं और भगवान से उनकी सफलता की कामना करती हूं ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : इस मंत्रालय की शुरू ही से कड़ी आलोचना की गई है उसका कारण भी है क्यों कि इस मंत्रालय से जितनी आशा थी उतना यह नहीं कर सका है । लेकिन इस मंत्रालय का कार्य अन्य मंत्रालयों के कार्य से अनूठा है। इतना जरूर है कि जहां तक जनसहयोग मांग की बात है इस सम्बन्ध में इसने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं किया है । इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष आंकड़े अवश्य दिये जाते हैं लेकिन वे ठीक नहीं होते । हालांकि यह मंत्रालय गांवों की जनता में जागृति पैदा करने में सफल रहा है, पर उन की आर्थिक दशा सुधारने में असफल रहा है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस जन जागृति के क्या परिणाम होंगे उसे इस सम्बन्ध में पूर्व सावधानी बरतने के उपाय करने चाहियें कि कहीं जागृत जनता उस के लिये संकट बन जाये और सभी विकास कार्यों को नष्ट न कर दें ।

लोगों का जीवन स्तर गिर गया है । प्रति व्यक्ति की आय घट गई है । लोगों में बड़ा असंतोष है । सामुदायिक विकास कार्य तथा एन० ई० एस० खंडों में सफलता प्राप्त करने के बजाय इस मंत्रालय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० च० गुह]

ने पंचायत राज का काम शुरू कर दिया है। पंचायत राज के उद्देश्यों तथा उस की उपयोगिता से तो कोई भी संसद सदस्य इन्कार नहीं करेगा। लेकिन इतना अवश्य है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि इस रास्ते में जो कठिनाइयां आयेंगी उनका सही ढंग से मुकाबला किया जाये। पंचायत राज के बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं सामुदायिक विकास कार्य के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ग्राम सेवकों के काम की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। दूसरे सामुदायिक विकास आन्दोलन को खैरात बांटने की संस्था ही न बनाया जाय। इस का काम विकास सम्बन्धी कार्य करना है। यद्यपि यह शिकायतें पुरानी हैं तथापि इन्हें दूर करने का यत्न करना चाहिये।

खंडों के काम को कम से कम पांचवीं योजना के अन्त तक जरूर कायम रखा जाय ताकि उस समय तक पंचायतें आत्म निर्भर हो जायें और विकास सम्बन्धी काम करने लगें।

इस समय ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये विभिन्न संस्थायें काम कर रही हैं। भारत सेवक समाज, समाज कल्याण बोर्ड आदि निकायों का एक जैसा उद्देश्य है। इस में हर्ज की कोई बात नहीं परन्तु दुख की बात तो यह है कि इन में स्पर्धा है। यदि इन निकायों में स्वस्थ स्पर्धा हो तो हानि की कोई बात नहीं परन्तु ऐसा नहीं है। इस कारण इस मंत्रालय को विभिन्न निकायों के काम में समन्वय पैदा करना चाहिये।

जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है उस में ग्राम सभा को ही अधिक अधिकार होने चाहियें। किन्तु राजस्थान में, जिसे इस दिशा में आदर्श राज्य कहा जाता है, पंचायत समिति को ज्यादा अधिकार हैं। यह प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। वास्तविक महत्व ग्राम-सभा को दिया जाना चाहिये। मैं मानता हूं कि इस काम को व्यवहारिक रूप देने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। जिला अधिकारियों से अधिकार लेना आसान चीज नहीं है। यहां तो मंत्री महोदय यह निदेश निकाल देंगे कि जिला परिषदों को प्रभावपूर्ण बनाया जाय पर उन्हें प्रभावपूर्ण बनाने का काम तो वस्तुतः राज्य सरकारों को करना है। इसलिये इस दिशा में सरकार के सामने कई कठिनाइयां हैं।

अभी तक के अनुभव से यह पता चलता है कि पंचायतों के पंच ग्राम के उत्पादन को बढ़ाने की बात पर जोर न दे कर सुविधाओं की प्राप्ति पर बल देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि पंचायतें का काम अमीर लोगों के हाथों म गया है, गरीबों के हाथों में नहीं। अधिक जोर उत्पादन की ओर ही दिया जाना चाहिये। जहां तक पंचायतों में राजनीतिक दलबन्दियों का प्रश्न है, उसे अनुचित नहीं मानना चाहिये। हम राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार ही सारे काम करना चाहते हैं। यदि पंचायतों का चुनाव एक मत से होने लगे तो उसका वास्तविक प्रयोजन ही नष्ट हो जायगा।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय का काम अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसलिये हमारी प्रार्थना है कि इस विभाग के मंत्री को केबिनट का सदस्य बनाया जाय ताकि वह नीति निर्धारित सम्बन्धी कामों में भाग ले सकें। इस मंत्रालय ने अब तक जो काम किया है उस की सराहना की जानी चाहिये। समूचे देश का नक्शा बदलता जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि ग्राम सेवक ही सामुदायिक विकास कार्य का महत्वपूर्ण अंग है। इस लिये हम लोग जितने सुशिक्षि ग्राम सेवक बन सकेंगे उतना ही अधिक लाभ भी हमें होगा। ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण की ओर मंत्रालय ध्यान दे और उन का वतन भी बढ़ाये।

हमें इस बात से भी प्रसन्नता हुई है कि देश में पंचायत राज लागू हो गया है। परन्तु हमें अब सावधान रहना चाहिये कि इस बहाने से कहीं वही लोग आगे न आ जायें जो पहले जनता का शोषण किया करते थे। उस के साथ ही ग्रामीण युवकों के समय को ठीक तरीके से बिताने के उद्देश्य से हमें स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करानी चाहिये।

नागपुर के कांग्रेस सत्र में एक संकल्प स्वीकार किया गया था कि भविष्य में सहकारिता के आधार पर खेती की जाया करेगी और हर किसान को उस की भूमि के अनुसार हिस्सा मिला करेगा। उस समय यह भी स्वीकार किया गया था कि इस से पहले सेवा सहकारी संस्थायें स्थापित की जानी चाहियें। परन्तु इस चीज की ओर सरकार ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया।

दुख की बात तो यह है कि लोग अब भी सहकारी खेती का विरोध करते हैं। वस्तुतः जिन लोगों के कुछ निहित स्वार्थ हैं, वही लोग एसा विरोध करते हैं। सहकारी खेती को अपनाये बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता। अतः किसानों को इस सहकारी खेती के लिये राजी करने के उद्देश्य से योग्य क्षेत्रीय कर्मचारी नियुक्त करने चाहियें।

†**श्री कमाल सिंह** (बक्सर) : इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि इस मंत्रालय ने जनता के हितार्थ काफी कुछ किया है और हमारी बुनियाद काफी अच्छी हो गयी है। परन्तु इसमें एक त्रुटि यह है कि जनता अधिकाधिक सरकार पर ही आश्रित होती जा रही है। यह बीमारी वास्तव में बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ आज हर गांव में धड़ेबन्दी हो चुकी है। जिसका परिणाम यह होता है कि विकास का काम पूरा नहीं हो पाता।

इस मंत्रालय के काम को पूरा करने में सब से पहली कठिनाई जो आती है वह यह है कि कर्मचारी सेवा की भावना से काम नहीं कर पाते। लोग नौकरी केवल इसलिये करते हैं कि अपना गुजारा चला सकें पर जब तक उन में सेवा की भावना पैदा नहीं होती तब तक इस मंत्रालय का काम सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार को इस काम के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर करना पड़ता है।

योजना को ठीक ढंग से बनाना चाहिये। कल्पना करो कि हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो हमें यह देखना चाहिये कि पहले हर जगह सिंचाई की सुविधायें पैदा करें क्योंकि यह खती के लिये पहली चीज है। जहां पानी न हो वहां अच्छे बीजों आदि के वितरण से क्या लाभ हो सकता है।

जहां तक ग्राम विकास का सम्बन्ध है, सब से पहले हमें संचार साधनों का विकास करना चाहिये। संचार साधनों का विकास किये बिना गांवों का विकास नहीं किया जा सकता। इसलिये सब से पहले तो सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये और दूसरे देश में सड़कों का जाल बिछाना चाहिये।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : हमें इस मंत्रालय के प्रयत्न देखकर काफी खुशी होती है। मुख्य सेविकाओं के लिये प्रशिक्षण की पूरी पूरी सुविधायें प्राप्त हैं। सामुदायिक विकास

†मूल अंग्रेजी में

कार्यक्रम भी ठीक ढंग पर चल रहा है और योजनायें भी सुचारू रूप से बनाई जाती हैं परन्तु यह सब होते हुए भी हमें यह जरूर खलता है कि जनता का सहयोग उस मात्रा तक प्राप्त नहीं हो रहा जिस तक होना चाहिये ।

इस काम को और आगे बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि इस के कर्मचारियों का स्तर ऊंचा किया जाय जब हम उन की कदर ज्यादा करेंगे तो उन का साहस भी बढ़ेगा और वे स्वेच्छापूर्वक काम करेंगे इस के अलावा गांवों के निराश युवकों के लिये स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था का होना भी अत्यावश्यक है । गांवों में अच्छे पुस्तकालय होने चाहियें जिन से पुस्तकें लेकर वे लोग पढ़ें और ज्ञान बढ़ायें । यह चीज बड़ी जरूरी है ।

गांवों के कुछ लोगों को हम कुटीर उद्योगों में खपा सकते हैं और इन को तभी सफल बनाया जा सकता है जब कि हम प्रशिक्षित टेक्निशियनों को गांवों मे रखें । वस्तुतः जनता को ठीक तरह से संगठित करना भी बड़ा जरूरी है ।

पंचायतों मे जो अनियमिततायें होती हैं उन को कड़े नियम कायदे अपना कर रोका जाना चाहिये । पूर्वी गोदावरी जिले के कोट्टापेट्टाह स्थान की पंचायत की ऐसी ही घटना की देखभाल होनी चाहिये । इसी तरह धीरे धीरे विकास होगा ।

†**श्री नंजप्पन** (नीलगिरी) : यद्यपि पंचायत राज हर स्थान पर लागू होता जा रहा है तथापि हमारे राज्य में इसकी प्रगति मंथर है । अभी एक तिहाई भाग में पंचायतें हुई हैं । निकट भूत तक जिलों के राजस्व अधिकारी ही उन पर अपना प्रभाव रखते रहे हैं परन्तु अब कुछ सीमा तक हालात बदले हैं ।

दूसरी चीज हमारे सामने है यह कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दो जिले आते हैं पर हमें एक जिला विकास परिषद में जाने की इजाजत है । इस तरह हमें दूसरी जगह जाने से वंचित होना पड़ता है । इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिये ।

हमारे देश में सहकारिता बहुत पुराने समय से चली आयी है ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

किन्तु इन संस्थाओं को सहकारी संस्थायें नहीं कहा जा सकता जहां नौकरों से काम कराया जाय । यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो कहना न होगा कि हमारे जिले में सहकारी खेती की प्रगति की बड़ी भारी गुंजायश है । हमारे जिले के किसानों को वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कृमि नाशक द्रव्यों और अच्छे बीजों की जरूरत है । परन्तु एसा लगता है कि सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं ने अभी तक जनता में उत्साह ही पैदा नहीं किया है । छोटे उद्योगों की भी कोई प्रगति नहीं हो पायी है ।

आरंभिक स्वास्थ्य एकक यद्यपि अच्छी तरह से चल रहे हैं पर कई स्थानों पर पूरी सुविधाएं उन्हें प्रदान नहीं की जातीं । स्वच्छ जल की व्यवस्था भी गांवों में नहीं हो सकी है जिसके कारण उदर रोग स्थान स्थान पर फैल जाते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बें० प० नायर (क्विलोन) : दस वर्ष के विगत अनुभव के कारण आधार पर मैं माननीय मंत्री को बधाई नहीं दे सकता और इस के लिए मुझ खेद है। इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में पूरी जानकारी भी नहीं दी गई है।

यह बताया गया है कि दूसरी योजना के अन्त तक ३११० खंड काम कर रहे हों और लगभग एक हजार खंड १० वर्ष का समय पूरा कर चुके होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आधे देश की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गयी होंगी या हो चुकी हैं। परन्तु वास्तविकता क्या है इसे हम जानते हैं।

प्रगति से तो एक तरफ, हमारे विचार में उलट गति पीछे की ओर गयी है। सड़कों, अम्बर चर्खा आदि सभी चीजों के बारे में पूरी प्रगति नहीं हुई है।

हरवानी साहब का कहना है कि अनेक क्षेत्रों में अधिक प्रगति इस कारण न हो सकी कि हम पहले ही काफी प्रगति कर चुके थे। परन्तु यह बात ठीक नहीं। हम तो अभी प्रगति की सीमा को भी नहीं छू पाये हैं। हमारे माननीय मंत्री ने सामुदायिक विकास के बारे में एक पुस्तक लिखी। है। उसके एक अध्याय का श्री गणेश उन्होंने इस प्रकार किया है:

> "सफल होने वाले सनकी को युग की प्रतिभावान विभूति मान लिया जाता है और सफल न होने वाले को पागल समझ कर पागलखाने में बंद कर दिया जाता है।"

ठीक यही बात इस मंत्रालय पर भी घटती है। और ज्यादा इसके बारे में मैं क्या कहूं।

अब हमें इस मंत्रालय की सफलताओं को भी देखना चाहिए। पशुपालन के संबंध में रिपोर्ट में लिखा गया है कि आलोच्य वर्ष में पशुपालन की प्रगति जारी रही। देखिये एक ही वाक्य में प्रगति का उल्लेख कर दिया गया। अब आप पृष्ठ ६ को देखें। वहां मतस्यपालन का उल्लेख है। सब से बड़ा काम जो इस क्षेत्र में हुआ है वह यह है कि २४०० एकड़ जल का सर्वेक्षण किया गया है। इस से भी और ज्यादा हैरानी की बात है यह कि ७.२ लाख छोटी मछलियों को प्रयोगात्मक क्षेत्रों में रखा गया है। शायद लाखों की संख्या देख कर आपको संतोष हो जाय पर यह बात भी हर आदमी जानता है कि एक साधारण काड मछली भी ६ लाख अंडे देती है। क्या इस से ज्यादा हास्यास्पद और भी कुछ हो सकता है।

मंत्री महोदय का कहना है कि देश में मछलियों की समस्या समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कागजी कार्रवाई कर के ऐसा समझ लिया है।

सभा को प्रतिवेदन के शब्द-जाल में नहीं फंसना चाहिये। इस के भारी-भरकम शब्दों का वास्तव में कोई मूल्य नहीं। देखिये, इसमें कृषीय औजारों के संबंध में लिखा है कि राज्य-सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कुछ उपयोगी कृषीय औजारों के खण्डों के प्रधान कार्यालयों में प्रदर्शन के लिये रखें। लेकिन मुश्किल तो यह है कि खण्डों के प्रधान कार्यालयों में कोई उनको देखने जाता ही नहीं। कोई भी माननीय सदस्य वहां साल में छः बार से अधिक नहीं जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

सचाई तो यह है कि हमारा खण्ड सलाहकार परिषद् से कोई संबंध ही नहीं रहता । मैं इसके लिये माननीय सदस्यों को दोषी नहीं ठहराता । सलाहकार परिषदों की बैठकों की बात मैं नहीं करता । उन में माननीय सदस्य जाते हैं । लेकिन वैसे सामान्यतया उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता । यह सचाई है, जिसे मानना ही पड़ता है ।

हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरह तो देश की समस्याओं का हल कभी नहीं हो पायगा । हम पशुओं की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । गायों की हम पूजा तो करते हैं, लेकिन भूखी और दुबली-पतली गायों की । हमारे पशुओं की ठीक से देखभाल नहीं होती । पशुओं का खाद्य भी है यथेष्ट मात्रा में पोषक नहीं होता । सामुदायिक परियोजना प्रशासन को सुअरों के प्रजनन पर जोर देना चाहिये । उनकी संख्या बड़े शीघ्र बढ़ती जाती है । वह एक बार में ६ से १२ तक को जन्म देती है । उनका मांस भी घटिया किस्म का नहीं होता । लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । हमें पशु-पालन पर जोर देना चाहिये । उस में सहकार्य पैदा करना चाहिये ।

मुझे एक खण्ड का अनुभव है । मैं ने कुछ बहुत ही बढ़िया किस्म के आम की कलमें लगाईं थीं । मैं उन को उत्तर भारत से ले गया था दक्षिण भारत में । लेकिन पिछले साल उस में कवक रोग लग गया । मैं ने इस के लिये खण्ड अधिकारी को बुलाया, जिस ने एक कृषि-विशेषज्ञ को भेज दिया था, जो कृषि कालेज से हाल ही में निकला था । उसने, मेरे सहमत न होने पर भी, उन पौधों पर 'एनड्रीन' का प्रयोग कर दिया । जिसका नतीजा यह हुआ कि अगले दिन उन पौधों में एक भी पत्ता नहीं रह गया था । इसका तात्पर्य यही है कि खण्डों में काम करने वाले लोगों को न तो अनुभव होता है और न उनको सही तौर पर इसके लिये प्रशिक्षित ही किया जाता है । इसीलिये मैं कहता हूं कि हमारे देश में सामुदायिक परियोजनायें स्थायी नहीं है ।

अब सहकारिता का प्रश्न लीजिये । यह एक ऐसा आन्दोलन है जिसको परीक्षण का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये । आवश्यकता इस बात की है कि सहकारिता के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाया जाये । हम मछुओं को सहकारी संस्थाओं में शामिल होने के लिये प्रेरित नहीं कर पाये हैं । प्रतिवेदन में कहा गया है कि मत्स्य-पालन की सहकारी संस्थायें कुल मिला कर ६० लाख मछलियों का व्यापार करती हैं, जब कि हमारे देश का समुद्री तट ३,५०० मील लम्बा है ।

हमारे यहां सहकारी संस्थाओं पर अक्सर चन्द लोगों का एकाधिकार हो जाता है । कुछ सहकारी संस्थाओं पर प्रशासकों के सम्बंधी हावी हो जाते हैं । हम अपने सहकारिता के आन्दोलन के जरिये जनता में विश्वास और भरोसा पैदा नहीं कर पाय हैं । अभी यह जन-आन्दोलन नहीं बन पाया है ।

आचार्य कृपालानी और श्री रंगा सहकारी खेती का जितना भी चाहें विरोध करें, पर जैसा कि श्री मल्होत्रा ने कहा है, यह देश में आकर रहेगी । सहकारी संस्थाओं के पंजीयन में सरकारी विभाग बड़ा विलम्ब करते हैं । उनको जो ऋण दिये जाते हैं उन पर भी इतनी शर्तें लाद दी जाती हैं कि उस से कोई लाभ नहीं हो पाता । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

देश की सहकारी संस्थाओं और सामुदायिक परियोजनाओं के कार्य-संचालन की पद्धति की जांच के लिये संसद्-सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । बलवंतराय समिति का

प्रतिवेदन अब काफी पुराना पड़ गया है। अब उन के लिये एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नया दृष्टिकोण अपना कर ही हम इसे एक आन्दोलन का रूप दे सकेंगे और इस दिशा में कुछ ठोस कदम कर सकेंगे।

इस मंत्रालय के कार्य के लिये माननीय मंत्री को बधाई नहीं दी जा सकती।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, नायर साहब के व्याख्यान के बाद मुझे मौका मिला है कुछ निवेदन करने का। नायर साहब ने जो व्याख्यान दिया, मैं सोच रहा था उस व्याख्यान के अन्दर से कोई ऐसा मैटीरियल (सामग्री) मिले जिस पर मैं कुछ निवेदन करता, कोई ऐसा सामान मिलता जिस पर मैं कुछ कह सकता, क्योंकि वे वास्तव में बड़े अध्ययनशील हैं और मैंने देखा है कि विषय कोई भी हो, लेकिन उस में वे कोई बायोलाजिकल प्राब्लेम (जीव विज्ञान सम्बन्धी समस्यायें) या उस तरह की और चीजें जरूर लाते हैं। जान पड़ता है कि डाक्टरी का उन को खासा तर्जुबा है। कुछ उन्होंने एनिमल हस्बैन्ड्री (पशु पालन) की बात जरूर कही, उस के बाद पता नहीं क्या खार खाये हुए थे मिनिस्टर साहब के सम्बन्ध में कि बराबर वे अपने को उसी पर रक्खे रहे।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम्यूनिटी डेवलपमेंट का जो विषय है, इस में कोई सन्देह नहीं है कि उस से हमें बड़ी आशायें बंधी थीं। देश को उस से बड़ी उम्मीद बंध गई थी कि देश भर में उस से बड़ा काम हो सकेगा। हमारे जितने कार्यक्रम बनते हैं नियोजन के सम्बन्ध में उन में सब से बड़ा व्यापक कार्यक्रम यही है। यह एक कार्यक्रम है जो सारे देश के गांवों-गांवों में पहुंचाता है, एक-एक गांव में पहुंचता है, एक-एक घर तक पहुंचता है। वह हमारे इस सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम है और इस देश में जहां को ४० करोड़ से अधिक लोग बसते हैं इसका बड़ा महत्व है। जो योजना गांव-गांव, घर-घर में पहुंचती है वह एक व्यापक योजना है और उस का सब से महत्वपूर्ण स्थान देश में हो सकता है। इसी से इस कार्यक्रम से लोगों को सब से बड़ी आशायें बंधती हैं, और आशायें इस योजना से और भी इस वास्ते बंध गई कि इस का सम्बन्ध हमारे अन्न के उत्पादन से है, फूड प्रोडक्शन (खाद्य उत्पादन) से है, जिस का हमारी समझ में एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे प्रधान मंत्री जी प्रायः इस की तारीफ करते आये हैं, जहां मौका हुआ। कभी भी मौका लगा तो इस की बड़ी बड़ी तारीफें उन्होंने कीं। प्रारम्भ में उन्होंने इस की तारीफें ज्यादा कीं, लेकिन अब उन की तारीफें धीरे-धीरे कम होती गईं।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : घटती जायेंगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : दूसरे देशों के भी बहुत से नेता आये हिन्दुस्तान में। उन्होंने भी इस योजना के सम्बन्ध में अच्छी बातें कहीं। लेकिन उन्होंने जो सारी बातें कहीं वे वही बातें थीं जिनसे हम उम्मीद बांधे बैठे थे। यह एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिस को अगर सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके तो यह दर असल हमारे देश की कायापलट कर दे सकता है, उसकी शकल को बदल दे सकता है, हमारे गरीब गांवों के रहने वालों की हालत को सुधार दे सकता है इसमें सन्देह नहीं। लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमको देखना होता है कि इसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं, क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आयी हैं, क्या क्या बाधाएं आयी हैं, कहां तक हम पहुंचे हैं।

इस सामुदायिक विकास योजना के सम्बन्ध में पहिले तो यह खयाल था कि इस कार्यक्रम का गवर्नमेंट की ओर से संचालन होता है और लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

कि यह गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें कि पीपिल्स पारटिसिपेशन (जनसहयोग) भी होता है । बाद को इसकी शक्ल बदली और कहा गया कि नहीं यह पीपिल्स प्रोग्राम है और गवर्नमेंट इसमें मदद करती है और हिस्सा लेती है । अब बदलते-बदलते यह हुआ है कि सारा काम हमको करना है, सारे समाज को कम्यूनिटी के रूप में उठाना है, आगे ले चलना है । तो अब जहां तक उद्देश्य का सवाल है वह तो बदल गया है, लेकिन दरअसल जो लोगों की धारणा इसके बारे में पहले बनी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है । लोग अब भी यही समझते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से यह कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें वह लोगों की सहायता करना चाहती है और गांव के रहने वालों की उन्नति करना चाहती है । जब कि हमारा उद्देश्य यह है कि इस कम्युनिटी डवलपमेंट के काम को लोग अपना काम समझें और अपनी योजना समझें और अपनी योजना समझ कर इसका स्वयं संचालन करें, उसको कार्यान्वित करने में जुटें और खुद ही एसी तरकीबें निकालें जिससे कि वह कारगर हो सके । तो लोगों के दिमाग में यह विचार है कि यह गवर्नमेंट का काम है जिससे हमको महज फायदा मिलता है और हम से जिस काम के लिए कहा जाए वह हमको कर देना चाहिए । जब कि लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है तो हम कैसे अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं । यह दिक्कत मंत्रालय के सामने आवेगी, और काम करने वाले और संचालकों के सामने आएगी । जब तक हम लोगों की यह धारणा नहीं बदलते तब तक हम सफल नहीं हो सकते क्योंकि काम तो लोगों को ही करना है ।

बावजूद इसके कि हमारे बहुत से साथी और मैं भी यह समझता हूं कि यह कोई बड़ा कारोबार चल रहा है, बड़ा प्रयास हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर आप देहात में जाइए तो अभी भी लोगों में कोई एसा अहसास नहीं है कि कोई बड़ा काम हो रहा है । अभी भी वहां तरह तरह की कमियां मिलती हैं । यानी जहां इस काम को इन सात आठ बरसों के बाद पहुंचना चाहिए था वहां तक यह पहुंचा नहीं है । सारे देश में बहुत से विकास क्षेत्र जारी हो गए हैं, हमारी आधी से ज्यादा आबादी और गांव इस से ढंक गए हैं। लेकिन इस के बावजूद जहां यह योजना पहुंच गयी है और जहां नहीं पहुंची है उन दोनों हिस्सों को देखने से कोई फर्क नहीं मालूम होता । मैं अपने जाती तजरबे की बात आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । मैं कोई २०-२५ मील की लगातार उस सीमा पर चला हूं जहां एक तरफ तो कम्युनिटी बलाक्स थे और दूसरी तरफ नहीं थे । मैं दोनों तरफ के खेतों को देखता जाता था कि दोनों में क्या फर्क है । क्योंकि आपने पैदावार बढ़ाने पर ही ज्यादा ध्यान दिया है इसलिए मैं ने इसी चीज को पकड़ कर देखना शुरू किया । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझ कोई खास फर्क नहीं मालूम हुआ । अगर एक तरफ कोई चीज अच्छी थी तो दूसरी तरफ कोई दूसरी चीज अच्छी थी । तो यह मेरे जाती तजरबे की बात है । ऐसी हालत में किसी रिपोर्ट या इवेल्यूएशन (मूल्यांकन) आदि के पढ़ने से मेरे दिमाग पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि मैंने इन चीजों को अपनी आखों से देखा है ।

दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था वह यह है कि इस योजना का जो इतना महत्व बढ़ गया है वह इसलिए कि इसका सम्बन्ध विशेष कर अन्न की पैदावार बढ़ाने से जोड़ दिया गया है। और अब धीरे धीरे सारा हिन्दुस्तान इस योजना के अन्तर्गत आ जाने वाला है । और चाहे फूड प्रोडक्शन का काम एग्रीकल्चर विभाग से भी सम्बन्ध रखता हो, लेकिन इस तरह के सारे कार्यकर्ताओं को सम्बद्ध करके पैदावार को बढ़ाने का

विशेष जिम्मा इस समय इसी विभाग का है । अतः हमको देखना चाहिए कि हमारे देश की अन्न की पैदावार कहां तक बढ़ी है । हमारे देश की आज हालत यह है कि विदेशों से मंगाए हुए अन्न के ऊपर हम जिंदा रह रहे हैं और उस से हमारी प्राइसेज भी ठिकाने आ रही हैं और भी कारोबार चलरहा है । अभी तो सब ठीक मालूम होता है कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी अन्न की पैदावार नहीं बढ़ती तो हम कब तक बाहर से अन्न मंगवाकर अपना काम चला सकते हैं और कैसे देश की और किसानों की प्रगति हो सकती है और कैसे विकास के कार्यों में हमको सफलता मिल सकती है । यह पैदावार बढ़ाने का सबसे बड़ा काम इस विभाग के जिम्मे है और जब तक यह काम नहीं होता तब तक हम इस काम में सफल नहीं हो सकते। मै चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए । जब इस दिशा में सफलता मिलेगी तभी समझा जाएगा कि हमारा यह प्रयास कारगर हो रहा है ।

दूसरी बात और मित्रों ने भी कही है सोशल एजूकेशन के बारे में । यह बहुत बड़ा महत्व का कार्य है । शिक्षा का कार्य तो शिक्षा विभाग कर रहा है, खेती की उन्नति का कार्य एग्रीकल्चर विभाग भी कर रहा है, हैल्थ विभाग भी अपना कांट्रीब्यूशन कर रहा है । जितने डिपार्टमेंट हैं वह सब अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं । लेकिन सोशल एजूकेशन का काम ऐसा है जो कि लोगों को कांशस बनाने का काम है, लोगों को कम्युनिटी माइंडड बनाने का काम है और वह खास तौर से इस विभाग का ही काम है । लेकिन इस दिशा में क्या प्रगति हुई है वह हम नहीं जानते । सोलश एजूकेशन की क्या परिभाषा है, इसका क्या आइडिया है यह चीज भी अभी ज्यादातर लोगों के दिमाग में साफ नहीं है । हो सकता है कि जो इसके संचालक हैं उनके दिमाग में यह चीज साफ हो लेकिन आम लोगों के दिमाग में जिनकी सहायता से आप इस काम को करना चाहते हैं, यह बात साफ नहीं है, और जब तक उनके दिमाग में यह चीज साफ नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह एक बड़ा महत्व का काम है और इस में हम को सबको साथ ले कर चलना है । इसलिए प्रयत्न यह होना चाहिए कि अन्य विभागों के लोग जो कि गांवों में काम करते हैं उन सब को एक साथ लेकर इस दिशा में प्रयास होना चाहिए । अगर इस प्रयास में हम सफल नहीं होते तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती और जो आशाएं हमने इस कार्यक्रम से बांध रखी थीं विफल हो जाएंगी ।

दूसरा इसका अंग है पंचायत राज का । कुछ प्रदेशों में यह पंचायत राज का काम शुरू हो गया है और कुछ प्रदेश अभी इस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं । लेकिन जहां-जहां इस काम को शुरू किया गया है वहां काफी अच्छा काम हुआ है । राजस्थान और आन्ध्र की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और जो हमारे मित्र देख आए हैं उन्होंने भी बतलाया है । लेकिन हम देखते हैं कि जो इस सम्बन्ध में विशेष चीज है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण), उस दिशा में अभी प्रगति बहुत कम हुई है । इसमें जो मुख्य काम है वह विकेन्द्रीकरण का है और उस विषय में हमको लोगों को एजूकेट करना है । लेकिन दरअसल विकेन्द्रीकरण हुआ है ऐसा नहीं दिखायी देता । अभी भी बिना ऊपर की मंजूरी के कोई काम नहीं हो सकता । एक आध जगह यह भी देखा गया कि स्थानीय लोगों ने स्वयं किसी काम के लिए पैसा एकत्र कर लिया लेकिन उस काम के करने के लिए भी ऊपर से मंजूरी आने में सालों लग गए । तो जहां तक यह हालत हो वहां पर पंचायत को किस तरह डिसेंट्रलाइज्ड कहा जा सकता है । आप ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि लोगों

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

को कुछ अधिकार डेलीगेट कर दिए हैं, जो चाहे वे डेलीगेट किए और जो अधिकार नहीं चाहे वे डेलीगेट नहीं किए । दूसरी तरफ तरह-तरह के झगड़े झमेले पंचायतों में बढ़ते चले जा रहे हैं । उसकी वजह से कम्युनिटी बनाने का आइडिया, कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलने का आइडिया हमसे दूर होता जा रहा है । मेरा निवेदन है, जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने भी कहा है, कि इनका चुनाव इस तरह से हो कि जिसमें फ्रैक्शन और जाति-पांत के झगड़े जो चल रहे हैं वह न रहें तो हमको इस दिशा में सफलता मिल सकती है ।

एक शब्द में अन्त में कोआपरेशन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक कोआपरेशन का सम्बन्ध है, कोआपरेटिव फार्मिंग की ऐसी बोगी फैला दी गयी है कि उसके कारण जो सरविस कोआपरेटिव्स का काम था उसमें भी प्रगति नहीं हो रही है उसको भी हम लोग नहीं बढ़ा सके हैं । कोआपरेटिव फार्मिंग के हल्ले के कारण लोगों के दिमाग में यह बात आ गयी है कि सरकार सारी जमीन ले लेगी और हमारी जमीनें चली जाएंगी । मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग (सहकारी खेती) की बात को छोड़ कर केवल यह कहें कि हम सरविस कोआपरेटिव्स को चलाना चाहते हैं । इस पर अगर हम ध्यान दें तो शायद हम कुछ आगे बढ़ सकें । इस पर हम ध्यान देते तो शायद कुछ आगे बढ़ जाते लेकिन इन सब में लिपट कर हम सेवा सहकारिता का जो कार्य है और जो कि बड़ा उपयोगी हो सकता था, वह भी हम नहीं कर सके हैं ।

मेरा समय हो गया है और मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता ? लेकिन एक आध बातें जो कि बहुत जरूरी थीं, उनको अगर आप केवल एक मिनट का समय मुझे दे दें तो मैं उनको निवेदन कर दूं ।

सभापति महोदय : एक मिनट ले लीजिये ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : धन्यवाद । मैं एक ही बात और आपसे निवेदन करने वाला था कि विशेष कर जो दिक्कत हमको महसूस होती है वह इस वास्ते होती है कि लोगों को इस प्लान के और योजना के बनाने में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल रहा ही। यह कहा जाता है कि नीचे से प्लान बन कर आता है और गांवों से प्लान बन कर आया है । इस सम्बन्ध में म एक निजी अनुभव आपसे निवेदन करना चाहता हूं । गांवों से प्लान बनने का जो तरीका है वह इस तरह है कि जिले में बैठ कर लोगों ने प्लान बना डाला और जब वह जिला परिषद में एक जगह पेश हुआ और पता लगाया जाने लगा तो कुछ गांवों के सभापतियों ने कहा कि उनको इस प्लान का कोई पता नहीं है । प्रायः सभी गांव वालों ने कहा कि उनको अपने गांव के प्लान का पता नहीं है । अब प्लान गांव सभा के सभापति और गांव सभा की ओर से वहां पहुंचा था लेकिन उनको अपने गांव के प्लान के बारे में पता नहीं था । इस पर अफसरों ने चारों ओर दौड़ धूप करनी शुरू कर दी और कुछ अफसरान जो इस प्लानिंग के थे उन्होंने जल्दी जल्दी-सबसे दस्तखत कराने चाहे क उनको इसके बारे में मालूम है अर्थात् अपने गांव का प्लान उनको मालूम है । अब सैंकड़ों सभापति होते हैं । कुछ से दस्तखत करा लिये और कुछ से दस्तखत नहीं करा पाये । कई महीने इस प्लान की स्वीकृति टलती रही ।

अब अगर एसी हालत रहती है और यह पता चले कि खुद गांव वालों को ही अपने गांव के प्लान का कोई पता नहीं है तो एसी हालत में गांव वालों की उस प्लान को अमल में लाने में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है । इससे साफ जाहिर है कि गांव वालों को जब अपने गांव के प्लान का पता नहीं रहता तो वह उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं, दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं और जो उस का उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता है ।

†**सभापति महोदय** : श्री शोभाराम । माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें ।

†**श्री शोभा राम** (अलवर) : राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई है । मुझे उसी के संबंध में कुछ कहना है ।

पंचायती राज की योजना में विकास के लिय खंड को एकीकृत इकाई माना गया है। प्रारम्भिक अवस्था में प्रारम्भिक सेवाओं के लिये तो यह ठीक है, लेकिन अब और आगे की अवस्था के लिय जिले को ही इकाई मानना चाहिये ।

इसलिये कि दूसरी अवस्था में सामाजिक सेवायें और ऊंचे स्तर की हो जाती हैं और सड़कों के निर्माण में जनता हाथ बटाने को तैयार हो जाती है । और, छोट-छोट किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है । और अब निकट भविष्य में कुटीर उद्योगों और छोट पैमाने के उद्योगों का भी काफी विकास होगा ।

इनके कारण खंडों में विकास की दूसरी अवस्था में कई नई समस्यायें पैदा हो जायेंगीं, और अभी भी हो रही हैं। उनको हल करने की क्षमता जिला परिषद् में ही हो सकती है। उसे अधिक प्रशासनिक शक्तियां और निधियां प्रदान की जानी चाहियें ।

राजस्थान में जिला परिषद् का मंत्री सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । इस संबंध में प्रतिवेदन में बिलकुल ठीक कहा गया है कि यह मंत्री कलक्टर का सहायक होता है, कलक्टर नहीं। इससे प्रमुख को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ती है। यह विकेन्द्रीकरण में एक त्रुटि है। कलक्टर को विकास अधिकारी की तरह काम करने देने से प्रमुख के लिय बाधा नहीं रहेगी ।

मंत्रालय को यह नहीं भूलना चाहिये कि पंचायती राज की सफलता की राह में अभी भी कुछ बाधायें हैं । अभी भी जनता के दृष्टिकोण में कोई खास परिवर्तन नहीं आ सका है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

खंड के स्तर पर अधिकारयों की भरमार है। हमें काम का उचित बटवारा करके अतिरिक्त अधिकारियों के किसी और विकास कार्य में लगाना चाहिये ।

जनता की यह धारणा बन गई है कि बेरोजगारों को रोजी जुटाने का दायित्व सरकार का है । यह गलत धारणा है ; इससे निष्क्रियता बढ़ती है।

राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाता है। पंचायत के सदस्य उसके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकते हैं; चाहे जनता उसे चाहती हो। यह व्यवस्था अनुचित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शोभाराम]

पंचायत समिति की प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायतों के सरपंच करते हैं। इसमें कई कदाचार देखने में आये हैं। उसका चुनाव या तो सीधा जनता द्वारा हो, या पंचों द्वारा। जिला परिषद् की उपसमितियों में सदस्यों के सहवरण की व्यवस्था रहनी चाहिये।

सामुदायिक विकास के मूल्यांकन कार्यक्रम का सबसे पहला उद्देश्य यह पता लगाना है कि उसकी सफलता या असफलता के क्या कारण रहे हैं। अब इसके लिय हमें यह पता लगाना चाहिय कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का देहातों की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। जनता की आय कितनी बड़ी-घटी है, और रोजगार की कौनसी नयी संभावनायें पैदा हुई हैं। प्रगति का एक यही मानदण्ड माना जाना चाहिये।

†श्री क० ड० परमार (अहमदाबाद–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : कल श्री रघुबीर सहाय ने सभा में कहा था कि गुजरात में अस्पृश्यता का लगभग उन्मूलन कर दिया गया है। यह बिलकुल भ्रामक है।

गुजरात में अनुसूचित जातियों की इतनी बुरी हालत है कि पंचमहल जिले में पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य, जो अनुसूचित जाति का था, जब कुर्सी पर बैठा, तो उसे स्वर्ण हिन्दुओं ने आग में झोंग दिया :

अनुसूचित जाति का एक ग्राम विस्तार अधिकारी जब एक गांव में गया, तो उसके स्वर्ण हिन्दू ग्राम सेवक ने उसे पानी पिलाने से इंकार कर दिया। कलक्टर से उसकी शिकायत करने पर भी कुछ नहीं बना।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिय पानी पीने के गिलास होटलों से बाहर रखे जाते हैं।

मेरा अनुभव यह है कि पंचायत राज में अनुसूचित जातियों के हितों को बड़ा खतरा है।

गुजरात में हरिजन सप्ताह के दौरान हरिजनों के कुओं में मिट्टी का तेल डाला गया था। हरिजनों को पीटा गया था और उनके घरों में आग लगाई गई थी। अनुसूचित जातियों का भविष्य अंधकारमय है।

†श्री रघुबीर सहाय (बदायूं) : हमने अपने प्रतिवेदन में उन स्थानों के नाम दिये हैं, जहां-जहां हम गये थे। उन गांवों को देखकर ही हमने अपने निष्कर्ष निकाले थे।

†श्री क० ड० परमार : मैं गुजरात में ऐसे भी क्षेत्रों को जानता हूं जहां हरिजनों से बेगार ली जाती है। जब माननीय सदस्य वहां जाते हैं तो ऊपर से सब ठीक करके दिखाया जाता है।

यह प्रतिवेदन बड़ा भ्रामक और अस्पष्ट है। हालार जिले में तो ग्वाले हरिजनों को दूध तक नहीं बचते।

यह कहना गलत है कि यह गांधी वादी तरीका है हरिजनों के साथ काम करने का।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे प्रधान मंत्री अफ्रीका में रंगभेद की नीति की निन्दा करते हैं, पर वह अपने घर में नहीं देखते ।

†उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार को तुलना अनुचित है ।

अब सहकारिता को लीजिये । प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ८५ प्रतिशत सहकारी संस्थायें सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही हैं । तब भी कहा जाता है कि सहकारिता आंदोलन सफल है ।

दिल्ली में रिक्शा चालकों की एक सहकारी संस्था है । बर्फ बेचने वाले एक व्यक्ति को उस संस्था के जरिये इतना लाभ हुआ कि उसने दो बंगले खरीद लिये और कई साइकिलें । उस संस्था में काफी गबन हुआ है । ६ जुलाई, १९६० का फ्लेम अखबार देखिये । लेकिन एक भी रिक्शा-चालक के नाम में रिक्शा नहीं हो पाया है । मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिये ।

†श्री रंगा (तेनालि) : मैं सहकारी खेती की नीति को बुद्धिमानी पूर्ण नहीं मानता । इसीलिये मैंने अपना कौटौती प्रस्ताव रखा है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने उसके बारे में मुझ अभी तक सूचित नहीं किया कि वह उसे प्रस्तुत किया गया मानना चाहते हैं ।

†श्री रंगा : मुझे अपनी गलती पर खेद है । मैं समर्थ रहा था कि वह ठीक है ।

मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	१२९८	श्री रंगा	सरकारी तत्वाधान में सहकारी खेती को लागू करने की नीति	राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय

यह पूरी सरकार की नीति है । मैं उससे सहमत नहीं ।

मैं सेवा सहकारी संस्थाओं के पक्ष में हूं । मैं उनके लिय १९२३ से प्रयत्नशील हूं । इसलिये यह नहीं समझा जाना चाहिये कि मैं सहकारिता के पूरे आंदोलन का विरोध करता हूं ।

सरकार सहकारी खेती के जरिये छोट-छोट जोतदारों को जो-जो लाभ पहुंचाना चाहती है, वे केवल सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा ही पहुंचाये जा सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

हमारे देश में जो लोग अपनी भूमि पर खेती करते हैं उनकी संख्या ५० प्रतिशत से अधिक है। दस्तकारी वाले लोगों की संख्या ४ करोड़ से अधिक है। यदि सरकार उनकी भूमि अपने अधिकार में करके उनसे खेती करायगी, तो उनकी स्वतंत्रता छिन जायगी। व आर्थिक दासता में जकड़ जायेंगे। उनका काम केवल सहकारी समितियों के पदाधिकारी चुनना रह जायगा।

सहकारी समितियों में प्रबन्धकों की बात ही सुनी जायेगी। हमने ऐसी संस्थाओं में काम किया है और हमारा अनुभव यही है कि प्रबन्धकगण लोकतंत्रात्मक सीमाओं का अतिक्रमण करके अपने लिये अधिक शक्तियां ग्रहण कर लेते हैं।

निजलिंगप्पा समिति और देहाती बैंकिंग जांच समिति ने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि हमारी सहकारी संस्थाओं में अभी तक लोकतंत्रात्मकता नहीं आ पाई है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों का भी सबसे पहला कर्त्तव्य यही है कि अधिकाधिक सहकारी समितियों को संगठित करें और उनको अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न करें। और इस प्रकार अधिकाधिक विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रबन्ध सहकारिता के आधार पर करें।

ऋण के मामले में सहकारी समितियां साहुकारी करने लगी हैं। रक्षित बैंक २।। प्रतिशत ब्याज की दर पर रुपया उधार देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां ६ प्रतिशत पर।

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : ९ प्रतिशत पर।

†श्री रंगा : आंध्र प्रदेश, तामिलनाड और कर्नाटक में व ७ प्रतिशत लेती हैं।

सहकारी भांडागारों के निर्धारित लक्ष्य का ३० प्रतिशत भी सरकार पूरा नहीं कर सकी है। फिर ग्रामों और मंडियों के स्तर पर निर्मित किये जाने वाले भांडागारों की तो बात ही क्या पूछना।

सहकारी स्टोर चोर बाजारी भी करते हैं। आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में उर्वरकों की चोर-बाजारी की गई है। जांच समिति ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि स्टोरर्स के मंत्री और सभापति ने ग़लत काम किया था।

बुद्धिमानी यही होगी की सरकार सेवा-सहकारी संस्थाओं के विकास पर सारा जोर लगाये। उन के काम करने के तरीके में और सुधार किये जाने चाहिये और उन के लिय अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि वे किसानों के लिये अधिक ऋण जुटा सकें।

मेरे एक मित्र ने कहा था कि कृषीय सहकारी खेती सम्मिलित परिवार की खेती के समान ही है। तब फिर अधिकतम सीमा क्यों निर्धारित की गई है ? सूरतगढ़ में वे संस्थापन पर ही २५ प्रतिशत से अधिक खर्च कर देते हैं। फिर भी वह अपना आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सका है।

यदि आप सहकारी खेती को बिलकुल ही एच्छिक आधार पर चालू करना चाहते हैं, तो फिर लक्ष्य क्यों निर्धारित किय जाते हैं ? सहकारी खेती चालू करने से किसानों को अपनी

†मूल अंग्रेजी में

ओर से सुधार-विकास करने की कोई प्रेरणा नहीं रह जायगी। रूस और चीन में इसका यही परिणाम हुआ है ।

सरकार सहकारी खेती पर बहुत बड़ी राशि खर्च करने की योजना बना रही है । रूस में हम इसका परिणाम देख चुके हैं। अपने देश में वह ग़लती नहीं की जानी चाहिये।

अब वहां आधे के करीब पशु किसानों के ही हैं। पहले किसानों को अपने पशु रखने की अनुमति नहीं थी। इससे हमें सबक सीखना चाहिये।

लेकिन चीन वाले रूस का अनुकरण नहीं करना चाहते। उन के यहां भी अकाल पड़ा है। वे भी आज हमारी तरह संसार से अन्न मांग रहे हैं। वे एक बार किसानों को फिर से स्वामित्व देने के लिये उत्सुक हैं। लेकिन उन के यहां काम मशीनों से होता है । खेत जोतने के लिये उन के पास ट्रेक्टर हैं जब कि हमारे यहां किसान बैलों से खेत जोतते हैं। सरकार की ओर से उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलती । किसानों की ओर से कोई कमी नहीं है। अगर सरकार उनकी सहायता करे तो वे अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिये समर्थ हो जायेंगे और देश आत्म निर्भर हो जायेगा ।

अंत में मैं सरकार को इस बात से सचेत कर देना चाहता हूं कि वह जनता से कहे कि वह किसानों की मिलकियत के विरुद्ध नहीं है, वह छोटे छोटे किसानों के विरोध में नहीं है बल्कि हमारे पास जो करोड़ों एकड़ भूमि है उसे हम भूमिहीन श्रमिकों को बांट देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये भूमिहीन व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में भूमि के मालिक बनें।

†श्री सै० अ० मेहदी : (रामपुर): इस मंत्रालय ने पिछले वर्ष तथा उस से पहले जो कार्य किया है निश्चय ही वह प्रशंसनीय है । जिन माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना की है वह इस मंत्रालय के कार्य के महत्व को न समझने के कारण की गई है । यह मंत्रालय ग्रामीण इलाकों में जागृति फैलाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है । पंचायतों की स्थापना करना कोई मामूली बात नहीं है । विकास खंडों की स्थापना एवं उनका कार्य भी प्रशंसनीय है । सन् १९६३ तक सारा ग्रामीण क्षेत्र विकास खंडों के अन्तर्गत आ जायेगा। यह मंत्रालय जो कार्य कर रहा है वह धन की कमी तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण उतना सफल नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिये । जब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों को पूरे साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध न कराई जायें तब तक उन को प्रशिक्षित करने से कोई लाभ नहीं है ।

देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर के और पंचायतों को अधिक अधिकार देकर जनता में दायित्व की भावना उत्पन्न की जा सकती है। गांवों में संचार के साधनों का विकास कर के उत्पादन केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक निकट लाया जाना चाहिये। आशा है कि कम से कम एक और योजना के बाद ग्रामीण जनता पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का क्या प्रभाव हुआ है यह स्पष्ट हो जायेगा । और ग्रामीण जनता इस मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले कार्य की महत्ता को समझने लगेगी।

†श्री बहादुर सिंह (लुधियाना --रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सामुदायिक विकास कार्य क्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाना और सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास करना है। मेरे विचार में यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बहादुर सिंह]

यह सम्पूर्ण देश का विकास भी करेगा। मेरे विचार से मंत्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया है। यह कार्य ऐसा है कि जो निरंतर चलते रहना चाहिये तथा चलता रहेगा।

जब शुरू में यह कार्य आरम्भ हुआ तो जनता ने इस में रुचि ली तथा उत्साह दिखाया। लेकिन बाद को यह उत्साह कम हो गया अतः ऐसे प्रयत्न किये जाने चाहिये कि लोगों में फिर से उत्साह की भावना उत्पन्न हो। आजकल लोगों में यह भावना व्याप्त है कि यह कार्य सरकार का है और इस में उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भावना जनता के दिल से निकालनी चाहिये। सामुदायिक विकास अधिकारियों को इस प्रकार का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि वे इस कार्य के लिये लोगों में उत्साह उत्पन्न कर सकें। समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां एवं महिलाओं को इस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसलिय कुछ लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाय जाने चाहिये ताकि इन लोगों को कुछ काम मिल सके। ताकि गरीब लोगों को इन उद्योगों से काम मिल सके।

कुछ राज्यों में चकबंदी का काम भी हुआ है। यह ठीक है कि इससे कुछ लाभ हुआ है तथा कुछ हानि भी हुई है। गांवों में भूमिहीन मजदूरों तथा अनुसूचित जातियों को एक प्रकार से बिल्कुल ही भुला दिया गया है। विभिन्न राज्यों में कुछ स्वार्थी लोगों के कारण भूमि संबंधी सुधार भी नहीं किये जा सके हैं। मेरा सुझाव यह है कि भूमिहीन मजदूरों को दूसरी तरह से लाभ पहुंचाया जाये। कृषि में संतुलित विकास के लिये पशुपालन और कृषि सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञों को सभी विकास खण्डों से सम्बद्ध किया जाना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने पंजाब की सहकारी समितियों की आलोचना की है। मैं बता देना चाहता हूं कि अधिकांशतः समितियों की स्थिति अच्छी है। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि संसद् तथा विधान सभाओं के सदस्यों का ज़िला परिषद् से सम्बन्ध केवल सलाहकार के नाते होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

†श्री उ० ल० पाटिल (धूलिया): सहकारी आन्दोलन ने देश में जो प्रगति की है वह सराहनीय है। इस आन्दोलन का काम बड़ा अवश्य है लेकिन इस के काम की किस्म में सुधार नहीं हुआ है? सहकारी समितियों के वर्गीकरण का ढंग सम्पूर्ण देश में एक समान नहीं है। सेवा सहकारी समितियों का उस हद तक स्वागत है जहां तक व संयुक्त सहकारी समितियां बनाने में सफल रही हैं। देश में अच्छी कृषि समितियां बनाई जानी चाहिये। और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये सहकारी आंदोलन को चाहिये कि वह समाज के कमज़ोर तत्वों की सहायता करे। किसानों को बीज तथा उर्वरक देने के मामले में सेवा सहकारी समितियों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उन्हें किसानों को अच्छे औज़ार देने के मामले की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

मेरा अपना अनुभव यह है कि संयुक्त कृषि समितियां अधिक उत्पादन नहीं कर सकी है। अतः संयुक्त कृषि समितियां बनाना लाभदायक नहीं होगा क्योंकि उनके बनाने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

ये समितियां तभी सफल होंगी जब कि इन के साथ साथ कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण उद्योगों का भी विकास किया जाये। ऐसा न करने से गांवों में बेरोजगारी भी बहुत

†मूल अंग्रेजी में

अधिक बढ़ जायगी। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को बताना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में बेरोजगारी तथा अर्द्ध बरोजगारी को समाप्त करने के लिये उसके पास क्या कार्यक्रम हैं।

कृषक बैंक बनाने के बारे में जब प्रश्न किया गया तो मंत्री महोदय ने बताया कि वे इस के पक्ष में नहीं हैं। सरकार से किसानों को जो सहायता मिलती है वह कम पड़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृषक बैंकों के बनाये जाने का विरोध नहीं किया जाना चाहिये।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इस कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐंड कोआपरेशन मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर जो वाद विवाद चल रहा है उसमें हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव भी दिये हैं और कुछ ने इसकी काफी आलोचना भी की। यह मंत्रालय ऐसा है जिसका कि भारतवर्ष से और हमारी सरकार के बहुत से विभागों और मंत्रालयों से संबंध रहता है। मैं समझता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संचार आदि मंत्रालय इस मंत्रालय से संबंध रखते हैं।

आप जानते हैं कि एक ब्लाक के ऊपर प्रतिवर्ष १२ लाख रुपया खर्चा होता है परन्तु उस १२ लाख में से ३ लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों पर खर्च हो जाता है। इस तरह से सिर्फ ९ लाख रुपया बचता है जोकि एक ब्लाक के ऊपर खर्च होता है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि मंत्रालय इसको सहयोग न दें तो मैं समझता हूं कि इसकी प्रगति उतनी नहीं हो सकेगी जितनी की आज आवश्यकता है।

इस समय हमारे देश में असंख्य व्यक्ति इस प्रकार के हैं जोकि स्वराज्य के सच्चे अर्थों को और उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हमारे गांवों में रहने वाले लोग जिनकी कि तादाद देश की कुल आबादी की ८० प्रतिशतः है अर्थात् ८० फीसदी हमारे देशवासी गांवों में बसते हैं, वे कहते हैं कि यह स्वराज्य बड़े बड़े शहरों, नगरों और कस्बों तक ही पहुंचा है। हम तक यह स्वराज्य अभी तक नहीं पहुंच रहा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का यह एक ऐसा विभाग है जिसके कि द्वारा हमारी सरकार गांवों तक स्वराज्य पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में प्रयत्न भी हुये हैं। आप जानते हैं कि कृषि को सबसे ज्यादा महत्व इस विभाग ने दिया है और यह ठीक भी है क्योंकि हमारे देश को अन्न की आवश्यकता है। हालांकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है लेकिन अन्न की समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी है। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस विभाग द्वारा हम अपने देश में अधिक से अधिक कृषि उत्पादन की दिशा में प्रयत्न करें। इस वक्त हमारे देश में बहुत सा अन्न दूसरे देशों से आता है और उसके मंगाने में हमारा बहुत पैसा व्यय हो रहा है। इस मंत्रालय द्वारा इस दिशा में प्रयत्न भी हो रहे हैं।

माननीय रंगा जी और कुछ दूसरे लोगों ने कहा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग द्वारा कृषि के अन्दर अच्छे तरीके से उन्नति नहीं हो सकती है। लेकिन मैं उनसे इस बारे में सहमत नहीं हूं और मेरा तो यही कहना है कि इस देश को यदि उन्नति की ओर ले जाना है तो कोआपरेटिव फार्मिंग के द्वारा ही कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। इस तरह यह देश कृषि के मामले में आत्मनिर्भर भी बन सकता है।

कुछ लोगों ने यहां तक भी शिकायत की कि इस मंत्रालय ने अछूतों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया है। हमारे विरोधी दल के एक भाई ने बतलाया है कि छुआछूत हमारे देश के अन्दर बहुत ज्यादा है और उन्होंने इसके लिये एक आध स्थान का उदाहरण भी दिया। उन्होंने यह कहा कि इस विभाग के द्वारा छूआछूत का प्रचार और ज्यादा हुआ है। मेरा उनसे कहना है

कि इस तरह का आम आक्षेप लगाना दुरुस्त न होगा। इस तरह का अवांछनीय व्यवहार कहीं किसी एक खास स्थान पर ही हुआ होगा अथवा कोई एक आध घटना हो सकती है जहां पर कि किसी के साथ इस किस्म का दुर्व्यवहार हुआ होगा परन्तु सब जगह ऐसा नहीं है।

इस समय इस मंत्रालय के द्वारा जो पंचायत राज कायम किया जा रहा है, वह केवल ५ प्रांतों में ही कायम किया जा रहा है। आंध्र, गुजरात, मद्रास, मैसूर, असम, उड़ीसा और राजस्थान इन ५-७ प्रांतों के अन्दर ही पंचायत राज की स्थापना हुई है। मेरा मंत्रालय से यह कहना है कि उत्तर प्रदेश जो कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है वहां इस प्रकार की पंचायत राज की स्थापना क्यों नहीं हुई है जबकि इसके द्वारा हमारे उन लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को लाभ होता है। इस पंचायत राज के द्वारा लोगों ने काफी प्रगति की है। देखते में आया है कि ग्रामों के अन्दर जागृति प्रारम्भ हो गई है। शहरों और कस्बों में तो अंग्रेजी राज्य में भी जागृति थी और स्वराज्य होने के बाद भी शहरों और कस्बों में काफी प्रगति हुई है परन्तु गांवों में जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पंचायत राज के द्वारा गांवों में कुछ प्रगति दिखाई देनी चाहिये थी अब कुछ प्रगति प्रारम्भ हुई है। सड़कें वहां पर बन रही हैं। कुछ शिक्षा का भी विस्तार और प्रचार हुआ है। स्वास्थ्य के लिये भी लोगों के अन्दर भावना पैदा हुई है और लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी और जो विकास की चीजें हैं वे भी हमारे गांवों के अन्दर प्रगति कर रही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन गांवों में जहां कि हमारे देश की ८० फीसदी ग्रामीण जनता बसती है, विकास कार्यों के द्वारा हमारे देश को उन्नतिशील बनाने का जो प्रयत्न यह मंत्रालय कर रहा है उसके लिये वास्तव में वह हमारे धन्यवाद का पात्र है। परन्तु मेरा मंत्रालय से यह कहना है कि केवल कृषि द्वारा ही अर्थात् खाद्य समस्या हल करके हम अपनी ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा कर लेंगे और उनकी आर्थिक अवस्था सम्हल जायगी, सो ऐसी बात नहीं है, केवल कृषि के द्वारा ही नहीं अपितु कुछ उद्योग धंधों का भी उसमें समावेश होना चाहिये उनका भी विकास होना चाहिये। इन ग्रामीण बस्तियों में कृषि औजारों का निर्माण, औजार मरम्मत करने वाले कारखाने, सामुदायिक सुविधा केन्द्र, फल और तरकारियों का संरक्षण, मक्खन बनाना, बिजली के छोटे छोटे पुरजे बनाना, अनाज कुटाई, रस्सी और रेशा काम, बिस्कुट और मिठाई आदि बनाना, तार के सामान, नट, बोल्ट, और ताले बनाना, तेल पेरना, धान कुटाई, कपास ओटना आदि छोटे छोटे कुटीर उद्योग शुरू करने चाहियें। उनका भी हमारे उन गांवों में यदि प्रवेश हो जाय और इस दिशा में प्रयत्न हो तो मेरा अपना यह अनुमान है कि जैसा हम चाहते हैं और हमारी सरकार भी चाहती है कि देश उन्नति करे, वह उन्नति हो सकेगी। इसके लिये आवश्यक है कि कृषि के साथ साथ उन उद्योग धंधों का भी समावेश करना होगा।

मेरे कुछ साथियों ने यह कहा है कि हमारे अफसर साहबान या जो पंचायत में काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूं कि यह ट्रेनिंग का दिया जाना अत्यावश्यक है चाहे वे छोटे कर्मचारी हों और चाहे वे बड़े कर्मचारी हों। मेरा तो यहां तक कहना है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं जो हमारी असेम्बलीज और पार्लियामेंट के मेम्बर साहबान हैं वे भी सामुदायिक विकास योजनाओं में भाग लें। जो ट्रेनिंग हमारे अफसरों को और सहायक ग्राम कार्यकर्ताओं को दी जाती है वही ट्रेनिंग उनको भी मिलनी चाहिये जिससे कि वे अच्छे तरीके से काम कर सकें।

हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा कि हमारे विकास खंडों में पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है और कुछ भ्रष्टाचार भी चल रहा है और इसके लिये उन्होंने उदाहरण दिया कि जीपें आदि जो सरकारी अफसरों को प्रोवाइड की गई हैं वे जीप कारें बेकार हैं क्योंकि गांवों में सड़कें नहीं हैं और बगैर सड़कों के यह जीपें चल नहीं सकती हैं। उन्होंने बजाय जीप के साइकिल और घोड़ा देने के बारे में कहा है। मेरा कहना यह है कि यह ठीक है कि जीप आदि का कहीं कहीं दुरुपयोग भी होता है लेकिन बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जहां कि उसका सदुपयोग भी हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी और अच्छा काम करने के लिये हमें उनको तेजगामी यान उपलब्ध करने चाहियें। जिन माननीय सदस्यों ने इस का विरोध किया है कि उनको जीप्स इत्यादि न दी जायें, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि इस साधन का उपयोग करना उनके लिये अति आवश्यक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस विभाग के द्वारा कुछ भी उन्नति के कार्य नहीं किये गये हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं......

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री नरदेव स्नातक : दो मिनट में खत्म किये देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनत नहीं, एक मिनट भी नहीं मिल सकता है।

श्री नरदेव स्नातक : पांच सात मिनट ही तो मैं बोला हूं। मैं अभी खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट माननीय सदस्य ले चुके हैं।

श्री नरदेव स्नातक : १९५२ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होने से ३० जून १९६० तक लोगों ने इस कार्यक्रम में ९० करोड़ ६० लाख रुपया और सरकार ने १ अरब ९० करोड़ ९० लाख रुपया लगाया।

अक्तूबर, १९५९ से अब तक ३२ लाख से अधिक गांव वालों को ट्रेनिंग दी गई और ७२ हजार गांव सहायक शिविर लगाये गये। इसके अलावा १ लाख ६० हजार युवक समाज और किसानी संघ बनाये गये। इनके २० लाख से अधिक सदस्य हैं। शिक्षा प्रसार के लिये भी बहुत काम किया गया है। इस समय देश में १ लाख ६२ हजार साक्षरता केन्द्र और ७५ हजार पुस्तकालय और वाचनालय हैं। इसके अतिरिक्त . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय खत्म हो गया है। श्री अर्जुन सिंह भदौरिया।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने थोड़े समय में भारतवर्ष के गांवों की दुखभरी कहानी किस तरह से आपके सामने उपस्थित करूं। वे लोग जो सामुदायिक विकास योजना या गांवों के उत्थान में—यकीन रखते हैं, आस्था और विश्वास रखते हैं, आज करीब करीब उन सभी के मुह बन्द हैं। गांव क्या चाहते हैं? गांव दो बातें चाहते हैं, उजला मन और मैला हाथ। आज उनके हाथ मैले हैं जो श्रम में विश्वास रखते हैं लेकिन उन्हीं का मुंह उजला है और जिन लोगों का मन उजला है और हाथ मैले हैं, उन्हीं के विकास के लिये, उन्हीं की तरक्की के लिये हमें कुछ करना है। शहर क्या हैं? शहर शोषण के प्रतीक हैं। गांव क्या हैं? गांव श्रम के प्रतीक हैं। जो श्रम के प्रतीक हैं आज वे मुरझाये हुये हैं और जो शोषण के प्रतीक हैं वे बिल्कुल नई दुलहन की तरह से सजते चले जा रहे हैं।

अब सवाल यह पैदा होता है कि सामुदायिक विकास योजना को इस मुल्क में किस तरह से सफल और कामयाब बनाया जाये । यही बड़ा सवाल इस सदन के सामने और सारे मुल्क के सामने आज उपस्थित है और इसी पर हमें विचार करना है ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यक्रम के अनुदानों की मांगों पर विचार करने के पूर्व हमें परतंत्र भारत का, जब भारत गुलाम था, उन दिनों पर भी कुछ विचार करना होगा और ऐसे समय की याद करनी होगी जब हमारा देश परतंत्रता की कड़ीकड़ियों में जकड़ा हुआ था । उन दिनों हम गुलामी की जजीरों को तोड़ कर स्वतंत्रता के सुख और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की सुखमय कल्पना कर रहे थे । हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप देश स्वतंत्र हुआ और उस को स्वतंत्र हुए तेरह वर्ष होने जा रहे हैं । इन तेरह वर्षों में देश की जनता ने अपने स्वप्नों को साकार करने के लिये, उन को पूरा करने के लिये अनवरत परिश्रम और सतत् साधना की है । स्वतंत्रता के बाद शहर शहर और गांव गांव में जो उमंग, उत्साह, आशा और आकांक्षा का सागर उमड़ा था, वह सब डूब गया, वह सूख गया और समस्त स्वप्न पूरे होने के बजाय चूर चूर हो गये, सारी की सारी आशायें निराशा में बदल गईं । जनता जिस आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना और उत्थान की आशा और अपेक्षा करती थी वह सब दुःख और दरिद्रता, निराशा और ना-उम्मीदी में बदल गई है । जनता के स्वप्न साकार होने के बजाय धूमिल हुए हैं और टूक टूक हो गये हैं ।

आखिर यह कम्युनिटी डिवेलेपमेंट या यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम और यह नियोजन क्यों हो रहा है ? यह इसीलिये तो हो रहा है कि गांवों में जो बेकारी व्याप्त है, वह दूर हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे और जो लोग भूखे हैं, उनको रोटी मिले । इन तीन चार बातों पर हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमें कहां तक सफलता मिली है, कहां तक कामयाबी हासिल हुई । नियोजन अर्थशास्त्र के द्वारा तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य यही हो सकता है कि देश में व्याप्त असमानता को हम घटायें खुशहाली और भाईचारा बढ़ायें ग्रामीण भारत की बेकारी को दूर करें और साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या हल हो, लोगों को काम मिले, ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा हो, समाज में उसे सम्मान प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी, पर-कैपिटा इनकम बढ़े । इन कामों को पूरा करने के लिये सामुदायिक विकास योजना या कम्युनिटी डिवेलेपमेंट की आवश्यकता है । लेकिन भारत सरकार ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये क्या कुछ किया है, यह बड़ा सवाल है जिस का उत्तर आज हमें यहां पर प्राप्त होना है ।

शासन ने किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की हमारे देश में स्थापना की है । हमारे देश में कुल ५ लाख ५८ हजार ग्रामों की संख्या है । देश की कुल आबादी का ८२ प्रतिशत भाग ग्रामों में या देहातों में बसता है । हमारे देश में शहरी आबादी १८ प्रतिशत है । अभी जो जनगणना हुई है, उसके अनुसार भारत की कुल ग्रामीण आबादी ३६ करोड़ ५० लाख है । कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के काम को चले हुए हमारे देश में लगभग आठ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं । अभी तक केवल ३ लाख ६८ हजार गांवों में इसका प्रसार हुआ है और २० करोड़ की आबादी को इसने कवर किया है ।

इन पिछले आठ बरसों में कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिये था, लघु सिंचाई योजनाओं का विकास होना चाहिये था, ग्रामीण तथा छोटी दस्तकारियों का समन्वित विकास होना चाहिये था,

शिक्षा तथा परिवार नियोजन की नींव दृढ़ होनी चाहिये थी, ग्रामीण इलाकों में आवास का प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिये था और सहकारिता और पंचायती राज की जड़ों को मजबूत कर दिया जाना चाहिये था। जहां तक उपरोक्त बातों का सम्बन्ध है और विशेषकर पचायतों का प्रश्न है हम देखते हैं कि पचायतें न तो सुदृढ़ हुई हैं और न ही उन को अभी तक कोई शक्ति ही दी गई है। टैक्स लगाने और घूर झाड़ने के अलावा आज उनका कोई काम नहीं है, उन के पास और कोई ताकत नहीं हैं। ये सारी की सारी घुरझरा पंचायतें हैं। कहने को कह दिया जाता है कि हम पँचायतों को मजबूत कर रहेहैं, उन को शक्ति दे रहे हैं, हम पावर को डिसैंट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अ.प सचमुच पचायतों को मजबूत करना चाहते हैं तो इन डेलीगेटिड पावर्ज से उनको आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। इन को मजबूत करने का तरीका यह है कि जिस तरह से आपने हिन्दुस्तान के संविधान में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को ताकत दी हुई है उसी तरह की ताकत या उसी तरह के अधिकार इन ग्राम पंचायतों को भी दें, इन जिला परिषदों को भी दें। संविधान के अन्दर उसी तरह के अधिकार उनको मिलने चाहियें। हम उनसे आशा तो यह करते हैं कि वे काम करें, कर्त्तव्यपरायण हों लेकिन कर्त्तव्यपरायण वे तभी बन सकती हैं जब उनको हम अधिकार दें। अधिकार-हीन पंचायतें और अधिकार-हीन जिला परिषदें अपने कर्त्तव्य का किस तरह से पालन कर सकती हैं। अधिकारहीन पंचायतों से कत्तव्य पालन की कभी भी आशा नहीं की जा सकती है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप उनके अधिकार बढ़ायें।

अब मैं कृषि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कृषि का उत्पादन बढ़ाने और मुल्क में से गरीबी को मिटाने के लिये कितना काम इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है, इस का उत्तर हमारे मंत्री महोदय सदन में दें। कृषि का उत्पादन बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यदि हम देश की कुल आबादी का खयाल करें तो ज्ञात होगा कि देश में ग्रामीण जनता ८२ प्रतिशत है और इस ८२ प्रतिशत जनता में ७३ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। यदि खेती का उत्पादन बढ़ेगा तो उन लोगों की जो कृषि पर निर्भर करते हैं, आमदनी बढ़ेगी और जब उन की आमदनी बढ़ेगी तो अपने आप उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने पर, कम्युनिटी डिवेलेपमेंट तथा भारत सरकार ने जो कुछ खर्च किया है, उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चहाता हूं। गत बारह वर्षों में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये ६२० करोड़ रुपया सरकार ने व्यय किया है। साथ ही ७०० करोड़ रुपया बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया है। इस तरह से कुल मिला कर १६२० करोड़ रुपया सरकार ने व्यय किया है। एक तरफ तो १६२० करोड़ रुपया कृषि उत्पादन बढ़ाने पर खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ जो विदेशों से हिन्दुस्तान में गल्ला आ रहा है, उस पर हमने कितना खर्च किया है, उस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता के बाद से केवल अमरीका से ही ३ करोड़ ५० लाख टन गल्ला हिन्दुस्तान में आया है जिसका कुल मिला कर मूल्य १४०० करोड़ रुपया होता है। अभी हाल ही में हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी अमरीका गये थे और उन्होंने वहां से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत १ करोड़ ४० लाख टन गल्ला हिन्दुस्तान मंगाने का समझौता किया है जिसकी कुल लागत ६०० करोड़ रुपये के करीब आती है। इस तरह से केवल अमरीका से ही २,००० करोड़ रुपये या २० अरब मूल्य का गल्ला भारत आया है या आयगा। अमरीका के अलावा जो दूसरे मूल्कों से गल्ला भारत आया है वह लगभग ५ अरब रुपये का आया है। इस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाओं के अन्त तक इस मुल्क के अन्दर लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये का अर्थात् २५ अरब रुपये का सिर्फ गल्ला ही गल्ला आ जायेगा। अगर हम ने इस मुल्क के अन्दर गल्ले की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की होती तो जो गल्ला हम विदेशों से मंगाते हैं वह इस मुल्क के अन्दर न आया

[श्री अर्जुन सिंह]

होता और हमारे देश का धन हमारे पास होता तथा इस धन को हम ने दूसरे कामों में लगा कर अपने मुल्क को मजबूत किया होता ।

अगर हम गल्ले के उत्पादन की वृद्धि और उस के विकास को देखें तो हमें पता चलता है कि सन् १९५१ से १९५६ तक ५ करोड़ ४० लाख टन गल्ले का उत्पादन हुआ, और आगे चल कर सन् १९५६–१९५७ से ले कर सन् १९६०–६१ तक जो भी हमारा लक्ष्य था वह ८ करोड़ टन का था, जिस में सिर्फ ७ करोड़ ५० लाख टन उत्पादन हो सका सन् १९४८ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि हम सारे मुल्क को अन्न के मामले में,खाद्य के मामले में, सन् १९५० तक आत्मनिर्भर कर देंगे । जब सन् १९५० में भी हिन्दुस्तान खाद्य के मामले में स्वावलम्बी नहीं हुआ तब यह कहा गया कि सन् १९५२ तक स्वावलम्बी बना देंगे और सन् १९५२ में फिर दूसरी योजना के अन्त तक की बात कही गई । लेकिन आज भी हमारा मुल्क अन्न के मामले में स्वावलम्बी न हो कर दूसरों पर ही निर्भर करता है ।

भारतवर्ष में अभी तक जो कारखाने आदि के मजदूरों की संख्या १ करोड़ १७ लाख है, और इन सभी मजदूरों के लिये बहुत कुछ कहा जाता है । परन्तु भारतवर्ष के अन्दर ग्रामों के बाबत सभी खामोश हैं । भारतवर्ष के अन्दर केवल भूमिहीन मजदूरों की संख्या ७ करोड़ है । इस का पता सन् १९५६–५७ की सेकेंड एग्रिकल्चरल एन्क्वायरी रिपोर्ट है उस से चलता है । अभी जो नई जनगणना हुई है उस से स्पष्ट होता है कि १ करोड़ भूमिहीन मजदूरों की संख्या और बढ़ गई है इन भूमिहीनों के लिये सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्दर बहुत कुछ करना है ।

सामुदायिक विकास योजना की जो रिपोर्ट है उस में दिया गया है : "इस वर्ष छः राज्यों में संसद् सदस्य तथा विधायकों के लिये अध्ययन शिविर खोले गये । अब तक ९ राज्यों में ये शिविर लगे हैं ।"

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन केम्प्स में क्या विरोधी लोगों को मौका दिया गया शामिल होने का ?

मैं माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि आप हम को फेसिलिटीज या सुविधा देने की बात कहते हैं, लेकिन वह फेसिलिटीज की बात तो दरकिनार हम को ब्लाक डेवेलपमेंटकमेटी की मीटिंगों की भी सूचना नहीं दी जाती है ।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से सामुदायिक विकास तथा सलाहकार मंत्रालय की मांगों पर इस सदन में विचार हो रहा है । सारे देश के अन्दर विकास का कार्य चल रहा है और सम्पन्नता तथा वैभव के लाने के प्रयत्न हो रहे हैं । सामुदायिक विकास का कार्य विशेषकर यह है कि ग्राम्य जीवन में विकास विशेष उन्नति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे । आवश्यकता तो यह थी कि इस मंत्रालय के जो कार्य सारे देश में चल रहे हैं उन से कुछ आशा बन्धती है और चूंकि हमारा देश ग्रामों में बसता है इस लिये ग्राम जीवन में कुछ उन्नति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता । लेकिन वह कोई विशेष रूप से आज दिखाई नहीं देता । बल्कि सारा जो विकास का कार्य है वह नगरों के ही चारों ओर दिखाई देता है । मैं केवल अर्ज करना चाहता हूं कि ८० फी सदी से ज्यादा जनता जो ग्रामों के अन्दर रहती है उस के जीवन को विकसित करने के लिये और विशेष उन के जीवन को विकसित करने के लिये, जिन

का जीवन सदियों से बुझा हुआ रहा है, जो शड्यूल्ड कास्टस या हरिजन आदि हैं या इस प्रकार के भूमिहीन हैं, धनहीन हैं, साधनहीन हैं, सामुदायिक विकास मंत्रालय को प्रयत्न करना चाहिये था, लेकिन आज तक इस प्रकार के लोगों का जीवन विकसित नहीं हुआ है। जहां तक इस मंत्रालय के कार्य का सम्बन्ध है, जो कि विकास खंडों में दिखाई देता है या छाया खंडों में दिखाई देता है,उसमें बम्बई और दिल्ली का फैशन नजर आता है। उनमें जीप और जीभ का व्यापार अधिक नजर आता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस काम में अगर तेजी लाना है तो इस के लिये आप का कार्य यह है कि देश के अन्दर अन्न का उत्पादन बढ़े, कृषि का विकास हो, छोटी योजनायें ठीक तरह से चालू हो सकें और देश के अन्दर ग्राम जीवन में एक प्रकाश पैदा हो जाय। लेकिन जो प्रकाश आज नगरों में दिखाई देता है वह प्रकाश उस तरफ नज़र नहीं आता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सब से बड़ा काम उन के मंत्रालय का यह है कि जन जन का सहयोग प्राप्त किया जाय और जन जन का सहयोग प्राप्त करके आत्म विश्वास, आत्म निर्भरता की जो भावना है देश के अन्दर उस को जागृत किया जाय। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस मंत्रालय की अब तक की जो कार्रवाइयां हैं वे ऐसी नहीं हैं जिन के द्वारा आत्म विश्वास पैदा किया जा सके। आत्म निर्भरता का कार्य आगे नहीं बढ़ा है चाहे वह अन्नोत्पादन की दृष्टि से देखा जाय या ग्राम जीवन की दृष्टि से देखा जाय चाहे सामुदायिक विकास की दृष्टि से देखा जाय। मेरा ध्यान केवल इस ओर जाता है। इस लिये जाता है कि आज भी ग्रामों के अन्दर वहां के आवास की समस्या को देखिये, वहां की अन्य समस्याओं को देखिये अथवा वहां की भूमि की समस्या को देखिये वे उसी तरह विद्यमान हैं और जटिल हैं हालांकि आप के विकास के काम वहां पर चलते हैं लेकिन वह अधूरे हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वहां का जन जीवन आज बुझा हुआ है, वहां साधन नहीं हैं, रोजगार नहीं हैं, दूसरे साधन नहीं हैं जो कि उस जीवन को विकसित करने के लिये आवश्यक हैं। मैं यह कह सकता हूं कि आज भी जब कि आप ग्राम जीवन को विकसित करने का जिक्र करते हैं गांवों से हजारों आदमी बेकारों की संख्या बढ़ाने के लिये नगरों की ओर काम की तलाश में दौड़ते हैं। इन बेकार आदमियों को, चाहे वे भूमिहीन हों, चाहे हरिजन हों या दूसरे आदमी हों, ग्रामों में रोकने के लिये आप ने क्या आकर्षण पैदा किया है ? नगरों के अन्दर चारों तरफ आकर्षण ही आकर्षण दिखलाई देता है। सिनेमा हैं, आमोद प्रमोद के साधन हैं, उद्योग धंधे है, सभी कुछ हैं, लेकिन ग्रामों में क्या है ?

नगरों में चारों ओर बड़े बड़े उद्योग धन्धों की चिमनियां नजर आती हैं, चिमनियों से धुंआं घूमता हुआ नज़र आता है लेकिन गांवों में सिवाय निराशा के क्या है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जिन ग्रामों का आप उत्थान चाहते हैं, उत्पादन के अतिरिक्त आप चाहते हैं कि देश में एक राष्ट्रीयता विकसित हो, देश के जन जन का जीवन विकसित हो, तो गांव का कोई आर्थिक उत्थान हो। कोई वजह नहीं है कि छः या आठ बड़े बड़े उद्योग, जो कि आज भी बड़े बड़े नगरों में चलते हैं, ग्रामों में न ले जाय जायें और वहां पर न फैला दिये जायें। लघु उद्योगों की बात ग्रामों के सम्बन्ध में कही जाती है। लेकिन प्रतिवेदन में मैं देखता हूं कि इस तरफ कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। उधर कोई तरक्की नजर ही नहीं आती। चूंकि आप के हृदय के अन्दर कोई चित्र उस की प्रगति का नहीं है इस लिये वह बाहर भी नजर नहीं आती है।

[श्री बाल्मीकी]

अब मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। पंचायत राज ठीक है। पंचायतों का कहना सिर माथे पर, परनाला यहीं रहेगा। पंचायती राज विकसित हो रहा है देश के अन्दर लेकिन यह कहावत भी उसी तरह से हमारा ध्यान आकर्षित करती है। सदियों से जो इस तरह के इन्सान हैं, जो हरिजन हैं, पिछड़े हुए लोग हैं उन की ओर आप का का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। उन के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिये इस मंत्रालय ने खाक नहीं किया है। मैं जोरदार शब्दों में कहने के लिये तैयार हूं कि आज भी अस्पृश्यता निवारण की बात कही जाती है, अस्पृश्यता की विभीषिका की बात कही जाती है, लेकिन वह उसी तरह से मौजूद है। नगरों के अन्दर हल्के हल्के कुछ कम हो रही है। लेकिन ग्राम जीवन के अन्दर अस्पृश्यता की विभीषिका ज्यों की त्यों विद्यमान है। पंचों के रूप में जो अधिकार पंचायत के अन्दर लोगों को होने चाहियें, वे आज हरिजनों को नहीं हैं न ही उनका वहां कोई उचित प्रतिनिधित्व है। मैं उन घटनाओं को यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन यह अवश्य कह सकता हूं कि इस तरह के पंचों को भी जानता हूं, इस तरह के सरपंचों को भी जानता हूं, ग्राम सभा के प्रधानों को भी जानता हूं, तथा सदस्यों को भी मैं जानता हूं जो कि हरिजन हैं और जिन को सब के बराबर में उसी तरह बैठने का अधिकार नहीं है। आज पंचायत राज आ रहा है लेकिन अस्पृश्यता का जो रोग है, अस्पृश्यता की जो विभीषिका है वह विद्यमान है। आप हमारी कष्ट कहानी को, हमारे मस्तिष्क के अन्दर जो वेदना है, उस को समझने की चेष्टा करें। आज भी उसी तरह से हरिजनों का अपमान होता है, अपमानजनक घटनायें होती हैं, कत्ल और गारदगिरी तथा आगजनी की घटनाएं घटित होती हैं,। आज यह बात नहीं है कि हम पंचायत राज नहीं चाहते, लेकिन हम इन अपमानों को सह कर पंचायत राज नहीं चाहते। हम पंचायती राज सद्भावना के साथ चाहते हैं और इस तरह से चाहते हैं कि वहां जो साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद का बोलबाला है वह दूर हो तथा हमारी नित्य प्रति की जो कठिनाइयां हैं, वे दूर हों तथा पंचायतों में हमें समान अधिकार तथा सही प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाय। इस ओर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है तभी पंचायती राज सफल हो सकता है। और आज के भाग्यहीन ये इन्सान जिन को सदियों से अधिकार प्राप्त नहीं हैं उनको सुख की सांस लेने का अवसर मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी चेष्टा को नहीं सुनेंगे तो उनकी चेष्टा कैसे सुनी जाएगी। अब आप समाप्त करें।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने जो चन्द मिनट मुझे दिये हैं इनमें मैं दो तीन प्वाइंट्स हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय दोस्त श्री नायर साहब ने जो भाषण इस मिनिस्ट्री के बारे में दिया उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे उनका भाषण सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि इस मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में छोटी चीजों को बड़ा करके और बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाया है। लेकिन जो इल्जाम उन्होंने इस मिनिस्ट्री पर लगाये वे इल्जाम बिल्कुल उनकी स्पीच के लिये लागू होते हैं। इस मिनिस्ट्री ने इतने बड़े बड़े काम किये हैं उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इस मिनिस्ट्री ने कितनी शांति के साथ कोआपरेटिव फार्मिंग का काम देश में किया। पंचायती राज के काम को किस खूबी से किया, जिसको कि हम दो बरस पहले बड़ा मुश्किल समझते थे। इस काम के लिये कितनी शांति के साथ डे साहब ने स्टेटस को राजी किया।

लेकिन इन बड़े बड़े कामों की तरफ तो नायर साहब का ध्यान नहीं गया, उनकी तवज्जह गयी सुअर की तरफ, कि सुअर को किस तरह से पाला जाय। इसके अलावा उनकी तवज्जह गयी मछली की तरफ। मछली साहिल के लोग खाते होंगे लेकिन सारे हिन्दुस्तान से इसका क्या ताल्लुक है।

एक तरफ तो नायर साहब कहते हैं कि डे साहब अपने जोश को अपने अफसरों तक नहीं पहुंचा सके और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस काम के लिये अच्छे आदमी को नहीं सिलेक्ट किया। तो वह एक साथ दो तरह की बात करते हैं। मैं उनकी तकरीर को सुनकर इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह खालिस पोलिटिकल स्पीच है और पोलिटिकल तकरीर भी इतनी गन्दी इस सेंस में कि...

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस शब्द "गन्दी" को वापस ले लीजिये।

श्री नू० वं० जै : मैं इस शब्द को वापस लेता हूं। मुझे उनकी स्पीच से ऐसा मालूम होता था कि मिनिस्ट्री के काम की वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान के देहात के लोगों को अपने हाथ में लेना चाहती थी वह नहीं ले सकी और इस मंत्रालय ने कम्युनिस्ट पार्टी के पैरों तले की जमीन आहिस्ता आहिस्ता सरका ली है और इतनी सरका ली है कि सन् १९६२ के इलेक्शन्स में जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टी को हार का मुंह देखना होगा और हो सकता है कि हिन्दुस्तान के सुफहे हस्ती से ही यह पार्टी मिट जाय, और कांग्रेस पार्टी हिन्दुस्तान के तमाम सूबों में शान के साथ जीतेगी।

मुझे खुशी है कि इस विभाग के मंत्री और अफसरों ने बड़ी तनदेही से इस काम को किया है। अगर और विभागों के अफसर भी इसी लगन के साथ काम करें तो हिन्दुस्तान सचमुच स्वर्ग का नमूना बन जाय। जिस तरह से इस विभाग ने अपने अफसरों को और नान आफिशियल्स को ट्रेन करने का काम किया है अगर उसी तरह से और विभाग भी अपने अफसरों को ट्रेन करें तो हिन्दुस्तान बहुत जल्द तरक्की कर लेगा।

मेरे पास समय कम है, इसलिये मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। पंचायती राज के लिये मैं मिस्टर डे को और उनकी मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मुझे एक बड़ी कमी नजर आती है जिसकी तरफ बाल्मीकी जी ने भी इशारा किया है, वह यह है कि जो देहात का वीकर सेक्शन है उसको जितनी चाहिये उतनी नुमायन्दगी इन पंचायतों में नहीं मिली हुई है। देहातों में बसने वाले इन वीकर सेकशन्स और हरिजनों की आबादी ३५ परसेंट है, लेकिन उनकी नुमायन्दगी पंचायतों में करीब १६ परसेंट है और ब्लाक समितियों में केवल ५–६ परसेंट ही है। इस हालत में आप अन्दाजा लगायें कि वे देहातों के वीकर सेक्शन्स कैसे इन पंचायतों पर ऐतबार कर सकते हैं। हमारी स्टडी टीम आंध्र, गुजरात और राजस्थान में इस चीज को देखने के लिये गयी थी। उसने अपनी आंध्र की रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे गरीब आदमी इन पंचायतों पर ऐतबार नहीं करते। जो हल बाल्मीकी जी ने बताया वह तो मेरी राय में इस कमी का हल नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि जिन पंचायतों में वीकर सेक्शन्स की पूरी नुमायन्दगी न हो उनको पूरे अधिकार न दिये जायें, लेकिन यह सोचना चाहिये कि किस तरह इनको पूरी नुमायन्दगी मिल सके। मेरा तो ख्याल है कि अगर इन वीकर सेक्शन्स को पूरी नुमायन्दगी दी जाये, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इनकी आबादी के लिहाज से ज्यादा नुमायन्दगी दी जाये तो इन सेक्सन्स को कोई शिकायत नहीं रहेगी। आंध्र में तो पूरी नुमायन्दगी न मिलने की वजह से हरिजनों ने यूनेनीमसली यह प्रस्ताव पास किया है कि जो सोशल वेलफेयर की ग्रांट होम मिनिस्ट्री उनके लिये देती है वह इन पंचायतों को ट्रांस्फर न की जाये। इसके मानी यही हैं कि वह इन पंचायतों पर ऐतबार नहीं करते। वे कैसे ऐतबार करें। वे तभी ऐतबार कर सकते हैं जब उनको उनकी आबादी से ज्यादा नुमायन्दगी

[श्री मू० चं० जैन]

दी जाये । इस सिलसिले में मैं उस तरीके का जिक्र करूं जो कि पंजाब में अपनाया गया है । मैंने इस तरफ कंसलटेटिव कमेटीज के दौरान मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ कई बार दिलायी भी है । अगर वह इस तरीके को अपनाने के लिये स्टेट्स से कहेंगे और रिकमेंड करेंगे कि वह ऐसा करने के लिये अपने यहां के एक्ट्स में तरमीम कर लें तो इस मसले को आसानी से हल किया जा सकता है । मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब ऐसा करेंगे । और अगर ऐसा किया गया तो मेरा विश्वास है कि पंचायत राज आगे बढ़ेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी लोगों में आत्म विश्वास पैदा नहीं हुआ है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लोगों में आत्म विश्वास पैदा करने के लिये ही तो यह पंचायत राज शुरू किया गया है । इससे लोगों में आत्म विश्वास बढ़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं मिनिस्टर साहब को और उनके मंत्रालय को जो शानदार काम उन्होंने किया है उसके लिये मुबारकबाद देता हूं ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम समाज की उन्नति के लिये सामुदायिक विकास मंत्रालय ने जो कार्य किये हैं उनकी मैं सराहना करता हूं, किन्तु मैं दिल्ली के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

दिल्ली में पिछले दिनों पंचायतों के चुनाव हुये । यहां पर पंचायत राज विधेयक आया और वह अधिनियम बन गया है । उससे बड़ी आशायें थीं लेकिन दिल्ली प्रशासन और दल्ली नगर निगम, इन दोनों के बीच में आ जाने से पंचायतें एक्टिव नहीं हो सकीं । उनकी दशा त्रिशंकु की सी हो गयी है । त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना चाहते थे लेकिन उसको बीच में रोक दिया गया । यही हालत इन पंचायतों की हो रही है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सारी सरकार ही की यह हालत हो रही है ।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली प्रशासन तो यह चाहता है कि दिल्ली की पंचायतें उन्नति करें और ठीक से चलें किन्तु दिल्ली कारपोरेशन यह चाहता है कि वे उस ढंग से काम करें जिस ढंग से प्रशासन करता है । मैं तो चाहता हूं कि ये जो दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम में जो एक दूसरे के प्रति बाधायें हैं वे मिट जायें । और अगर कानून में कोई कमी है तो उसमें संशोधन होना चाहिये ।

आज दिल्ली की पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है । दिल्ली की पंचायतें, जिनको गांव सभा कहा जाता है, उनके लिये अधिनियम में यह व्यवस्था है कि गांवों की जो बंजर भूमि है वह उनको दे दी जाये । लेकिन यह व्यवस्था होते हुये भी आज ऐसा नहीं हो रहा है । जो पटवारी हैं वे अपने ढंग से काम करते हैं, जो माल का मुहकमा है वह परवाह ही नहीं करता । आपका जो महकमा है वह तो विकास का महकमा है । ठीक है । लेकिन प्रशासन एक अलग चीज है और विकास अलग चीज है, और जब गांव की सफाई का सवाल आता है तो कारपोरेशन आ जाता है, गांव के विकास का प्रश्न आता है तो कारपोरेशन आ जाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सबको मिलाकर एक ढंग निकाला जाये जिससे कि जो दिल्ली की पंचायतें हैं वे ठीक ढंग से काम कर सकें ।

दूसरी स्टेज ब्लाक डेवेलपमेंट की है । आपके विकास खंड में एक समिति होती है और जो गांव के प्रधान हैं वे उसके सदस्य माने जाते हैं । अब जिस बात की तरफ जैन साहब ने ध्यान दिलाया उसकी तरफ मैं भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । गांव सभाओं में हरिजनों के लिये

स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। अब चूंकि गांवों में हरिजनों की तादाद बहुत कम है इसलिये वह प्रधान तो चुने नहीं जा सकते, इसलिये जो ब्लाक हैं, जो विकास खंड हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर विकास खंडों के ऊपर भी जिले की एक विकास कौंसिल है। उस विकास कौंसिल में हरिजनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब यहां लोक सभा में हरिजनों के पांच सदस्य हैं जिनमें से एक मैं भी हूं जोकि हरिजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उनकी जितनी सीटें विकास खंडों में हैं उसका पांचवां हिस्सा तो इस विकास कौंसिल में हो। आज वह प्रतिनिधित्व उनको प्राप्त नहीं है और मैं चाहता हूं कि उस ओर ध्यान दिया जाय।

गांवों के अन्दर जो विकास के काम होते हैं, गलियारे वगैरह पक्के किये जाते हैं तो मैंने यह देखा है कि वह पैसा हरिजन मुहल्लों तक आते आते खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि उस ओर भी ध्यान दिया जाय क्योंकि आखिर हरिजन भी तो उसी गांव में रहते हैं जहां पर कि अन्य गैर हरिजन रहते हैं।

मैं ने यह भी देखा है कि जहां तक श्रम का ताल्लुक है गांवों के अन्दर जो अपने को बड़ा कहते हैं वह श्रम नहीं करते हैं लेकिन जो हरिजन, गरीब लोग या पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वे बेचारे सब श्रमदान करते हैं किन्तु पैसा उनके पास न होने से उनके मुहल्लों में विकास का कार्य रुक जाता है और वह पड़ा रह जाता है। उसके लिए आप कोई विशेष प्रबन्ध कर सकें तो अति उत्तम होगा।

सहकारिता के सम्बन्ध में यहां कहा गया है। मैं सहकारिता के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां दिल्ली का जो सहकारी विभाग है वह इतनी दिलचस्पी उसमें नहीं रखता है जितनी दिलचस्पी कि उसको रखनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह किसी दिन भी यहां के विकास कार्यालय में चले जायें। वहां पर उनको कुछ टूटी फूटी मेजें पड़ी दिखाई देगीं और दो, चार आदमी बैठे हुए गप्प लड़ाते मिलेंगे। वहां की हालत ऐसी है कि आप उसको कोई कार्यालय या दफ्तर नहीं कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उधर ध्यान दें।

मैं ने यहां तक देखा है कि जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोग सहकारिता प्रिय हैं और वे सहकारी समितियां बनाना चाहते हैं लेकिन एक एक सहकारी समिति बनाने के लिए उनको महीनों सहकारी समिति के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। महीनों चक्कर काटने के बाद कहीं जाकर उनको रजिस्ट्रैशन सर्टिफिकेट मिलता है। मैं चाहता हूं कि यह रजिस्ट्रेशन करने का काम सरल किया जाय।

आज ग्रामीण लोग आने जाने में परेशान हो जाते हैं और यह चीज जो हमारे लिए एक आलोचना का विषय हो जाती है, वह दूर हो जाय। मैं चाहता हूं कि जब कोई रजिस्ट्रैशन के लिए प्रार्थना पत्र दे तो सहकारी विभाग के कर्मचारी वहां चले जायें और उनको ठीक से समझा बुझा कर और आवश्यक सलाह देकर वहीं उनका रजिस्ट्रैशन का काम कर दें। उनको इसके लिए शहर तक आने का मौका न दें। आज जो उनको बारबार चक्कर लगाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए १५, १५ दफा शहर का चक्कर काटना पड़ता है, उससे वह दुखी हो जाते हैं। अगर इस रजिस्ट्रेशन के काम को आसान कर दिया जाय और ठीक ढंग से हो जाय तो यह आलोचना का विषय नहीं बनेगा जैसा कि आजकल बन रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें आप और अधिक ध्यान दें।

[श्री नवल प्रभाकर]

गांवों के विकास के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां ५५ गांवों में बिजली देने की बात थी । अब वह गांव जो कि शहरी इलाके में आ गये हैं, भले ही उसको गांव माना जाय लेकिन वास्तव में वह शहरी इलाके में आ गये हैं, उन शहरी इलाकों में तो उनको गांव कह कर बिजली लगाई जाती है लेकिन वास्तव में जोकि गांव हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । होना तो यह चाहिए था कि जो देहाती क्षेत्र है उस क्षेत्र में बिजली लगानी चाहिए थी । इसलिए मैं चाहता हूं कि देहातों को उनका पूरा हिस्सा प्राप्त होना चाहिए ।

इस मंत्रालय को ग्रामोद्योग, लघु उद्योग तथा अन्य कुटीर उद्योग को गांवों में प्रोत्साहन देना चाहिए और उनका वहां पर विकास करना चाहिए । छोटे पैमाने की सिंचाई व्यवस्था और पीने के पानी का भी उसको उचित प्रबन्ध करना चाहिए । इन शब्दों के साथ में फिर आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

†श्री सु० कु० डे : वैसे तो मंत्री महोदय को अपने अपने मंत्रालय की मांगों की चर्चा के सम्बन्ध में कहने का अवसर दिया जाता है लेकिन जहां तक इस मंत्रालय की बात है मैंने हर वर्ष इसके कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया है लेकिन इस वर्ष इस चर्चा का उत्तर देना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही तथा इस मंत्रालय के कार्य को भी ८½ वर्ष बीत रहे हैं । अब तीसरी योजना शुरू होने वाली है । मैं जानता हूं कि यह संसद् तथा देश इस मंत्रालय से बहुत कुछ आशा करता है । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाना है । लेकिन यह कार्य करना केवल एग मंत्रालय के बस की बात नहीं है । यह कार्य अकेली सरकार भी नहीं कर सकती है । जब तक जनता का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यह कार्य संभव नहीं है । यह मंत्रालय तो माध्यम के रूप में ही काम कर सकता है ।

हमने यह कार्य २ अक्तूबर १९५२ को शुरू किया था किसी को भी यह आशा नहीं थी कि ग्रामीण लोग साथ साथ काम करने के लिये तैयार हो जायेंगे और सरकार की सहायता से लाभ उठायेंगे तथा सरकारी एजन्सियों का उपयोग करेंगे । और न कोई यही सोचता था कि सरकारी विभिन्न एजेन्सियों मिलकर एक साथ कार्य करेंगी । लेकिन १½ वर्ष के दौरान में ही इस बात का पता चल गया कि यदि गांव निवासियों को अवसर मिले तो वह हर प्रकार की मदद देने को तैयार हैं । यह भी देखा गया कि यदि सरकारी एजेन्सियों को चहुं ओर से सहायता मिले तो वह भी बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं ।

राष्ट्रीय विकास सेवा इस कार्यक्रम का दूसरा अंग है । इसके अन्तर्गत प्रशासनीय इकाई को सुदृढ़ बनाने की योजना है जहां सभी प्रकार के सरकारी पदाधिकारी जनता के सहयोग से कार्य करेंगे । जल्दी ही यह अनुभव हुआ कि सरकारी एजेन्सियां कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पातीं । इसलिये जनता के प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक समझा गया ।

इसके बाद पंचायती राज की स्थापना की गई । यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि डेढ़ साल के भीतर ही सभी राज्यों ने पंचायती राज को स्वीकार कर लिया । मैं यह

†मूल अंग्रेजी

बता देना चाहता हूं कि बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप अपने आपको ढालने में मंत्रालय कभी असफल नहीं रहा है । एक व्यक्तिगत बात भी कह देना चाहता हूं । श्री वें० प० नायर ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूं । उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है । जितना हो सकता है उससे भी अधिक ध्यान और काम मैं इस मंत्रालय के लिये कर रहा हूं । यदि वे मेरे साथ अपने राज्य में दौरे पर चलें तो उन्हें इस बात का पता चल जायेगा कि मैं क्या करता हूं अथवा मेरा काम किस ढंग का है । शायद उनके दिमाग से यह बात निकल जाय ।

हमने अपने मंत्रालय के प्रतिवेदन में सब कुछ दिया है । उसमें आप ने देखा होगा कि यहां भी काम कम हुआ है वहां सुविधाओं का नितान्त अभाव है। एक दम तो आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अपने सदस्यों को लगा देना सम्भव नहीं । वैसे हम सब की वृद्धि कर रहे हैं । हम सुविधाओं को प्राप्त करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि गत दो वर्षों में उत्पादन बढ़ाने के उत्साह का निर्माण करने में हमने सम्भव प्रयत्न किया है । अब कृषक लोग उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काफी जागरूक हो रहे हैं, और जो कुछ भी सम्भव हो सकता है, कर रहे हैं । उर्वरकों के सम्भरण में कुछ कमी हुई है, उसका कारण यह है आयात में कुछ कमी हो गयी । इस बात की पूरी आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजगा के अन्तर्गत उत्पादन में बहुत काफी वृद्धि होगी । और भी यहां कुछ सुधार सम्भव है वह हुआ ही है ।

मेरे माननीय मित्र ने पशु पालन के बारे में कहा है । हमने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसका लगभग दसवां भाग इसी कार्यक्रम से भरा हुआ है । मंत्रालय की ओर से इस काम की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है । ग्रामोद्योग के बारे में भी कार्य आरम्भ हो गया है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा लघु उद्योग संगठन के संसाधन सीमित हैं । इस दिशा में जो धन की कमी अनुभव हो रही है उसके लिये सरकार काफी चिन्तित है । और ऐसे साधन ढूंढ़ निकालने का प्रयत्न हो रहा है जिससे इस काम में अधिक से अधिक धन देने की व्यवस्था कर सके । हम इस बात के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक हैं कि हमें गांवों में भी बिजली पहुंचानी है और इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था करनी है । मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि गांवों के सभी समुदायों के लिये पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काफी संख्या में कुएं खोदे जा रहे हैं । ग्रामों में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था करने की दिशा में भी हम कम चिन्तित नहीं । दुःख केवल इतना है कि इतने कामों के लिए हमारे पास धन की व्यवस्था बहुत ही कम है ।

अब मैं महिला और बाल कल्याण के प्रश्न की ओर आता हूं । इस कार्यक्रम में पिछड़े वर्गों का कल्याण भी सम्मिलित है । पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र बालमीकी और अन्य मित्रों ने कहा है, उस सम्बन्ध में मेरी भी यही राय है । परन्तु आज तक सदन में अथवा सदन के बाद यह किसी ने नहीं बताया कि हमें इस दिशा में अधिक से अधिक क्या करना चाहिए । हमने स्कूल खोले हैं उसमें पिछड़े वर्गों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं । इसी प्रकार वे लोग बिना रोक टोक सड़कों पर चल सकते हैं, स्वास्थ्य केन्द्रों में जा सकते हैं । ऐसे कुये भी खोदे जा रहे हैं जहां से सभी वर्गों के लोग पानी ले सकते हैं । यदि किसी गांव में हरिजनों को कुओं पर जाने से रोका जाता है, तो मंत्री महोदय तो यहां से उनकी रक्षा को जा नहीं सकते । स्वयं गांव के लोगों को देखना होगा कि

[श्री सु० कु० डे]

हरिजनों के साथ अन्याय न हो और सरकार द्वारा पारित कानूनों का ठीक ढंग से पालन किया जाय । ५,८०,००० गांवों में स्वयं मंत्री का जाना तो सम्भव नहीं । इस दिशा में स्वयं लोगों को जागरूक होना होगा ।

महिलाओं के कार्यक्रमों के बारे में श्रीमती उमा नेहरू ने जोर दिया है । मेरा निवेदन है कि इस दिशा में काफी क्रान्ति आ रही है । जो महिलायें घर से बाहर निकलने में भी डरती थी वे आज सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने लग गई हैं । इस मामले में राजस्थान जैसे राज्य में भी कमाल हो गया है । वहां तो महिलायें बहुत ही पर्दा करती थी । अब वहां की महिलायें सभी क्षत्रों में आग बढ़ रही हैं । अतः इस बारे में मेरा निवेदन है कि महिलाओं के कार्यक्रमों को और भी तेजी से आगे चलना है और इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं । हमें पूर्ण आशा है कि इस दिशा में निरन्तर सुधार होता चला जायगा ।

जहां तक दलित वर्ग का प्रश्न है उस के संबंध में निवेदन है कि समाज के इस वर्ग को प्रभावशाली सहायता पहुंचाने के प्रश्न पर एक अध्ययन दल विचार कर रहा है, ताकि ये लोग भी विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें । इस विषय पर विशेषज्ञों का मत भी प्राप्त किया जा रहा है । व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक खंड पंचायत व जिला परिषद् आदि में एक कार्यकारी उपसमिति होगी, जिसका काम यह होगा कि समाज के अन्य वर्गों की भांति दलित वर्गों को भी आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त हो सके । कमजोर लोगों की सहायता का उत्तरदायित्व उन लोगों पर डाला जायेगा जो कि सब प्रकार से सम्पन्न और शक्तिशाली हैं । इस मामले में शीघ्र ही काम आरम्भ कर दिया जायेगा और शनैः शनैः यह कार्य लाभदायक और प्रभावशाली स्तर पर पहुंच जायेगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं सहकारिता के विषय की ओर आता हूं । इस दिशा में भी काफी अच्छा कार्य हुआ है । सेवा सहकारिताओं के सम्बन्ध में हमने काफी प्रभावशाली निर्णय किया है । इस से हजारों लोगों को लाभ पहुंच रहा है । सहकारी ऋण व्यवस्था के मामले को भी यदि हम अध्ययन करें तो ऋण की मात्रा को देखते हुए, यह परिणाम तो निकालना ही पड़ता है कि काम काफी भी हुआ है और अच्छा भी हुआ है । सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने के मामले में निर्णय कर लिया गया है । आशा है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत इस मामले में पर्याप्त प्रगति होने की आशा है ।

सहकारी संयुक्त-कृषि का भी आरम्भ हो गया है । मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत से हमारे मित्रों की विचार धारा इस से मेल नहीं खाती । परन्तु इस दिशा में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह देश में किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिये मजबूर करे कि वह संयुक्त-कृषि के प्रयोजन के लिए अपनी जमीन अवश्य दे । सरकार का विचार ऐसी व्यवस्था करने का है कि केवल कृषि प्रयोजनों के लिये ही नहीं प्रत्युत चीजों को तैयार करने तथा उद्योगों के मामले में भी भूमि तथा मजदूरों का एक संग्रह तैयार किया जाये । यह भी पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि सहकारी खेती का काम लोगों की इच्छा से ही किया जाये, किसी भी हालत में इस कार्य के लिए किसी को बाध्य न किया जाय । सेवा सहकारी समितियों के साथ सहकारी क्रय-विक्रय समितियां, संयुक्त-कृषि सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा कर्मचारियों

के प्रशिक्षण का कार्य भी आगे बढ़ाया जायेगा । सरकार के समक्ष लक्ष्य यह है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत सहकारी आन्दोलन के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया जाये। आगामी वर्ष तक इस दिशा में सभी मामलों में प्रगति कर लेने की पूरी आशा है ।

पंचायत राज्य के बारे में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में काम ठीक नहीं चल रहा परन्तु कई राज्य पंचायती राज्य के कार्यक्रम को चला रहे हैं । वहां इस कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है । कुछ राज्यों ने इस बारे में विधान भी निर्माण कर लिया है और कुछ शेष विधान बनाने जा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा कर लिया गया है । उन्होंने राजस्थान और आंध्र प्रदेश के प्रयोगों का लाभ उठाया है । गुजरात राज्य की तो यह सिफारिश है कि शत प्रतिशत अधिकार और राजस्व पंचायत राज्य संस्थाओं को देने चाहिएं। बिहार और मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के अनुभवों से लाभ उठाने का यत्न कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है इस वर्ष के अगस्त के अन्त तक उत्तर प्रदेश में खंड पंचायत समितियां स्थापित कर दी जायेंगी, पंचायत राज्य विधान भी निकट भविष्य में शीघ्र ही निर्माण कर लिया जायेगा। नये जिला परिषद् विधेयक को वह आगामी चुनावों तक लागू करना नहीं चाहते। कठिनाइयां हैं, अतः वह जैसे भी चल रहे हैं, हम उन के मार्ग में कोई कठिनाइयां पैदा करना नहीं चाहते।

पश्चिमी बंगाल में पंचायतें थी ही नहीं । अब उन्होंने पंचायत विधान का निर्माण किया है और इस दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। इस कार्य को करने के लिये पश्चिमी बंगाल के लिए इन सब कार्यक्रमों की देख भाल के लिए एक अतिरिक्त अधिकारी की व्यवस्था कर दी गयी है ।

ग्राम सेवकों की संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं । एक ओर यह आलोचना की जा रही है कि इस मामले में बहुत अपव्यय किया जा रहा है और दूसरी ओर ग्राम सेवकों की वृद्धि की मांग हो रही है । मुझे आशा है कि जब पंचायतें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वित अपने हाथ में ले लेंगी तब पंचायतों के सचिव ग्राम सेवकों का काफी हाथ बटा सकेंगे। जहां तक केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां पंचायत राज्य सम्बन्धी कार्यक्रम को चालू करने के बारे में सामुदायिक विकास मंत्रालय गृह-कार्य मंत्रालय से विचार विनिमय कर रहा है । हमारा विचार सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समेकित ढांचा बनाने का है ।

पंचायती राज कार्य का प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण है किन्तु वह संगठन का केन्द्रीयकरण भी है । सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में सन्तुलन बनाये रखने के लिये सहकारी क्षेत्र को एक प्रभावशाली शक्ति बना दिया जाय ।

पंचायती राज्य का प्रश्न सामने आने पर लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण तथा लोकतंत्रीय केन्द्रीकरण का प्रश्न सामने आता है। इस बारे में जनता में बड़ी गलत फहमिया हैं । मैं उनको दूर करना चाहता हूं । हमारी कार्यवाहियां तो लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के द्वारा होंगी परन्तु संगठन लोकतंत्रीय केन्द्रीकरण का होगा । उदाहरणतः ग्राम पंचायत, खंड पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों का फेडेरेशन, तथा जिला परिषद् । हमारा विचार यह भी है कि, राज्य विधान मंडलों तथा संसद् में

[श्री सु० कु० डे]

भी जिला परिषदों के प्रतिनिधि रखे जायें। हमने इस प्रकार लोकतंत्रीय संगठन बनाने का विचार किया है।

कुछ वर्ष पहले तक पंचायतों तथा सहकारी समितियों में कोई व्यवस्था नहीं थी इसीलिये सहकारिता के क्षेत्र में ठीक काम नहीं हो रहा था। ऐसा होता था कि १० आदमी सरकारी सहायता लेने के लिये मिल कर सहकारी समिति बना लेते थे। देश में इस प्रकार की बहुत सी संस्थायें बन गई थीं। सरकार को इसका ध्यान रखना जरूरी हो गया कि यह सहकारी समिति इस प्रकार बनकर धन का दुरुपयोग न करे। इसीलिये हमने भविष्य में सहकारी समिति बनाने पर यह रोक लगा दी कि इन समितियों आदि को सरकार से कोई धन नहीं मिलेगा और अपने लिये धन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी।

हमने मार्केटिंग सोसायटी, राज्य मार्केटिंग फेडेरेशन बनाये हैं तथा हमें आशा है कि राष्ट्रीय मार्केटिंग फेडेरेशन भी बन जायेगा। हम इसी प्रकार नीचे से ऊपर को जाने वाली संस्थायें बनाते जा रहे हैं और हमें आशा है कि जब अगली बार हमारा बजट प्रस्तुत होगा उस समय हम सभा को और अच्छी जानकारी दे सकेंगे।

हमने यह सहकारिता आंदोलन सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में समन्वय रखने के लिये आरम्भ किया है। हमारे समाजवादी ढांचे का यही आधार है। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में सन्तुलन बनाये रखने के लिये सहकारिता की व्यवस्था करें। मेरे कई मित्रों ने सभा में तथा बाहर बताया है कि सामुदायिक विकास मंत्रालय ने राज्यों के द्वारा पंचायती राज पद्धति को स्वीकार कराकर बड़ा अच्छा काम किया है। अब फसलें बहुत अच्छी होंगी। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे सामने बहुत कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिये आप सरकारी कर्मचारी के दुर्व्यवहार करने पर उसको दंड दे सकते हैं परन्तु एक सरपंच जब तक कानून के अनुसार काम करता रहेगा आप उसको तब तक उसके दुर्व्यहार के लिये सजा नहीं दिला पायेंगे।

मैं पंचायती राज की सफलता के लिये छः परीक्षण रखता हूं। पहला यह है कि पंचायती राज सरकारी कर्मचारियों, शक्तों का ठीक उपयोग कर रहा है। दूसरा क्या इस सभा द्वारा बनाई गई प्राथमिकताओं को पूरा कर रहा है? तीसरे क्या सभी संबद्ध संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रहा है? चौथे क्या जनता में लोकतंत्र को समझने की भावना जाग्रत हो रही है। पांचवें क्या पंचायती राज बेकार पड़े साधनों का उपयोग कर सकी है? छठे क्या पंचायती राज ग्राम्य समुदाय के गरीब लोगों को सहायता दे रहा है। हमें इस प्रकार के तरीके बनाने पड़ेंगे जिनसे यह पता लगता रहे कि पंचायतें ठीक काम कर रही हैं। मैं इस काम में सभा के सदस्यों की सहायता भी चाहता हूं।

चार वर्ष पहले मैंने सभा में अपील की थी कि मेरी माननीय सदस्य सहायता करें। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सदस्यों ने मेरी सहायता की यद्यपि हमने इस सभा के सदस्यों के लिये ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया था। अब हमने गांव, जिला, राज्य तथा संसद् स्तर पर कार्यक्रम बना लिये हैं। अब गांव, खंड, जिले पर भी संसद्, तथा राज्यमंडलों के समान ही सरपंचों तथा पंचों से प्रश्न पूछे जायेंगे और इस प्रकार सरपंच आदि अपने प्रत्येक काम के लिये पंचायत, समिति, परिषद् आदि में उत्तरदायी होंगे।

†अध्यक्ष महोदय : क्या सभी वर्गों की एक संसद् सलाहकार समिति बनाई जायेगी ?

†श्री सु० कु० डे : जी हां। १२० सदस्यों की हमारी सलाहकार समिति है।

यह बताया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिलसिले में जो शिविर बनाये जाते हैं उनमें विरोधी दलों के सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। यदि ऐसा हुआ है तो उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। और भविष्य में ध्यान रखूंगा कि ऐसा न होने पाये।

श्री रामानन्द तीर्थ तथा कई अन्य संसद-सदस्यों ने कहा कि विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों को जिला परिषदों तथा खंड पंचायत समितियों में पद नहीं ग्रहण करना चाहिये। हम मंत्रालय में इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं और भारत के सभी राज्यों को भी इस बात को बता देंगे कि राज्य विधान मंडल के सदस्य जिला परिषदों आदि के सदस्य नहीं बनाये जायेंगे।

हम सरलता से पढ़ा जाने वाला साहित्य तैयार कर रहे हैं जिसके द्वारा लोकतंत्र तथा विकेन्द्रीकरण के विकास का व्यापक बोध हो सकेगा। यह सब साहित्य खंडों मे मिल सकेगा तथा सभा के अपने मित्रों से मेरा यह अनुरोध है कि वह कृपा करके आगामी महीनों में देखें कि गांवों में कितनी सक्रियता से काम किया जा रहा है। आगामी महीनों में जनता को राजनीतिक चेतना देने के लिये सीनेमा, फिल्म, पोस्टर, गाने आदि सभी वस्तुओं का वितरण किया जायेगा। परन्तु मुझे यही सन्देह है कि इसका पूरा पूरा उपयोग नहीं उठाया जायेगा और इसीलिये मैं संसद सदस्यों की सहायता चाहता हूं। यदि इस काम में आप लोगों ने मेरी सहायता नहीं की तो पंचायती राज की बुराइयां दूर करने में मैं सफल नहीं हूंगा। मैं केवल जन जागरण करने में ही आप अनुभवी लोगों की सहायता चाहता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री ने बताया कि गोबर युग से अब हम साइकिल युग में आ गये हैं और अब प्रयत्न कर रहे हैं कि साइकिल युग से स्पूतनिक युग में आ जायें। हमें ऐसा करने के लिये बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और सतर्क हो कर आगे बढ़ना होगा अन्यथा, दुर्घटनायें हो सकती हैं। इसलिये पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिये आवश्यक है कि जनता को तथा राष्ट्र को इस नव जागरण का उचित पाठ पढ़ाया जाये।

मेरी एक मात्र यही इच्छा है कि ५० वर्ष बाद यह कहा जाय कि हमने राष्ट्र के लिय कोई काम किया है। मैं समझता हूं कि संसद् ने इन पांच वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण काम यही किया है कि अपने अधिकारों का इन पंचायतों में विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि देश की सभी ग्राम सभायें लोक सभा के समान ही शक्तिशाली हो जायें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी क्षमता से पूरा कर सकें।

†श्री खुशवक्त राय : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया कि जिला परिषद् संबंधी विधि आम चुनावों के बाद बनाई जायेंगी क्योंकि कुछ कठिनाइयां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कठिनाइयां क्या हैं।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ (नासिक) : जब अनुसूचित जाति के लोगों को कुवों से पानी न लेने देने का प्रश्न मैंने उठाया था उस समय माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि यह अनुसूचित जाति के लोगों की कमजोरी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति जब कुएं से पानी लेने जाते हैं तो उनके घरों में आग लगा दी जाती है। उनको मारा पीटा

†मूल अंग्रेजी में

जाता था तथा कुछ लोगों की हत्या तक कर दी जाती है। माननीय मंत्री भी सरकार का एक अंग हैं तथा उनकी जिम्मेदारी है कि इन आदिम जाति के लोगों की मांगों को पूरा करें।

†श्री म० चं० जैन : माननीय मंत्री ने मेरी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया है कि पंजाब के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पंचायतों में गरीबों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है ?

†श्री सु० कु० डे : श्री म० चं० जैन के प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में लागू विधानों तथा नियमों के अनुभवों का हम लाभ उठा रहे हैं और उन अनुभवों के आधार पर अन्य राज्यों को परामर्श दे रहे हैं। हमें बताया गया है की पंजाब में एक विधान पारित किया गया है जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायतों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाय। हमने अन्य राज्यों से भी सिफारश की है कि ऐसे विधान बनायें। आगामी तीन महीनों में विकास आयुक्तों तथा सामुदायिक विकास मंत्रियों का जब सम्मेलन होगा तब हमारा विचार इसके बारे में सभी राज्यों के अनुभवों का विशाल पुनरीक्षण करने का है।

श्री गायकवाड़ ने बताया कि मैंने अनुसूचित जाति के लोगों की कमजोरी बताई है। मैंने केवल अनुसूचित जाति के लोगों की कमजोरी इसको नहीं कहा है। मैंने तो इसे समस्त समुदाय की कमजोरी बताया था। यदि कहीं पर कोई ज्यादती हुई है तो मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार के सहयोग से उचित कार्यवाही करूंगा।

मेरे मित्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा उनकी कठिनाइयों का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि मुझे कोई कठिनाई नहीं बताई गई। संभवतया उन्हें कठिनाइयां हों क्योंकि ग्राम चुनाव सर पर हैं और खंड स्तर, जिला स्तर पर चुनाव कराना उनके लिये संभव न हो।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . .	२७,६६,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	२,७५,५७,०००
११०	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी व्यय .	४,६६,०४,०००

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

तरेसठवां प्रतिवेदन

†श्री सिद्धनंजप्पा (हसन) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तरेसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १४ अप्रैल १९६१/२४ चैत्र १८८३ (शक) तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१

२३ चैत्र, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	५०७९—५१०२

तारांकित प्रश्न संख्या

१४८२	भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण	५०७९—८२
१४८३	विदेशों में बैंक-खाते	५०८२-८४
१४८४	उत्तर प्रदेश में तेल का सर्वेक्षण	५०८४—८६
१४८५	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल	५०८६—८८
१४८६	अभ्रक का उत्पादन	५०८८—८९
१४८७	कच्चे पदार्थों संबन्धी समिति	५०८९—९१
१४८८	पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा निवेली के लिग्नाइट का परीक्षण	५०९१—९२
१४८९	विश्वविद्यालयों में भीड़भाड़	५०९२—९७
१४९०	भारत में संयुक्त राज्य अमरीका का विनियोजन	५०९७—९९
१४९२	पश्चिम बंगाल में तेल सर्वेक्षण	५०९९—५१००
१४९४	लड़कियों के लिये पालीटैकनीक संस्थायें	५१००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर	५१०२—४६

तारांकित प्रश्न संख्या

१४९१	विनिषिद्ध अफीम	५१०२
१४९३	कासीपुर आयुध कारखाने में ट्रैक्टरों का निर्माण	५१०२—०३
१४९५	राजभाषा के लिय दूसरा आयोग	५१०३
१४९६	चाय बागान	५१०३
१४९७	विकिरण उपचार संस्था	५१०३—०४
१४९८	विद्युतचालित करघों पर उत्पादन कर	५१०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः :		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४९९	सी० ओ० डी०, दिल्ली	५१०४–०५
१५००	पलाई बैंक के खातेदारों को अदायगी	५१०५
१५०१	रूरकेला में मोटरगाड़ियों के चालक	५१०५
१५०२	उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी	५१०६
१५०३	हंगरी से ऋण का प्रस्ताव	५१०७
१५०४	विदेशों को जाने वाले विद्यार्थियों की जांच पड़ताल	५१०७
१५०५	प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी	५१०८
१५०६	अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा	५१०८
१५०७	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	५१०८
१५०८	कोयला खानों के लिये बोनस	५१०९
१५०९	भारत में चीनी और पाकिस्तानी	५१०९
१५१०	संशिलष्ट तेल	५१०९
१५११	भारतीय प्रविधिक दल की पोलैंड यात्रा	५११०
१५१२	विकास ऋण निधि द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान	५११०
१५१३	आगामी भर्ती के लिये भूतपूर्व सैनिक	५११०–११
१५१४	नये विश्वविद्यालय	५१११
१५१५	इस्पात संयंत्रों के लिये कोयले की कमी	५१११–१२
१५१६	तेल अन्वेषण के लिये प्रविधिक प्रशिक्षण का स्कूल	५११३
१५१७	जलोनी में गैस टर्बाइन केन्द्र	५११३
१५१८	तेल की खोज का कार्यक्रम	५११३–१४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३२१८	पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	५११४–४६
३२१९	गाजा में भारतीय सैनिक	५११४–१५
३२२०	दिल्ली में शराब की दुकानें	५११५
३२२१	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य बैंक की शाखाओं का खोला जाना	५११५
३२२२	गैर-भारतीय तम्बाकू समवाय	५११६
३२२३	जीवन बीमा निगम के पालिसी-होल्डरों को बोनस	५११६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३२२४	महाराष्ट्र में भारत के राज्य बैंक की शाखायें . .	५११६–१७
३२२५	कच्चे लोहे के विलड	५११७
३२२६	गुजरात में बोकक्साइट के निक्षेप . . .	५११७
३२२७	विमान पोत 'विक्रांत'	५११७–१८
३२२८	दिल्ली के उच्च माध्यमिक स्कूलों के ड्राइंग के शिक्षक .	५११८
३२२९	भारतीय पेड़-पौधे तथा पशुपक्षी . . .	५११८–१९
३२३०	उड़ीसा के न्यायलयों में विचाराधीन मामले . .	५११९
३२३१	रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने . . .	५११९
३२३२	दिल्ली में पालिटेक्निक संस्थायें . . .	५१२०
३२३३	उत्तर सिक्किम रोड	५१२०
३२३४	उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक . . .	५१२०
३२३५	केरल में पिछड़े हुये ईसाइयों के लिये शिक्षा संबंधी रियायतें .	५१२०–२१
३२३६	पंजाब में खनन लाइसेंस	५१२१
३२३७	मैसूर में भूमिगत पानी के संसाधन . . .	५१२१
३२३८	इस्पात के पिण्डों का निर्यात	५१२१
३२३९	इस्पात कारखानों में उत्पादन का नुकसान . . .	५१२२–२३
३२४०	मंत्रियों के दौरे	५१२३–२४
३२४१	नागार्जुनकोंडा में खुदाई	५१२४
३२४२	दक्षिणी ध्रुव को अभियान	५१२४
३२४३	रूस में यौगिक अभ्यास की आलोचना	५१२४
३२४४	औद्योगिक प्रबन्ध पूल	५१२५
३२४५	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	५१२५
३२४६	संस्कृत का प्रचार	५१२५–२६
३२४७	परिवार न्यायालयों की स्थापना की योजना . .	५१२७
३२४८	भारत में तेल शोधक कारखाने	५१२७
३२४९	नैवेली लिग्नाइट निगम में नियुक्ति . . .	५१२७–२८
३२५०	मेकांग परियोजना	५१२८
३२५१	उड़ीसा में शिक्षकों के लिये क्वार्टर . . .	५१२८
३२५२	मंत्रियों द्वारा वेतन में स्वेच्छा से कटौती . .	५१२९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उतर–(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

३२५३	जनरल स्टोर्स इन्स्पेक्शन डीपो, दिल्ली	५१२९
३२५४	असैनिक कर्मचारियों की अपीलें	५१३०
३२५५	त्रिपुरा में नरसिंगढ़ नगरबस्ती	५१३०
३२५६	त्रिपुरा में बस्तियां	५१३०–३१
३२५७	स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास	५१३१
३२५८	लाजपत नगर सिंधी स्कूल, नई दिल्ली	५१३१–३२
३२५९	दिल्ली में सिंधी उच्चतर माध्यमिक स्कूल	५१३२
३२६०	भारत सेवक समाज	५१३३
३२६१	नई दिल्ली नगरपालिका में हिन्दी का प्रयोग	५१३३
३२६२	मद्रास की संस्थाओं को शैक्षणिक अनुदान	५१३३
३२६३	मद्रास राज्य में पालिटेकनिक संस्थायें	५१३३–३४
३२६४	सरकारी पदाधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार	५१३४
३२६५	बोलगीर में उड़ीसा उच्च न्यायालय में सर्किट बेंच	५१३४
३२६६	तकनीकी संस्थाओं में शिक्षक	५१३४–३५
३२६७	आंध्र प्रदेश में तकनीकी संस्थाओं में शिक्षक	५१३५
३२६८	भारत पेंशनर समाज	५१३५–३६
३२६९	सेना कर्मचारियों पर नागा आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण	५१३६
३२७०	आर्मी वर्कशाप, किरकी	५१३६
३२७१	संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा विज्ञान और संस्कृतिक संगठन की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना	५१३६––३७
३२७२	दिल्ली में यातायात रुक जाना	५१३७
३२७३	भारत सर्वेक्षण विभाग के वर्ग ३ और वर्ग ४ के अस्थायी कर्मचारी	५१३७
३२७४	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों का कार्यक्षमता–रोक	५१३७–३८
३२७५	सर्वे आफ इंडिया, एस्टट, देहरादून	५१३८
३२७६	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की वेतन की रकमें	५१३८
३२७७	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते	५१३८
३२७८	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिये विभागीय परीक्षा	५१३९
३२७९	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिये विभागीय छुट्टी	५१३९

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उत्तर-(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

३२८०	भारत सर्वेक्षण विभाग का आकस्मिक व्यय	५१४०
३२८१	भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा रेखांकन	५१४१
३२८२	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुसासनिक कार्यवाही	५१४१-४२
३२८३	भारत सर्वेक्षण विभाग के मुअत्तिल कर्मचारी	५१४२
३२८४	सेनिक समाचार के संपादन विभाग के कर्मचारी	५१४२
३२८५	सेंट्रल डिजाइन व्यूरो	५१४२-४३
३२८६	सूक्ष्म जीवविज्ञान	५१४३
३२८७	सैनिक अफसरों की कमी	५१४३-४४
३२८८	बैंक की उधार देने की दरें	५१४४
३२८९	रूरकेला इस्पात कारखाना	५१४४
३२९०	सलाहकार निकाय	५१४५
३२९१	कैलासार (त्रिपुरा) में सड़क का निर्माण	५१४५
३२९२	कैलासार में झील का निर्माण	५१४५
३२९३	हथियार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान	५१४५-४६

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . . . ५१४६—४७

अध्यक्ष महोदय ने श्री दशरथ प्रसाद द्विवदी के, जो प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५१४७-४८

श्री एस० एम० बनर्जी ने केन्द्रीय सहायता के अभाव में कोलार की राष्ट्रीय-कृत सोने की खानों के बन्द हो जाने की संभावना के बारे में मैसूर के मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया :

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५१४८–४६

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १६५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत कोयला–खान नियंत्रण आदेश, १६४५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ मार्च, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६० की एक प्रति।

(दो) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १६५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, भद्रावती द्वारा निर्मित फैरो-सिलिकोन के विक्रय मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६६१)।

(ख) दिनांक ४ अप्रैल, १६६१ का सरकारी संकल्प संख्या पी० एस०—३० (११)/५८।

(तीन) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १६५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) संशोधन नियम, १६६१ की एक प्रति।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १६६१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ मार्च, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५१ की एक प्रति।

(पांच) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १६६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ अप्रैल, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ४२५।

(ख) दिनांक १ अप्रैल, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ४२६।

(छै) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(क) दिनांक १ अप्रैल, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ४३१।

(ख) दिनांक १ अप्रैल, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ४३२।

विषय पृष्ठ

(सात) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४९ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चतुर्थ संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित ५१४९–५०

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये

समिति के लिये निर्वाचन ५१५०

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सस्दयों में से एक सदस्य विश्वभारती की सदस्यता के लिये चुना जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें . . . . ५१५०—९४

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर, अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांग पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ५१९५

तरेसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

शुक्रवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर विचार

GIPND—LSIII—462 (Ai)LSD 13-6-61—125

	पृष्ठ
श्री नंजप्पन	५१६४
श्री वे० प० नायर	५१६५—६७
श्री मुनिश्वर दत्त उपाध्याय	५१६७—७१
श्री शोभा राम	५१७१-७२
श्री क० उ० परमार	५१७२-७३
श्री रंगा	५१७३—७५
श्री सै० अ० मेहदी	५१७५
श्री बहादुर सिंह	५१७५-७६
श्री उ० ल० पाटिल	५१७६-७७
श्री नरदेव स्नातक	५१७७—७६
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	५१७८—८२
श्री बाल्मीकी	५१८२—८४
श्री मू० चं० जैन	५१८४—८६
श्री नवल प्रभाकर	५१८६—८८
श्री सु० कु० डे०	५१८८—९४
कार्य मंत्रणा समिति—	
त्रेसठवां प्रतिवेदन	५१९५
दैनिक संक्षेपिका	५१९६—५२०२

P.L.S. 41. LIV. 43. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।